खण्ड-353, अंक-2
सोमवार, 28 पौष, शक संवत् 1903
(18 जनवरी, 1982 ई0)

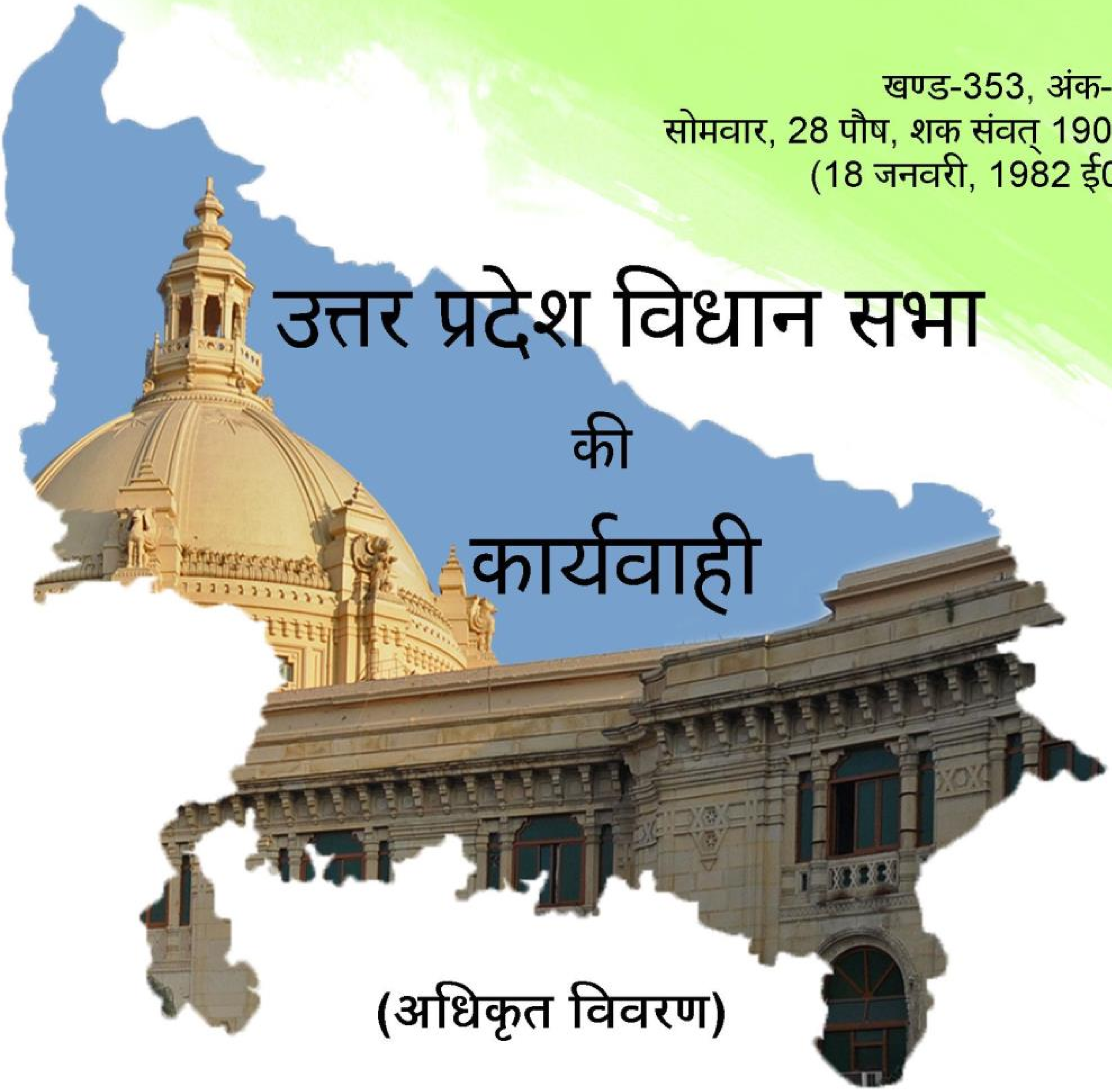

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	23–26
मन्त्रियों की सदन में अनुपस्थिति पर आपत्ति	26
प्रश्नोत्तर	26–87
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	87–88
झांसी स्थित महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज के अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियों का अभाव तथा कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88–89
गन्ना सप्लाई करने वाले कृषकों से गन्ना क्रय केन्द्र से मिल तक यातायात का किराया बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कृषकों को बिजली के कनेक्शन देने पर रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
मारकण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कैथी, वाराणसी के बन्द होने से छात्रों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	90
देवरिया जिले में बच्चों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	90
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	90
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	92
उत्तर प्रदेश उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	92
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति	92–93
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	93
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	94
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इकत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	94
जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	94
स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	94
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	95
उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की पंचम वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1978–79 (सदन के पटल पर रखे गए)	95
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम) व (भाग द्वितीय) वर्ष 1981–82 (सदन के पटल पर रखा गया)	95
यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, 1977–78 (सदन के पटल पर रखे गए)	95

विषय	पृष्ठ संख्या
स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	95
उत्तर प्रदेश आमोद और पण-कर नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	96
उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	96
उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्ति की सूचना)	96
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्ति की सूचना)	96
उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्ति की सूचना)	96
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्ति की सूचना) ..	96
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधयक, 1981 (विधान परिषद् से वापस प्राप्ति की सूचना) ..	97
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	97
उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	97
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	97
उत्तर प्रदेश विज्ञापन-कर विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	97
उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	98
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	98
उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .	98
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	98
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	98
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचनाएं ..	99
विधान सभा सदस्य, श्री मुख्तार अनीस व श्री प्रदीप कुमार यादव की गिरफ्तारी की सूचना	99
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	99

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	99—100
दिनांक 5 फरवरी, 1981 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य	100—101
दिनांक 30 मार्च, 1981 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य	101
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	102
सदन में हुए राज्यपाल के अभिभाषण के अलिखित अंश के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न	102—112
मुख्य मन्त्री द्वारा त्यागपत्र की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न ..	112—113
विधान सभा के वर्ष में तीन अधिवेशन तथा 90 दिन की बैठक न बुलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	113—115
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	115—119
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	119—142
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	122
नत्थियां	143—162

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 जनवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजे कर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–285

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजीत कुमार सिंह — कानपुर
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोण्डा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री — फैजाबाद
झिलमिट राम श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत

त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नारायण वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
धनीराम वर्मा श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हल्द्वानी
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — इटावा
नरेन्द्र सिंह, श्री — [illegible]
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं

प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बदन सिंह, श्री — आगरा
बनवारीराम, श्री — वाराणसी
बच्चन सिंह, श्री — बलिया
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलदेव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बृजकिशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री — बरेली
भोला लाल, श्री — उन्नाव
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मंगलदेव, श्री — गोंडा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मलिक माहम्मद जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मान बहादुर सिंह, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुरली धर मुनीम, श्री — गोण्डा

मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह श्री	देवरिया
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद मफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रनी राम, श्री	बिजनौर
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा०	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर

राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम सनेही, श्री	जौनपुर
राम सरूप, श्री	बाराबंकी
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल वर्मा, श्री	कानपुर
राम सूर्य सिंह, श्री	बहराइच
राम हर्ष यादव, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूड़ा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लालजी, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला रमेश, श्रीमती	सहारनपुर
विमल लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम राम, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
श्याम नारायण तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी

श्याम सिंह, श्री	बिजनौर	सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री	[illegible]	सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
श्रीपति मिश्र, श्री	[illegible]	सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
संकटा प्रसाद शास्त्री, श्री	[illegible]	सैय्यद सलीउद्दीन, श्री	मेरठ
संजय सिंह, श्री	[illegible]	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
सईदुल हसन, श्री	[illegible]	हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
सच्चिदानन्द, श्री	[illegible]	हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
सन्त बक्श रावत, श्री	[illegible]	हरदेव, श्री	बलिया
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	[illegible]	हरदेव प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
सरदार सिंह, श्री	[illegible]	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
साहब सिंह, श्री	[illegible]	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
सीताराम निषाद, श्री	[illegible]	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	[illegible]	हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुनील शास्त्री, श्री	[illegible]	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
सुन्दर सिंह, श्री	[illegible]	हरिशंकर, श्री	हरदोई
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	[illegible]	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	[illegible]		

मंत्रियों की सभा में उपस्थिति पर आपत्ति

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह माननीय मंत्रियों को क्या हो गया है ? क्या इन लोगों ने भी कोई यूनियन बना ली है, हड़ताल करने की ? [illegible] खाली है ?

लखनऊ

सोमवार, 18 जनवरी, 1982 ई0

अतारांकित प्रश्न

एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत परिवारों का चयन

*1—श्री जयदीप सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में परिवार की जो परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार [illegible] इस योजना से लाभान्वित नहीं हो सकते ? यदि हां, तो क्या सरकार [illegible] अनुभाग बनाने पर विचार करेगी ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री [illegible]) —

योजना के उद्देश्य के अनुरूप कल्याणकारी सिद्धान्त पर निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड में 3,000 रुपये वार्षिक आय से कम आय वाले 600 परिवारों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाता है।

योजनान्तर्गत सब कार्यों का [illegible] शासनादेश द्वारा निर्धारित उक्त मापदण्ड के अनुरूप ही किया जाता है।

बीज भण्डार धर्मापुर, जिला जौनपुर के इंचार्ज द्वारा किये गये गबन की जांच

*2—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीज भण्डार धर्मापुर, जिला जौनपुर के इंचार्ज ने सन् 74 में पचासों हजार रुपए का गबन किया था ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि इस गबन से सम्बन्धित फाइल गबन अनुभाग (कृषि विभाग) में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको निकलवाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गुरसहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद के शराब में मिलावट से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु

*3—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितम्बर, 1981 में गुरसहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद में देशी शराब के ठेके की दूकान से ली गयी शराब पीने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस घटना का क्या कारण था ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोवर्धन तिवारी)—

दिनांक 27 सितम्बर, 1981 को गुरसहायगंज देशी शराब की दुकान से शराब पीने के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है। घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच हो रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दिनांक 27 सितम्बर, 1981 को गुरसहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद में शराब में मिलावट के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु को शासन ने स्वीकार कर अपने उत्तर में कहा कि मैजिस्ट्रीयल जांच चल रही है। मान्यवर, सारा प्रकरण लीपा-पोती का है। वह आबकारी निरीक्षक जो इस मामले के जिम्मेदार थे, उनको मुअत्तल क्यों नहीं किया गया और मैजिस्ट्रीयल जांच जिसमें 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये था, परन्तु आज 4 महीने होने को आ गये, जांच अब भी पूर्ण नहीं हो सकी, इसके क्या कारण हैं ?

एक सदस्य—

कारण इसका वहीं लीपापोती है।

श्री गोवर्धन तिवारी—

आबकारी इन्सपेक्टर मुअत्तल कर दिया गया है और 4 दुकानें सील कर दी गयी हैं और उनके लाइसेन्स दूसरों को दे दिये गये हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि इस संबंध में इस घटना के तुरन्त बाद हमारे ही जनपद कन्नौज के 4 लोगों की आंखों की रोशनी इस शराब के इस्तेमाल से जाती रही। मान्यवर, इतना गम्भीर मामला है, इसकी जांच तो तुरन्त हो जानी चाहिए थी। इस संबंध में समय अधिक लगने से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आबकारी विभाग अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को बचाने के लिए जानबूझकर समय लगा रहा है, वरना इतना समय क्यों लगता ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

ऐसा कोई सवाल नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इस सवाल को दो महीने हो गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस शराब की कैमिकल एनालिसिस अब तक सामने आ गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें कुछ ऐसी मिलावट थी जिससे कि 4 आदमी मर गये ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी है जिसमें यह कहा गया है कि मृत्यु का कारण नहीं बताया जा सकता। रासायनिक जांच के लिये भी रिपोर्ट भेजी गयी रिपोर्ट आगरा से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पहले तो प्रश्न का उत्तर नहीं आया, पहले मै वह जानना चाहूंगा, इसके बाद सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, माननीय श्री रियासत हुसैन ने प्रश्न किया था कि जिस द्रव्य पदार्थ को पीकर लोग मरे, उसकी कैमिकल एनालिसिस हुई या नहीं ?

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने पहली बात का तो जबाव दिया नहीं। अब माननीय मन्त्री जी यही करा दें कि मंगलवार को शराब बन्द होती है, तो मंगलवार को शराब बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

पहले माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर दे रहे थे, उसे दे दें ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्यगण जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ है और इसकी कैमिकल ऐग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट क्या आयी। आपके प्रश्न से मैं जो आशय समझा हूं और जहां तक मुझे जानकारी है इसका उत्तर यह है कि जब कोई आदमी मरता है तो उसका पोस्ट मार्टम होता है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में इसकी निश्चित रूप से जानकारी नहीं दी जा सकी कि किस कारण से मृत्यु हुई है। इसके बाद जो विसरा होता है, जब तक उसकी रिपोर्ट न आ जाय तब तक माननीय मन्त्री जी इस स्थिति में नहीं है कि कोई जबाव दें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि जब माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मैजिस्ट्रीयल जांच हो रही है, तो उस जांच में उस शराब का नमूना वगैरह प्रिजर्व किया गया होगा, तो क्या उसका कैमिकल ऐग्जामिनेशन हुआ ? यदि हुआ, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? अगर उसकी वजह से मृत्यु हुई है, तो क्या दफा 302 का मुकदमा उस ठेकेदार के खिलाफ कायम करेंगे ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी अभी चल रही है, उसके बाद ही यह बात बतायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि मैजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी जो हो रही है, उस बीच में वह शराब जिसके पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, उसका कोई नमूना लिया गया है या नहीं ? यदि लिया गया है, तो उसकी कोई जांच करायी गयी है या नहीं ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

वह नमूना लेकर जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, उसको आगरा भेजा गया है, लेकिन अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय उन चार व्यक्तियों के मरने की जानकारी शासन को मिली और इस संबंध में शासन ने जांच के आदेश दिये तो वह शराब का नमूना कहां से लिया गया। वह शराब गोडाउन की और ठेकेदार के यहां की भी हो सकती है। क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रयास किया कि उस शराब को जिसको पीकर इतने व्यक्ति मरे, आग भी उसको पीकर लोग मरने न पावें। दूसरी बात मैं

यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि दुकानदारों के लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये। तो इससे क्या बना ? एक का लाइसेन्स निरस्त करके दूसरे को दे दिया, यह कोई दण्ड नहीं हुआ । म माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उस दूकानदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री गोवर्धन तिवारी—

जैसा कि मैंने निवेदन किया पहले कि उसके बिसरे का परीक्षण हो रहा है। जहां तक शराब का सवाल है, पूरी जानकारी जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

दूकान पर कोई इतनी कम शराब होगी नहीं कि केवल उन चार व्यक्तियों ने ही पी हो और उनकी मृत्यु हो गयी, मेरे पूछने का मतलब यह है कि उस शराब के बारे में आपने क्या किया और दूकानदार को क्या दण्ड दिया जिससे कि और लोग ऐसी शराब पीकर न मरें ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

उसकी जांच करायी जा रही है। उसका सेम्पिल लेकर जांच के लिये भेजा गया है, जांच के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

इस शराब के पीने से कितने लोग मरे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये, माननीय सदस्यों का प्रश्न यह है कि दूकानदार को शराब सरकारी गोदाम से या और कहीं से मिली होगी और उसी शराब को दूकानदार ने यहीं से पीकर उन लोगों की मौत हुई। तो जो सरकारी गोदाम की शराब थी उसकी क्या जांच करायी गयी या कहीं दूकानदार ने ही कुछ गड़बड़ी की इस वास्ते ही शराब की जांच आपने क्या करायी या उस शराब की कोई जांच की गयी ? क्या इस संबंध में कोई जानकारी आपको है ? यदि है, तो उसे आप बता दें ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

सरकारी दूकान में जो शराब थी, उसका नमूना जांच के लिये भेजा गया है, अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आयी है, उसके आने पर ही बताया जा सकेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो उत्तर मिल रहा है वह बनावटी है। मंत्री जी यही बता दें कि वह नमूना शराब का किस तारीख को किस अथारिटी के पास भेजा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप बता सकेंगे कि शराब का नमूना कब और किस तारीख को जांच के लिये भेजा गया है ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

जहां तक शराब का सवाल है, उसकी जांच की जा रही है, जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आपके सामने उत्तर आ जायेगा।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त—

बिलकुल असत्य उत्तर सदन में दिया जा रहा है। मान्यवर, आप पत्रावली देख लें।

श्री गोवर्धन तिवारी—

शराब की जो दुकान पहले थी उसको सबसे पहले सील कर दिया गया है ।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन जो गोदाम से दी गयी उसका क्या किया ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसको स्थगित किया जाय क्योंकि इनको जानकारी ही नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि अगर कोई नमूना सरकारी गोदाम से शराब का लिया गया तो वह किस तारीख में लिया गया और किस ठेकेदार की शराब की नमूना जांच के लिये भेजा गया है?

श्री गोवर्धन तिवारी--

यह तो दूकान से लिया गया है, गोदाम से नहीं।

श्री हुकम सिंह--

अगर दूकान से लिया गया है तो किस अधिकारी ने किस तारीख को लिया और एनालिसिस के लिए कहां पर भेजा गया है?

(मंत्री जी की ओर से कोई उत्तर न आने पर।)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसे स्थगित करता हूं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह भी कह दें मुख्य मंत्री जी से कि मंत्री उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कोई और मंत्री उत्तर दे दिया करें।

एक सदस्य--

शराब का नमूना आगरा भेजा गया है तो मंत्रिमण्डल के एक नमूने को भी आगरा भेज दें।

(हंसी)

जनपद गोण्डा के बलरामपुर कृषि बीज भण्डार में गबन एवं क्षति तथा उत्तरदायी कर्मचारी का निलम्बन

*4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के बलरामपुर कृषि बीज भण्डार पर वर्ष 1965-66 से वर्ष 1970-71 तक लगभग 5 लाख रुपया का गबन एवं क्षति हुई है? क्या यह सही है कि उत्तरदायी कर्मचारी वर्तमान समय में बफर गोदाम निरीक्षक, बहराइच के पद पर नियुक्त है? यदि हां, तो किसके आदेश से?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जनपद गोन्डा के बलरामपुर कृषि बीज भण्डार पर वर्ष 1964-65 से 1970-71 तक रु0 2,81,621.00 की क्षति का मामला प्रकाश में आया। उत्तरदायी कर्मचारी बफरगोदाम निरीक्षक बहराइच के पद पर नियुक्त था जिसको निलम्बित कर दिया गया है। इस कर्मचारी को बहराइच में बफर गोदाम निरीक्षक के पद पर कृषि निदेशक के आदेश से तैनात किया गया था।

जनपद हरदोई के कतिपय ग्रामों में वनगायों से फसलों को क्षति

*5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील बिलग्राम के सदरपुर, रहुला, पडरा, लखनपुर, शाहपुर, बसुदेव, सेलापुर, गौरा, बघियारी, मुड़िया खेड़ा, जुजुआमऊ आदि अनेक गांवों की फसलों को चौपट करने वाली लगभग 300 वन गायों को पकड़े जाने के बारे में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि कार्यवाही नहीं की, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस क्षेत्र में विभाग द्वारा स्थानीय जनता के सहयोग से अब तक 14 वन गायों को पकड़ कर गोसदन में जा जा चुका है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल असत्य है। 79 से आज तक मैंने इस सदन में बनगायों की पकड़न की आवाज उठायी केन्द्र सरकार से भी लिखा-पढ़ी की, उसने एक अधिकारी को भेजा, उससे सर्वेक्षण कराया और जो जवाब आया उसमें उन्होंने लिखा है कि अधिकारी ने संबंधित स्थानीय अधिकारियों से मिलन और ग्रस्त क्षेत्रों में जंगली गायों के झुण्डों को देखने के पश्चात् जो सर्वेक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को दी उसकी प्रतियां जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप निदेशक पशुपालन विभाग, लखनऊ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को इस निदेशालय के इसी. . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 300 गायों के स्थान पर 14 को पकड़ा गया। मान्यवर, उस पत्र में लिखा है कि आगे की कार्यवाही जभी सम्भव होगी जब राजकीय अधिकारी आवश्यक प्रबन्धों के बारे में हमें सूचित करेंगे, तो मान्यवर, इस सिलसिले में कोई कार्यवाही की गई ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर वहां की बनगायों को पकड़ने की कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि करेंगे, तो कब तक ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, वर्मा जी ने पहले जब प्रश्न किया था तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपना कोई विभाग नहीं है जिससे बनगायों को पकड़वा सके इसके लिए केन्द्र सरकार पर गायों को पकड़ने के लिए निर्भर रहना पड़ा। फिर जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, हमने उसका एक सर्वेक्षण कराया पूरे उत्तर प्रदेश में। आपके यहां दो सौ गायों का पता चल सका। सोचा गया कि जब तक केन्द्र से दल न आये, स्थानीय अधिकारियों से कहा गया कि तब तक वे जनता के सहयोग से पकड़वायें तो 14 गायें पकड़ी जा सकीं। अब जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सूचना गलत है तो मैं इसकी जानकारी कराऊंगा कि जो सूचना हमें दी गई और हमने सदन में जवाब दिया है वह सही है या गलत। मैं इसको देखूंगा।

राजकीय कृषि बीज भण्डार करहरा, हनुमानगंज, बलिया में क्षति तथा जांच

*6—श्री राजकुमार राय—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7-7-81 उन्हें राजकीय कृषि बीज भण्डार करहरा, हनुमानगंज, बलिया के वार्षिक सत्यापन वर्ष 1980–81 के समय लाखों रुपए की क्षति को प्रकाश में लाने वाले अधिकारी का निलम्बन समाप्त करने के विषय में मिला था ? यदि हां, तो शासन उसमें कौन सी कार्यवाही कर रहा है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। मामले में जांच कराई जा रही है।

श्री राजकुमार राय—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह जानना चाहूंगा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिसमें सत्यापन अधिकारी ने लगभग एक लाख से ज्यादा का गबन पकड़ा था और खुद उसे ही जिला कृषि अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया और 8–8 महीने हो गए लेकिन न तो उसको कोई ससपेंड एलाउन्स ही दिया गया और न चार्जशीट दी गई। मैंने इस संबंध में 7–7–81 को पत्र लिखा था और अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मामले पर कार्यवाही कैसे हो रही है और कौन इसकी जांच कर रहा है ? मुझे इसका कोई ऐकनालेजमेंट तक नहीं मिला। जिसने चोर को पकड़ा उलटे उसी को ससपेंड कर दिया

गया और आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ, उसको चार्जशीट तक नहीं दी गई। क्या माननीय मंत्री जी यह तय कर देंगे कि कितने दिनों में इसको कर देंगे और किसके द्वारा इसकी जांच करवायेंगे और क्या उस जांच में मुझे भी शामिल करने का कष्ट करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

माननीय राजकुमार जी ने 7-7-81 को एक पत्र इस सम्बन्ध में मुझे दिया था और मैंने उस पर प्रस्तरवार जांच के आदेश दिये थे कि जांच करके मुझे अवगत करायें। इस मामले में काफी देरी हो चुकी है, यह मैं जानता हूं लेकिन अभी तक चूंकि जांच पूर्ण नहीं हो पाई है। उसकी वजह से मैं निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। मैं आज ही इस बारे में आदेश दूंगा कि जो जांच अधिकारी है वह माननीय सदस्य से मिल लें ताकि इस पर बेहतरीन जांच हो, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं और इसका मैं प्रयास करूंगा।

श्री पंचानन राय—

माननीय राजकुमार जी ने 7-7-81 को पत्र लिखा और अक्टूबर में विधान सभा में सवाल हो गया, डिपार्टमेंट की जांच चली गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से अधिकारी को जांच का कार्य सौंपा गया था और जिस अधिकारी ने शासन के आदेशों की अवहेलना की है, वह इस अनुत्तरदायीपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार है। क्या सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या माननीय मंत्री जी के पास इस समय कोई सूचना उपलब्ध है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मैंने दिनांक 13-7-81 को 15 दिन के अन्दर जांच पूरी करने के आदेश कृषि सचिव को दिये थे और अभी तक किन-किन कारणों से जांच पूरी नहीं हो पाई है इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि किस कारण से देरी हो रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि किसको जांच के आदेश दिए गए थे और उसने आदेशों की खुली अवहेलना की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी जांच कार्य का समय से समाप्त न करने के लिए उत्तरदायी है, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। आज इस समय जांच की क्या स्थिति है क्या मंत्री जी इसको बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है कि माननीय राजकुमार राय ने जब मेरे पास पत्र भेजा तो उसी दिन मैंने 15 दिन के अन्दर जांच पूरी करने का आदेश विभाग को दे दिया था लेकिन वह जांच अभी तक अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। इसके लिये कुछ और समय की मांग की गयी है। अभी जो माननीय राजकुमार राय जी ने कहा कि वहां जांच में मुझसे कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया जैसा कि आवश्यक है। तो मैंने इस बारे में आदेश दे दिया है कि इस प्रश्न पर विचार करते वक्त इस पर पूरी तरह से विचार होना चाहिये और जिसकी वजह से देर हुई है, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में लेना चाहता हूं कि कभी भी मेरी ऐसी इच्छा नहीं रही कि जो व्यक्ति काम में देरी करे उसे बख्शा जाय या उसे किसी तरह की रियायत दी जाय।

जनपद बांदा के ग्राम घुरौंडा में पेयजल की असुविधा

*7—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खण्ड महुआ के ग्राम घुरौंडा स्थित तालाब व पेय नलकूप का जल विषाक्त है और ग्रामवासी इन्हीं का जल पी रहे हैं ? यदि हां, तो स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जिले के सूरसरोवर (कीथम झील) में जलकुम्भी का प्रकोप

*8—श्री बदन सिंह—

क्या मत्स्य पालन मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जिले के सूर सरोवर (कीथम झील) में जल कुम्भी (एक सघन खरपतवार) आच्छादित होती चली जा रही है जिसके फलस्वरूप राज्य की आय पर इसका भारी कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या व्यवस्था की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त सूरसरोवर (कीथम झील) में इस समय मत्स्य उत्पादन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां, सूर सरोवर (कीथम झील) में जल कुम्भी का प्रकोप है परन्तु झील का कुछ ही भाग वर्तमान समय में जल कुम्भी से आच्छादित है तथा शेष भाग साफ सुथरा है, जिस से मत्स्य विभाग को आय होती है । सूर सरोवर में जल कुम्भी ओखला नहर से बराबर आती रहती है एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों से उसके निकालने की व्यवस्था की जाती है । वर्तमान वित्तीय वर्ष (1981–82) से इस जलाशय का ठेका आल इन्डिया फिशरमेंस कोआपरेटिव फेडरेशन को 5 वर्ष के लिये दिया गया है और ठेके में उल्लिखित शर्त के अनुसार फेडरेशन द्वारा मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ जल कुम्भी का भी निष्काश किया जाना है ।

श्री बदन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग को इस जलकुम्भी योजना से 1979–80 में कितनी आमदनी हुई ? और कितनी आमदनी 1980–81 में रही ?

मत्स्य एवं कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

79–80 में इससे 3,06,900 रूपये और 80–81 में 4,21,200 रुपय की आमदनी रही ।

श्री बदन सिंह—

जब मत्स्य विभाग को इससे इतनी आमदनी होती है तो सूर सरोवर जो जलकुम्भी से आच्छादित रहता है, उसकी सफाई विभाग द्वारा क्यों नही करायी जाती ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया गया है कि सफाई करवाते हैं ।

श्री सीताराम निषाद—

वर्ष 1976 से 78 तक जलकुम्भी उन्मूलन कार्य में 3 लाख रुपया खर्च करके विभाग द्वारा सफाई करवाने का प्रयास किया गया है और अब जो आल इंडिया फिशरमेंस कोआपरेटिव फेडरेशन सोसायटी है उसे इस शर्त के साथ ठेका 5 वर्ष के लिये दिया गया है कि वह हर साल उसकी सफाई कराता रहेगा जिससे कि उत्पादन बराबर बढ़ता रहे ।

श्री बदन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर यह ठेका 5 वर्ष के लिये आल इंडिया फिरशरमेंस कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है ?

श्री सीताराम निषाद—

शासन ने एक नीति निर्धारित की, उसी के अनुसार यह ठेका दिया गया है । 5 वर्ष के बाद शासन नीति निर्धारित करेगी, फिर उसके अनुसार ठेका दिया जायेगा ।

श्री बदन सिंह—

सूर सरोवर उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी झील है, और इसमें जलकुम्भी आच्छादित होती रहती है जिससे राज्य की आय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो क्या माननीय मंत्री जी ओखला नहर में जाली डलवा कर जलकुम्भी को रोकने का प्रयास विभाग द्वारा करायेंगे ? ओखला नहर पर ही कोई जाली डाल कर इस जलकुम्भी को रोकने का प्रयास विभाग करेगा ?

श्री सीताराम निषाद—

सिंचाई विभाग ने जाली डाली थी बीच में वह टूट गई थी । फिर विभाग से अनुरोध किया गया है कि उस में जाली डाल कर जल कुम्भी के आने पर रोक लगाये ।

पशुसेवा केन्द्र कोलना, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर के भवन के पुर्ननिर्माण हेतु कार्यवाही

*9—श्री रामचरण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाफमैन सेन्टर, ग्राम कोलना, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर का भवन कब बना और क्या अब वह खण्डहर हो चुका है ? क्या सरकार भवन के निर्माण सम्बन्धी मामले की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

पशु सेवा केन्द्र कोलना, विकास खंड नरायनपुर जनपद मिर्जापुर के भवन का निर्माण वर्ष 1968 में हुआ था ? वर्ष 1979–80 में अतिवृष्टि के कारण वह भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण अनुपयोगी हो गया है । भवन के पुर्ननिर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही रही है । निर्माण सम्बन्धी मामले की जांच हेतु निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है ।

जी0टी0 रोड, मुजफ्फरनगर से रेनबो फैक्ट्री तक सड़क का निर्माण

*10—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद मुजफ्फरनगर के टेंडर नोटिस दिनांक 15–7–81 द्वारा जी0टी0 रोड मुजफ्फरनगर से रेनबो फैक्ट्री तक एक लाख तीन हजार रुपए की लागत से सड़क को पक्की कराने के लिए व्यय करना प्रस्तावित है ? क्या यह सही है कि यह सड़क सार्वजनिक नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति की फैक्ट्री तक ही जाती है ? यदि हां, तो इस प्रकार सार्वजनिक संस्था के धन से किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिये खर्च करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करने पर विचार करेगी ?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

जी हां । यह मार्ग सार्वजनिक है किसी प्रभावशाली व्यक्ति की फैक्ट्री तक ही नहीं जाता है । मार्ग के सार्वजनिक होने के कारण इस संबंध में किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो फैक्टरी है जहां तक सड़क बनायी जा रही है उसके मालिक का क्या नाम है ?

श्री सच्चिदानन्द—

यह रेनबो फैक्ट्री है । इसके मालिक का नाम तो नहीं मालूम है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री आप के मंत्रि परिषद के सदस्य, श्री विद्या भूषण जी की है और वहां तक जाने के लिये एक लाख तीन हजार रुपया खर्च किया जा रहा है।

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, इस सड़क को बनाये जाने के संबंध में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाइडिल, ने रिक्वेस्ट की थी। उस रास्ते पर पड़ने वाले आठ फैक्टरी के मालिकों ने भी प्रार्थना की थी। इस कारण यह सड़क बनवाई जा रही है।

श्री मेंहदी असगर—

यह सड़क अगर जिला परिषद् की नहीं थी तो जिला परिषद् न इसके टेन्डर कैसे पास किये, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द—

जिला परिषद् से यह प्रस्ताव गया इस सड़क के बनाये जाने के संबंध में क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हाइडिल ने प्रार्थना की थी सड़क बनाने की क्योंकि बिजली के खम्भे, ट्रांसफारमर दूसरी चीजें ले जाने में उनको मुश्किल आ रही हैं। दूसरी बात जो और फैक्टरी ओनर्स हैं उन सब ने रिक्वेस्ट की जिला परिषद् से। इस आधार पर सड़क बनाई जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि रेनबो फैक्ट्री, जिसका संबंध इस प्रश्न से है, क्या वह क्षेत्र जिला परिषद् के कार्य क्षेत्र में आता है या नगरपालिका, टाउन एरिया के क्षेत्र में आता है। दूसरी बात जिन लोगों ने सड़क बनाये जाने के लिए प्रार्थना की थी क्या यह चीज उस समय प्रकाश में आई जब प्रश्न हो चुका ताकि उसकी वैधानिकता को आप यहां स्वीकार कर सकें।

श्री सच्चिदानन्द—

जी नहीं। सड़क को बनाये जाने की प्रार्थना सितम्बर 6, 1980 को अधिशासी अभियन्ता, हाइडिल, ने की थी जब कि यह प्रश्न बहुत बाद में आया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिस समय हाइडिल विभाग ने संस्तुति की सड़क बनाये जाने की पी0 डब्लू0 डी0 से तो उस समय यह पता लगाने की कोशिश की गयी कि जमीन किसकी है अगर जमीन जिला परिषद् की नहीं, नगरपालिका की नहीं, क्या किसी निजी जमीन पर सार्वजनिक व्यय से सड़क बनाने का प्राविधान है ? निजी जमीन पर सड़क बनाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, जिला परिषद् जब कोई सड़क बनाता है तो स्वाभाविक है कि वह जिला परिषद् की अपनी कोई जमीन होती है, न्याय पंचायत की होती है, उसमें सड़क बनायी जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

निजी जमीन पर पी0 डब्लू0 डी0 ने, जिला परिषद् ने रुपया लगा कर सड़क बना दी तो उसके बाद उस जमीन का मालिक कौन होगा, सड़क के रख रखाव करने का मालिक कौन होगा। क्या किसी निजी जमीन पर सार्वजनिक पैसा खर्च कर के सड़क बनाने का कोई प्राविधान है। बिना उस जमीन को एक्वायर किये ही उसके ऊपर सड़क बनवा दी जाय उसकी आपने रजिस्ट्री करवाई है उस पर मिल्कियत किसकी है, यह आप बता दें ?

श्री सच्चिदानन्द—

जहां तक मिल्कियत का प्रश्न है, किस व्यक्ति की जमीन है यह तो माननीय सदस्य ही बता सकते हैं.....

(व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह सार्वजनिक धन का सत्ता द्वारा दुरुपयोग किये जाने का ज्वलन्त उदाहरण है.... (व्यवधान)।

श्री सच्चिदानन्द--

मेरे पास जो कागजात हैं उनसे कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि यह जमीन एक व्यक्ति की है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न स्पष्ट हो चुका है इसमें कोई दुविधा नहीं है। उसका आपने उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह है कि अगर वह आपकी जमीन है, या जिला परिषद् की जमीन है या सरकार की जमीन है तब आपने सड़क उस पर बनवा दी लेकिन अगर वह किसी की व्यक्तिगत जमीन है तो क्या आपने उस को पहले एक्वायर किया है या बिना एक्वायर किए ही सड़क बनवा दी है? उस पर मिल्कियत किसकी है? इस प्रश्न का आप उत्तर दें।

श्री सच्चिदानन्द--

मैं इसको दिखवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस मन्त्रि मण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। जहां तक मूल तत्व का प्रश्न है इसका साफ-साफ उत्तर आना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें और मन्त्री जी से कहें कि वे सम्पूर्ण तैयारी के साथ आयें और उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी के पत्र डाकुओं के पास बरामद हुए हैं....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह बात ऐसे मन्त्री द्वारा कही गयी है जो (XXX) कहते हैं कि मैं वेतन नहीं लेता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

हमारे प्रश्न का उत्तर दिलायें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैं कोई जवाब नहीं दिला सकता जब तक कि आप भी खड़े रहेंगे और मैं भी खड़ा हूं।

श्री राम स्वरूप निम--

राज्यपाल ने तो डांटा ही आप भी डांट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के बारे में आप कुछ न कहें। राज्यपाल का आप उदाहरण न दें। मेरे बारे में कह सकते हैं। हमको आपको यहां पर रोज रहना है। माननीय मन्त्री जी, जो सार्वजनिक सड़क का निर्माण हुआ है, वह सार्वजनिक स्थल पर हुआ है या व्यक्तिगत

नोट--[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्थल पर हुआ है, इसकी जानकारी सामान्यतः शासन को होनी चाहिए। आप इसकी जानकारी से अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। अगले सप्ताह में इसको लूंगा।

(विरोध पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गयीं।)

मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो मेरे स्वर का विश्लेषण कर रहे हैं कि वह कृपया अपने स्वर का भी विश्लेषण करें।

विकास खण्ड बैतालपुर के कार्यालय पर परगना अधिकारी, देवरिया द्वारा डाला गया छापा तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निलम्बन

*11—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के विकास खण्ड बैतालपुर के कार्यालय पर एस0डी0एम0, देवरिया ने दिनांक 16-4-81 को सायं 5 बजे छापा डाला और कई कर्मचारियों के मकानों से 59 बोरी चावल एवं 5 टीन सोयाबीन तेल पुष्टाहार का बरामद किया है? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री सच्चिदानन्द—

जी हां। परगनाधिकारी, देवरिया ने विकास खण्ड बैतालपुर कार्यालय पर 16 तथा 17 अप्रैल, 1981 को छापा मारा तथा कर्मचारियों के आवास भवनों से 59 बोरी चावल तथा एक ड्रम और 2 टीन सोयाबीन का तेल, जो पुष्टाहार योजना का था, बरामद किया।

प्रारम्भिक जांच के दौरान दोषी पाए गये अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किए जाने के आदेश दे दिए गये हैं। सम्पूर्ण मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला विकास अधिकारी, देवरिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी निलम्बित किए गये उनके नाम क्या हैं?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, नाम इस प्रकार हैं—

श्री शिवराम भट्ट, खण्ड विकास अधिकारी, श्री फूलचन्द राम, सहायक विकास अधिकारी, श्री यदुनाथ सिंह, सहायक विकास अधिकारी, श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, श्री मंहगीराम, भारत पाण्डे, चन्द्र शेखर पाल, जट्टू प्रसाद, चौकीदार।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जैसा कि उत्तर में कहा गया कि विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी मामला बनता है तो क्या 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा इन लोगों के विरुद्ध कायम किया गया है? यदि किया गया है, तो कब और यदि नहीं किया गया है, तो क्या कायम करेंगे?

श्री सच्चिदानन्द—

इस पर जैसा मैंने निवेदन किया डी0डी0ओ0 जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही कार्यवाही कर सकेंगे।

*12—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[6वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

समस्त जनपदों के ग्राम विकास विभाग द्वारा बुलाए गये कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*13—श्री शंकर सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 19-10-81 को लखनऊ में आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग देने हेतु समस्त जनपदों से ग्राम विकास विभाग द्वारा कर्मचारियों

को बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों के लखनऊ पहुंचने के बाद ट्रेनिंग नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त ट्रेनिंग लखनऊ के किसी ऐसे इंस्टीट्यूट द्वारा दी जानी थी जिस नाम से कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी हां।

भारत सरकार ने उक्त प्रशिक्षण स्थगित कर दिया, जिसकी सूचना सभी सम्बन्धित जनपदों को भेज दी गयी थी, अतएव उक्त तिथि को प्रशिक्षण देने का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने उक्त प्रशिक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ में आयोजित करने के लिए निर्देश दिए थे जिसका तात्पर्य इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित है।

श्री शंकर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्थगन निर्देश दिए गये हैं जो जिलों को पहुंचाए गए वह किस तिथि को दिए गये ? माननीय मन्त्री जी की जानकारी में होगा कि हर जनपद से हजारों की संख्या में लोग लखनऊ आये और उस पर सरकार का लाखों रुपया टी0ए0 बिल के रूप में व्यय करना पड़ा होगा। जिस तिथि को प्रशिक्षण शुरु होना था उस तिथि तक यह स्थगन आदेश जिलों में नहीं पहुंचे थे ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, 16 अक्तूबर को, यह आदेश रेडियोग्राम द्वारा जिलों को भेज दिए गये।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह जो इंस्टीट्यूट मन्त्री जी ने बताया उसके नाम में भी अन्तर है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ट्रेनीज आये उनको इंस्टीट्यूट का पता ही नहीं था। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह स्थगन करने के आदेश कहां से आए और जो रेडियोग्राम भेजने में देरी हुई उसका क्या कारण है ? इस पर जो सरकार का धन व्यय हुआ उसके लिए किसी को दोषी ठहराया गया या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह भारत सरकार से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ को लिखा गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह जानने की कोशिश की कि यह ट्रेनिंग क्यों स्थगित कर दी गयी और क्या उत्तर उसका केन्द्र से प्राप्त हुआ ? जिस संस्था का नाम यहां पर लिया गया क्या वह लखनऊ विश्वविद्यालय का अंग है या उसे कोई और संस्था चला रही है ? यदि कोई पृथक संस्था चला रही है तो उसके अधिकारियों का नाम क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। 11, 12 जनवरी को पुनः निर्देश मिल गये हैं और वह ट्रेनिंग हो भी चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार ने केन्द्र सरकार से जानने की कोशिश की कि क्यों स्थगित कर दी गयी ?

श्री सच्चिदानन्द--

भारत सरकार ने स्थगित करने के लिए लिखा था इसलिए स्थगित की गयी।

पचायत सेवका/ग्राम सेवकों को दिया गया यात्रा भत्ता

*14—श्री बलवीर सिंह (रामपुर) (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत सेवक/ग्राम सेवक को साइकिल भत्ता दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? तथा ब्लाक में पहुंचने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत पंचायत सेवक/ग्राम सेवकों को रु0 20 प्रति माह की दर से तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत सेवक/ग्राम सेवकों को रु0 25 प्रति माह की दर से नियत यात्रा-भत्ता दिया जाता है। ब्लाक में पहुंचने हेतु नियमानुसार जो यात्रा-भत्ता अनुमन्य होता है, दिया जाता है।

विकास खण्डों में जिला स्टेयरिंग कमेटी का चयन तथा कच्ची सड़कों को पक्का करने का विचार

*15—श्री विजय सिंह राना (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री ने हर विधायक को अपनी स्वेच्छा से अपने क्षेत्र के हर विकास खण्ड में एक लाख रुपया खर्च करने का अधिकार अभी हाल ही में दिया है? क्या वह रुपया केवल पुरानी निर्मित सड़कों को पक्का किए जाने पर ही व्यय किया जायगा? यदि हां, तो क्या शासन इसमें से नई और पुरानी के प्रतिबन्ध को हटाने को सोच रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। प्रत्येक विकास खण्ड में एक लाख रुपए की योजना जिला स्टेयरिंग कमेटी द्वारा माननीय सदस्य विधान सभा के परामर्श से चयनित की जायगी। फिलहाल पिछले वर्ष बनाई गयी कच्ची सड़कों को ही खड़ंज/पक्का करने का विचार है। नई और पुरानी सड़कों का प्रतिबन्ध इन पुरानी बनी कच्ची सड़कों के स्थायी परिसम्पत्ति का रूप देने के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायगा।

आबकारी अधीक्षकों का चयन

*16—श्रीमती धनेश्वरी देवी (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1977 में आबकारी अधीक्षकों का जो चयन किया गया था वह तकनीकी कारण से उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया है? क्या यह सही है कि उक्त चयन को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायकों/माननीय मन्त्रियों के कुछ सुझाव शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोवर्धन तिवारी—

जी हां।

जी हाँ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और प्राप्त सुझावों में महत्वपूर्ण विधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रश्न निहित हैं जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में एक वाद उच्च न्यायालय में चल रहा है जो उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

जिला शाहजहांपुर की ग्राम सभा जोगराजपुर के प्रधान का नियमानुसार मनोनयन

*17—श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर विकास खण्ड खुटार की ग्राम सभा जोगराजपुर के प्रधान की मृत्यु व उप प्रधान के पंच चुने जाने पर हुई रिक्ति

के बाद न्याय पंचायत के पंच को कार्यवाहक प्रधान ग्राम सभा घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार उपरोक्त नियुक्ति को अवैध करार देकर नियमानुसार मनोनयन प्रधान ग्राम सभा जोगराजपुर का करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है?

जनपद मेरठ के राजकीय कृषि फार्म दौराला में गन्ने की फसल को क्षति

*18—श्री किरनपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मेरठ के राजकीय कृषि फार्म दौराला की 550 एकड़ भूमि पर पिछले खरीफ की कोई फसल नहीं बोयी गयी तथा लगभग 50 एकड़ भूमि पर गन्ने की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से हुआ? इससे प्रदेश को कितना धन की हानि हुई? तथा इसके लिए कौन दोषी है? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव

*19—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों के चुनाव कब तक कराये जायेंगे? क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति के चुनाव सीधे मतदान द्वारा कराये जायेंगे, जिसमें 18 वर्ष के आयु के लोग भी भाग लेंगे? यदि नहीं, तो क्यों,? यदि हां, तो कब तक?

श्री सच्चिदानन्द—

पंचायतों के निर्वाचन हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण होने में अभी कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। अतः शासन के निर्णयानुसार क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव जनवरी, 1982 से मार्च, 1982 के मध्य सम्पन्न करा दिये जायेंगे?

यह सही नहीं है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति के चुनाव सीधे मतदान द्वारा कराये जायेंगे जिसमें 18 वर्ष की आयु के लोग भाग लेंगे क्योंकि इसके लिए उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मित्रसेन—

मन्त्री जी ने कहा कि आवश्यक तैयारियां पूर्ण होने में एक वर्ष का समय लगेगा, तो इसमें कौन-कौन सी आवश्यक तैयारियां हैं, क्योंकि मतदाता सूची तो पिछले वर्ष ही तैयार हो गयी थी, तो मन्त्री जी इसके विषय में बतायें?

श्री सच्चिदानन्द—

निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची की कार्यवाही कर ली गई थी, अब मतदाता सूची तैयार करने में और प्रकाशन करने में काफी विलम्ब लगेगा। इसलिए यह प्रक्रिया अपनायी गयी।

श्री भाखा लाल—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि 1980 में विधान सभा चुनाव समाप्त होने के बाद जब से यह सरकार शासन में आई है उसके द्वारा कितने बार घोषणा की गयी है कि चुनाव कराये जायेंगे और जिनके सम्बन्ध में तिथियां भी घोषित की गयी थीं? तो क्या यह बिना तैयारी के की गयी थीं और यह सोचा गया था कि तैयारियां हो चुकी है?

श्री सच्चिदानन्द—

1981 में जन गणना हो रही थी, उसके पूरा समाप्त होने के बाद फिर मतदाता सूची प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है, इसलिए यह किया गया है।

श्री रियासत हसैन--

क्या मन्त्री जी को यह विदित है कि हर जिले में 18 साल की आयु की मतदाता सूची में सम्मिलित करने के आधार पर जिले-जिले में सूचियां तैयार हो चुकी हैं और एलेक्शन कमीशन एक महीने की नोटिस पर एलेक्शन कराने को तैयार है ? तो इसके बाद भी शासन को क्या कठिनाई है कि वह एक साल का समय बता रही है, वह मुख्य कारण क्या-क्या हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, आंकड़े तो प्रमाणित कर दिये गये हैं, वे प्रान्त, नगर वह तहसील स्तर के हैं, ग्रामवार आंकड़े उपलब्ध कराने में अभी एक वर्ष का समय और लगेगा ।

श्री मित्रसेन--

मन्त्री जी ने कहा है कि क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव जनवरी, 82 से मार्च, 82 के मध्य करा दिये जायेंगे तो जिन पंचायतों में प्रधान मर चुके हैं, उनके लिए वह क्या करेंगे ? क्या वह उनको पुनर्जीवित करेंगे?

श्री सच्चिदानन्द--

उसमें प्राविधान है कि उप प्रधान उसका काम देखेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मन्त्री जी ने कहा कि जनगणना होने से गांव सभाओं की मतदाता सूची तैयार करने में परेशानी हुई, तो गणना के बाद विधान सभा और लोक सभा में तो डिलिमिटेशन होता है, लेकिन गांव सभा का डिलिमिटेशन नहीं होता है, तो फिर सूची तैयार कराने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि उसकी सूची तैयार है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि यह अन्तिम जनगणना 81 में हुई है और ग्रामवार आंकड़े उपलब्ध होने में अभी समय लगेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शासकीय निर्देश के अनुसार 18 साल के वयस्क मताधिकार के आधार पर गांव सभा की मतदाताओं की सूचियां पहली जनवरी, 1982 को ही अन्तिम रूप से टांग दी गयी थी । तो जब अन्तिम रूप से टांग दी गयी तो फिर माननीय मन्त्री जी को चुनाव कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि जनगणना के आंकड़ों के बाद निर्धारण करना होता है कि कितने पंच होंगे, जिसमें एक वर्ष का समय लगेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने एक स्पष्ट बात पूछी थी कि जिस तारीख का उल्लेख माननीय मोहन सिंह जी ने किया, इस तारीख को सूची बन गयी, प्रकाशित हो गयी, जिलाधिकारियों द्वारा, तो उसके बाद किस नियम के आधार पर ग्रामवार आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

ग्राम पंचायतों का चुनाव पूरे प्रदेश में बिना पूरी तैयारी के करना कठिन है । इस समय इस पत्रावली में इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इन्होंने अपना कार्यक्रम प्रसारित कर दिया 30 अक्तूबर, 1981 से । हमारी जानकारी के मुताबिक सरकार के आदेश के अनुसार सूची बनाने का कार्य भी हो गया । 1 जनवरी, 1982 को उनकी अन्तिम सूची में प्रकाशित कर दी गयी । मान्यवर,

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्री जी जानबूझ कर तथ्यों को छुपा रहे हैं। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि हमारी इस बात का वे प्रतिवाद करें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी जानकारी है कि ट्रेंडर्स भी हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

क्या कोई मतदाता सूची प्रकाशित हो गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

(अत्यधिक शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है जिसका उत्तर इनकी पत्रावली में होगा। अपने आदेशों को बताने के लिए ये सूचना की आवश्यकता बताते हैं ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें। मुझे इनका उत्तर ही सुनाई नहीं दिया। मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि क्या एक ऐसी सूची प्रकाशित हुई है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, आदेश होते रहते हैं। मुझे इस समय पूरी-पूरी जानकारी नहीं है। ये अलग से प्रश्न कर लें।

(अत्यधिक शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जो मूल प्रश्न होता है उस पर क्या-क्या अनुपूरक प्रश्न हो सकते हैं, इसकी सारी जानकारी माननीय मन्त्री जी के पास उपलब्ध रहती है।

श्री अध्यक्ष--

आप यह बता दें कि क्या कोई सूची प्रकाशित हुई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, मेरे पास इस समय इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिला परिषद् एवं क्षेत्र समितियों के चुनाव 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं के आधार पर कराए जायेंगे। यह सरकार जानबूझ कर युवा शक्ति के साथ विश्वासघात कर रही है और इसलिए उत्तर नहीं दे रही है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, प्रश्न यह है कि क्या मतदाता सूची प्रकाशित हो गयी है या नहीं ? इसी का उत्तर कृपया दें ?

श्री सच्चिदानन्द--

यह सूचना इस समय नहीं है कि वह प्रकाशित हुई है या नहीं, यह इस समय मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

उनको यह मालूम नहीं है तो यह प्रश्न स्थगित किया जाता है, आप कृपया मालूम करके उत्तर दें।

बाराबंकी जिला परिषद के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण सम्बन्धी कार्य तथा डाक बंगले में रहे अधिकारियों से बकाया किराया वसूली

*20--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला परिषद् के सार्वजनिक

निर्माण विभाग ने 9-6-80 से 9-5-81 तक निर्माण सम्बन्धी कौन-कौन सा काम किया तथा जिला परिषद् में उक्त अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टाफ पर कितना वेतन खर्च किया ? क्या शासन को यह भी पता है कि बाराबंकी जिला परिषद् के 3 सूट वाले डाक बंगले में रहने वाले अधिकारियों से पिछले 10 वर्षों में वेतन का 10 प्रतिशत किराया वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन जिला परिषद् के डाक बंगले में रह चुके और रह रहे अधिकारियों से बकाया किराया वसूल करेगा ?

श्री सच्चिदानन्द---

जिला परिषद् बाराबंकी के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 9-6-80 से 9-5-81 तक की अवधि में 2,78,676.79 रुपए के निम्न कार्य कराए गये :-

19 शिक्षा भवनों की विशेष मरम्मत का कार्य।

8 अधूरे भवनों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य।

3 अधूरे शिक्षा भवनों का निर्माण।

परिषदीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।

इस अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टाफ पर 73,517.27 रुपए वेतन के रूप में व्यय हुआ।

वर्तमान समय में जो अधिकारी डाक बंगले के तीन सूटों में रह रहे हैं उनसे वेतन का 10 प्रतिशत किराया वसूला जा रहा है। पहले जिन अधिकारियों ने भुगतान नहीं किए हैं उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है वह सन्तोष से परे है और जो लिखकर दे दिया गया वह उत्तर माननीय मन्त्री जी ने पढ़ दिया। मेरी जानकारी यह है कि पिछले दस वर्ष से जो अधिकारी रह रहे हैं उनसे किराया नहीं लिया है। वे वहां किसके आदेश से रह रहे हैं, यह मालूम करना चाहता हूं और किसके आदेश से किराया वसूल नहीं किया जा रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द---

जिन अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया है उनसे वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

यह तो आप प्रश्न के बाद में कर रहे हैं। पहले जो यह व्यवस्था की गई थी वह किसके आदेश से की गयी थी ?

श्री सच्चिदानन्द---

मान्यवर, जहां तक जिला परिषद् के डाक बंगले की तीन सूटों के किराए का प्रश्न है, इस समय सम्बन्धित अधिकारियों से उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराए के रूप में लिया जा रहा है। पिछले 10 वर्ष के बीच में जिला परिषद् डाक बंगले में जो अधिकारी रह चुके थे उनके नाम सर्वश्री एस0के0 माथुर, कार्यकारी, रामनरेश सिंह, अतिरिक्त मुख्याधिकारी, आर0सी0 धवन, अतिरिक्त मुख्याधिकारी, बी0बी0 खरे, अतिरिक्त मुख्याधिकारी, एस0एन0 बाजपेयी, अतिरिक्त मुख्याधिकारी, राम किशोर वर्मा, अतिरिक्त मुख्याधिकारी हैं, जिनमें से राम नरेश सिंह, एस0के0 माथुर, आर0सी0 धवन को छोड़कर शेष सभी ने पूरा किराया जमा किया है। श्री एस0के0 माथुर, पर 3556.89 रुपए, श्री रामनरेश सिंह पर 2459.76 रुपए, तथा श्री आर0सी0 धवन पर 2784.14 रुपए किराया बाकी है। श्री राम नरेश का देहान्त हो चुका है जिनके किराए को राइट आफ करने के लिए एवं अन्य से वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं प्रश्न किए लेता हूं। यह जो जिला परिषद् का बंगला है, इसको उन्होंने आवासीय बना दिया है, तो क्या अब जिला परिषद् के लिए कोई दूसरा डाक बंगला बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय वाजपेयी जी, अब तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। आप अपने कमरे का ताला खुला नहीं रखते हैं, इसीलिए आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद फर्रुखाबाद में आलू के भावों में मन्दी

**1 श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा प्रभू नारायण सिंह—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद, जो प्रदेश में आलू उत्पादन में अग्रणी है, की मण्डी में विभिन्न किस्म के आलू के भावों में भयंकर मन्दी चल रही है जिसके फलस्वरूप आलू उत्पादक कृषक की आर्थिक स्थिति जर्जर हो रही है ? यदि हां, तो सरकार आलू उत्पादकों को इस भयंकर मन्दी से बचाने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्र में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आलू के दाम घटे हुए हैं।

फर्रुखाबाद से आसाम की ओर आलू भेजने की पूर्व पद्धति व्यवस्था में इस वर्ष रेलवे द्वारा कुछ मौलिक परिवर्तन पर्याप्त रेलवे पर छोटी लाईन बड़ी लाईन में बदलने के परिणामस्वरूप किए गये हैं। इन परिवर्तनों के सम्भावित प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा रेलवे व कृषि मन्त्रालय का ध्यान इस ओर पहले से आकर्षित कराया जाता रहा है। मुख्य मन्त्री जी ने भी इस सम्बन्ध में केन्द्र के सम्बन्धित मंत्रियों का ध्यान रेलवे की नई परिचालन योजना से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर लिखित व मौखिक रूप से आकर्षित किया है और उत्पन्न नई समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की है। मैंने भी इस सम्बन्ध में दिल्ली जाकर व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप आसाम को आलू भेजने की व्यवस्था में कुछ सुधार रेलवे द्वारा किए गये हैं और नैफेड के माध्यम से आलू की खरीद भी शीघ्र शुरू हो जाने की आशा है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, यह एक अत्यधिक गम्भीर समस्या है, जिससे सारे प्रदेश के और विशेष कर फर्रुखाबाद जनपद के आलू उत्पादक पीड़ित हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस वर्ष शासन ने अपने आंकड़ों के हिसाब लगभग 49 लाख मीट्रिक टन आलू इस प्रदेश में पैदा होना चाहिए, जिसमें से केवल फर्रुखाबाद जनपद में ही 13 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हो रहा है। मान्यवर, आलू के भावों में पिछले वर्ष की अपेक्षा दाम घटा ही नहीं है, बल्कि प्रदेश का उत्पादक कृषक इस भयंकर मन्दी का शिकार हो रहा है। इस समय आलू का मूल्य 30 से 35 रुपए क्विंटल है, जो लागत मूल्य से कहीं कम है। मान्यवर, इस समस्या से माननीय मन्त्री जी अवगत हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, इस भयंकर स्थिति का मुकाबला करने के लिए जो माननीय मन्त्री जी ने कारगर कदम उठाए हैं और रेलवे मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित कराया है, जिनके

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 2) के उत्तर का तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा कुछ सुधार किए गये हैं। तो म मन्त्री जी से यह जानना चाहता कि वह क्या तत्काल सुधार रेलवे द्वारा किए गये हैं ताकि जो एक महीने से आलू उत्पादक कृषक मन्दी का शिकार हो रहा है, न हो सके। म यह भी जानना चाहता हूं कि नफेड के माध्यम से आलू की खरीद करने में उनको क्या कठिनाई है? क्योंकि निरन्तर आलू कृषक इसका शिकार हो रहा है? क्या माननीय मन्त्री जी इसका कोई स्पष्ट आश्वासन देना चाहेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, सारे देश में 100 लाख मैट्रिक टन आलू पैदा होता है। इसमें से 48–50 (लाख) मैट्रिक टन हमारे प्रदेश में पैदा होता है और इसमें से फर्रुखाबाद में 10 लाख मैट्रिक टन पैदा हुआ करता है और हमारे यहां से आलू आसाम और दूसरे प्रदेशों में जाता है। इस वर्ष रेगुलाइजेशन की स्कीम की वजह से केन्द्रीय मन्त्रालय ने जो आदेश दिए उसमें ट्रेन कोई एक आदमी बुक करा सकता है कई लोग अलग-अलग वैगन बुक नहीं करा सकते हैं। इसकी जानकारी जब माननीय मुख्य मन्त्री को मिली तो केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय से बात की गयी और व्यक्तिगत स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कृषि और रेल मन्त्रालय में चर्चा किया और मैं भी 3 रोज वहां रहा। बड़ी लाईन से हर तीसरे रोज 75 वैगन की एक ट्रेन आसाम जाती है और छोटी लाईन से 65–70 वैगन की रेल अलग से देते हैं। छोटी लाईन सीधे आसाम को जाती थी उस लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने से डिब्बों की दिक्कत आ गई थी लेकिन रेल मन्त्रालय ने मुझे यह विश्वास दिलाया है और आश्वासन दिया है कि जितने वैगनों की आवश्यकता होगी, वह हमको देंगे और छोटे किसानों, बड़े व्यापारी या बिचौलिए शोषण नहीं कर पायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय मन्त्रालय से व्यक्तिगत अलग-अलग लोगों को रेल बुक करने का भी आग्रह किया है कि अगर एक व्यक्ति रेल को बुक करेगा तो छोटे-छोटे किसानों का शोषण होगा। इसमें यह होना चाहिए कि अगर कोई एक या दो डिब्बा बुक कराना चाहे तो उसको बुक किया जाय ताकि बड़े व्यापारी या बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण न कर सकें।

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिचौलिए किसानों का शोषण नहीं कर पायेंगे और आलू जो इकट्ठा हो रहा है वह इकट्ठा नहीं होने पाएगा। अभी जो आलू इकट्ठा हुआ उसमें ऐसा हुआ कि फर्रुखाबाद में किसानों ने आलू खोद कर गेहूं की बुआई शुरू कर दी। फरवरी में 1080 वैगन की और 31 मार्च तक हमको सम्भवतः जितनी जरूरत है उसके अनुसार 10 हजार 8 सौ वैगन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए केन्द्रीय रेल मन्त्रालय को लिखा जा चुका है। नेफेड के प्रतिनिधि फर्रुखाबाद गये थे और वहां पर 5–6 जगह सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि कहां-कहां से खरीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार का पी० सी० डी० एफ० और नैफेड आलू की खरीद करेगा। दोनों संस्थाएं खरीद करेंगी ऐसा कृषि विभाग केन्द्रीय सरकार का निर्देश है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो दिक्कत आई है आलू की फसल की पैदावार 48 लाख मैट्रिक टन होती थी, इस साल 50 लाख मैट्रिक टन पैदा होगी। इसमें 12 लाख मट्रिक टन लोकल कंजम्प्शन के लिए, 17 लाख मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज में रखने की कपेसिटी है और 17 लाख मट्रिक टन आलू बाहर भेजनी पड़ेगी। 4 लाख मैट्रिक टन आलू हमेशा सड़ जाया करती है। इस तरह का आलू का ब्रेकअप है जो मेरी जानकारी में था उसको मैंने बता दिया।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि सरकार चिन्तित है आलू के अधिक उत्पादन से मन्त्री जी को अधिक उपज से अधिक चिन्ता है, और प्रयास कर रहे हैं कि आगे कम उपज हो। मान्यवर, यह बात स्पष्ट है कि किसान को आलू उत्पादन में जो लागत लगानी पड़ रही है वह उसको नहीं आ रही है और वह घाटे में जा रहा है, इसलिए किसान की आर्थिक स्थिति

गिरती जा रही है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जो लागत है उसको देखते हुए क्या वह कोई आलू की कीमत प्रति क्विंटल फिक्स करेंगे जिस पर किसान का आलू बिक जाय? चूंकि मन्त्री जी ने जो बताया है इससे लगता है। कि वह परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए जो व्यवस्था की गयी है, वह ठीक नहीं है और उससे किसानों को घाटा हो रहा है।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त किया है उससे सारा सदन और सरकार अवगत है और मैं व्यक्तिगत रूप से चूंकि आलू भी खेती करता हूं, इसलिए मेरी भी भविष्य में आर्थिक स्थिति तभी ठीक हो सकती है, जब मैं उत्पादित आलू से कम कीमत पर आलू न बिके इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। चूंकि हमारी सरकार एहसान फरामोश नहीं है, सरकार और हमको किसानों ने चुनकर भेजा है, इसलिए हमारी सरकार जानती है कि किसानों की ही खुशहाली में प्रदेश व देश की खुशहाली निहित है। इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर याद आ रहा है :—

बुरे वक्त के साथियों को भुला देते हैं लोग,
सुबह होते ही चिरागों को बुझा देते हैं लोग।

हम इसलिए उचित मूल्य पर किसानों का आलू बिक जाय इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मुझे भी प्रश्न पूछने का समय मान्यवर, दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपके यहां मूली होती है, आलू तो होता नहीं है।

(हंसी)

क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के सदस्यों का मनोनयन एवं चुनाव की प्रक्रिया

**2—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री नियंत्रण—

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की खण्ड विकास समितियों एवं जिला परिषदों के चुनावों तथा इनमें 15-15 सदस्यों के मनोनयन के सिलसिले में शासन ने कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो मनोनयन एवं चुनाव की प्रक्रियाएं क्या होंगी?

श्री सच्चिदानन्द—

जी हां।

क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों की सदस्यता के लिए अन्य सदस्यों का चुनाव विधि पूर्वक होगा। समस्त सदस्यों के मनोनयन/चुनाव हो जाने के पश्चात क्षेत्र समिति/जिला परिषद् के गठन की विज्ञप्ति जारी की जायगी और तदनुसार क्षेत्र समितियों/जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा प्रमुख/अध्यक्ष का चुनाव किया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी क्या बताने की कष्ट करेंगे कि जो उन्होंने क्षेत्रीय समितियों तथा जिला परिषदों की सदस्यता के लिए व अन्य सदस्यों के लिए चुनाव को बताया है कि विधिपूर्वक होगा तो वह विधि क्या होगी? दूसरी बात यह है कि मनोनयन और चुनाव के बाद विज्ञप्ति जारी कर दी जायगी गठन की, यह मन्त्री जी ने बताया है लेकिन यह नहीं बताया कि मनोनयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो मनोनयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसको बता दें?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था इसलिए उत्तर दे दिया गया है। इस समय यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिए विस्तार से इस पर चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा प्रश्न इलाहाबाद में जो रिट विचाराधीन है उससे सम्बन्धित नहीं है। आपने मनोनयन के बारे में जो निर्णय लिया है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वह बता दें ?

श्री सच्चिदानन्द —

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि चूंकि यह उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए जनहित में उचित नहीं होगा कि इस पर विस्तार से चर्चा की जाय।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने याचिका की है इसलिए जरा मुझे भी पूछ लेने दें।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जिला परिषद् और ब्लाक समितियों का चुनाव विधिपूर्वक होगा, एक पोरशन यह है और दूसरा पोरशन है कि मनोनयन के बाद विज्ञप्ति जारी होगी। तो चुनाव होगा या मनोनयन होगा ? आपने कहा है कि मनोनयन के बाद विज्ञप्ति जारी होगी तो आपके उत्तर से सम्बन्धित है कि चुनाव नहीं होगा मनोनयन होगा तो इसकी विधि क्या होगी इसको बता दें।

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मनोनयन करना या न करना यह अलग है। मनोनयन किस तरह से होगा इसका उत्तर दे देंगे।

(कुछ देर तक उत्तर न आने पर)

एक सदस्य—

यह आपकी अवज्ञा कर रहे हैं।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

काहे की शेम, भइया।

श्री मोहन सिंह—

बेशर्मों को, शेम कहने की क्या जरूरत है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

शेम इसलिए कि इन्होंने जिला परिषद् को भंग कर दिया था, इसलिए शेम है।

श्री अध्यक्ष—

मनोनयन की क्या प्रक्रिया हो यह पूछ रहे हैं। आपको करना है या नहीं करना है, यह प्रश्न विचाराधीन है। लेकिन मनोनयन किस तरह से होगा ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, मनोनयन तो हमेशा शासन ही करता है और शासन द्वारा किया जायगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इनके अध्यादेश की वैधानिकता को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। मनोनयन की क्या प्रक्रिया एडाप्ट की गयी है इसके बारे में प्रश्न है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिसके बारे में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है वह प्रक्रिया क्या है ? क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के महा मन्त्रियों को एक परिपत्र 3 दिसम्बर, 81 को इस आशय का जारी नहीं किया गया कि आप सभी लोग ऐसे

व्यक्तियों के नाम मनोनयन के लिए भेज दें जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के कारण कारावास की सजा भुगत चुके हों और यदि ऐसे व्यक्तियों के नाम नहीं भेजे जायेंगे तो वे जिला परिषदों एवं खण्ड विकास समितियों के मनोनयन के पात्र नहीं होंगे ? यदि माननीय मन्त्री जी हमारी इस सूचना को गलत बता सकें तो बतायें ?

श्री सच्चिदानन्द—

कौन सा राजनीतिक दल किस तरह के निर्देश अपने सदस्यों को देता है, उसकी जानकारी हमें नहीं है ।

(शोर)

अतारांकित प्रश्न

कृषि कामदार की नियुक्ति में अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र

1—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री खूब लाल ने माह जनवरी, 1980 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को कोई शिकायती-पत्र कृषि कामदार की नियुक्तियों में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भान प्रताप सिंह—

जी हां ।

श्री खूबलाल को बागापार प्रक्षेत्र पर हलवाहा के पद पर नियुक्त किया गया था क्योंकि कामदार का कोई पद रिक्त नहीं था ।

ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में छूट की खादी के वितरण में अनियमितता

2—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में छूट की खादी के वितरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार, अनियमितता, चोर बाजारी तथा अधिक दाम लेने आदि सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र कानपुर के कांग्रेस (आई) के किसी संसद सदस्य या कांग्रेस के विधायक अथवा ब्लाक ककवन कांग्रेस (आई) संगठन के किसी पदाधिकारी ने जिला प्रशासन या प्रदेशीय शासन को जुलाई, 1980 से 5 फरवरी, 1981 के मध्य प्रेषित किया है ? यदि हां, तो किसे तथा वह शिकायती-पत्र क्या है ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के ग्राम अकबरपुर में लघु औद्योगिक केन्द्र की स्थापना

3—श्री राम लाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सबसे पिछड़े क्षेत्र (गोमती नदी का तटवर्ती) विकास खण्ड अहिरोरी के ग्राम अकबरपुर में लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रकार की फिलहाल कोई योजना ग्राम्य विकास विभाग के विचाराधीन नहीं है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सेवा सदन मंझगाई, ब्लाक नौगढ़, जिला वाराणसी द्वारा कराये गये कतिपय कार्य तथा शासन द्वारा सहायता एवं मकान बनाने हेतु अनुदान

4—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में सेवा सदन (मिशन) मंझगाई, ब्लाक नौगढ़, वाराणसी ने 50 कुयें 15 किलोमीटर मंझगाई से बोझ, जमीन का समतलीकरण, 40 हजार एकड़, 7 तालाब एवं चिकित्सा की व्यवस्था किया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सहायता इस कार्य में दी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत मदों में सेवा सदन द्वारा कतिपय कार्य कराये गये हैं। शासन द्वारा प्रश्नगत कार्यों के लिए इस सेवा सदन को कोई सहायता नहीं दी है।

श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सेवा सदन ने गरीब किसानों को खाद एवं गेहूं के बीज का भी वितरण किया है और एक सहकारी समिति भी बनायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेवा सदन मंझगाई, ब्लाक नौगढ़, जिला वाराणसी के सभी कार्य का मूल्यांकन करने की कृपा करेगी और गरीबों के लिए मकान बनाने हेतु अनुदान इस सेवा सदन को देगी।

श्री बलराम सिंह यादव—

सेवा सदन द्वारा केवल 10 क्विंटल गेहूं के बीज का वितरण गरीब कृषकों में किया गया और उनके द्वारा कोई सहकारी समिति नहीं गठित की गयी।

चूंकि सेवा सदन द्वारा किए गये कार्यों के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है अतः उनके कार्यों के मूल्यांकन कराने तथा मकान बनाने हेतु अनुदान देने का प्रश्न नहीं है।

विकास खण्ड खोराबार में बनस्पति से बरसाइत से रायगंज सम्पर्क मार्ग पर किया गया निर्माण कार्य तथा बकाया मजदूरी का भुगतान

6—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास खण्ड खोराबार के अन्तर्गत बनस्पति से बरसाइत से रायगंज सम्पर्क माग पर 34 मजदूरों द्वारा दिनांक 22-7-79 से दिनांक 18-8-79 तक काम किया था और उनकी मजदूरी आज भी बकाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 12-8-80 को श्री बन्सू, ग्राम रायगंज, जिला गोरखपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर व विकास खण्ड अधिकारी, खोराबार को पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर जिले के विकास खंड खोराबर के अन्तर्गत बनस्पति से बरसाइत से रायगंज सम्पर्क मार्ग पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कार्य किया गया। इस कार्य में लग 34 मजदूरों को 28 दिन की मजदूरी का भुगतान इसलिये बकाया बताया गया है क्योंकि भुगतान इन मजदूरों के बजाय दूसरों को कर दिया गया है। जिस जांच के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आय उसमें तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) तथा मेरट को दोषी ठहराया गया है और रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में अभिलेखों के साथ कर दी गई थी। जिलाधिकारी, गोरखपुर को यह निर्देश दिय जा रहे है कि जो भी बकाया मजदूरी है उसका भुगतान कर दिया जाय और औपचारिक कार्यवाही की प्रतीक्षा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। प्राप्त सूचना के आधार पर श्री बन्सू ग्राम

रायगंज जिला गोरखपुर द्वारा उल्लिखित पत्र जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया है ।

जनपद बदायूं में अन्त्योदय योजनान्तर्गत परिवारों का चयन

7—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में सन् 1979–80 व 1980–81 में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया था और किस आधार पर ? इनमें से कितनों को पूर्ण रूप से सहायता दे दी गयी ? कितने परिवार अपूर्ण रह गये हैं और इनको कब तक पूर्ण रूप से सहायता दे दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बदायूं में वर्ष 1979–80 में 8487 अन्त्योदय परिवारों का निर्धनतम 5 परिवार प्रति राजस्व ग्राम के आधार पर चयन किया गया। वर्ष 1980–81 में कोई चयन नहीं किया गया। चयनोपरान्त 31–7–81 तक 2419 अन्त्योदय परिवारों को पूर्ण सहायता दी गयी तथा 1–8–81 से योजना के स्थगन के फलस्वरूप 6068 परिवार अपूर्ण रह गये जिनको एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा विशेष कम्पोनेन्ट प्लान की योजना के अन्तर्गत उक्त योजनाओं के मार्ग निर्देशों के अनुरूप तथा सम्भव वित्तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये यथाशीघ्र लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

एग्रो कम्पनी द्वारा सचिव पद का विज्ञापन तथा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार

8—श्री रामलाल वर्मा—

प्रथम सत्र 81 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के क्रम में क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एग्रो द्वारा सचिव पद रिक्तता विषयक विज्ञापन किस दिनांक एवं किन पत्रों में प्रकाशित हुआ और फलस्वरूप कितने प्रार्थना पत्र आये ? साक्षात्कार कब व किसके द्वारा किया गया ? साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे ? चयन समिति की रिपोर्ट किस दिनांक व क्या दी गयी एवं श्री पाठक की नियुक्ति-पत्र एग्रो द्वारा किस दिनांक को जारी किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

एग्रो द्वारा कम्पनी सेक्रेटरी पद का विज्ञापन निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया—

1—नेशनल हैराल्ड, लखनऊ दिनांक 17–10–1976
2—दि पायनियर, लखनऊ दिनांक 16–10–76
3—हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 18–10–76

उक्त पद के लिये 12 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। साक्षात्कार 30–11–76 को शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया।

साक्षात्कार में 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। चयन समिति की रिपोर्ट 30–11–76 को दी गयी जिसके अनुसार श्री के0 एन0 पाठक को प्रथम स्थान पर एवं द्वितीय स्थान पर श्री जी0 एस0 वाजपेई को रखा गया। श्री पाठक को एग्रो द्वारा नियुक्ति पत्र दिनांक 7–4–78 को जारी किया गया।

जनपद बांदा के कतिपय विकास खण्डों में अन्त्योदय कार्यक्रमान्तर्गत वितरित की गयी धनराशि

9—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खण्ड, बडोरर महुआ विसण्डा व बबेरु में वर्ष 1978–79, 1979–80 तथा 1980–81 में अन्त्योदय कार्यक्रम में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि दी गयी और यह धनराशि क्या सभी ग्राम सभाओं को दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद बांदा के विकास खण्ड बडोखर, महुआ, विसन्डा व बवेरू में जिला परिषद् द्वारा अन्त्योदय कार्यक्रम में निम्नलिखित धनराशि वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में वितरित की गयी:--

विकास खण्ड	वर्ष 1978-79 (रुपयों में)	वर्ष 1979-80 (रुपयों में)	वर्ष 1980-81 (रुपयों में)
बडोखर खुर्द	62,000	1,91,310	1,56,224
महुआ	91,000	3,68,900	52,900
विसन्डा	30,000	1,12,900	26,200
बवेरू	..	1,46,500	29,500

उक्त धनराशि किसी ग्राम सभा को नहीं दी गयी, क्योंकि अन्त्योदय कार्यक्रम में ग्राम सभाओं को धनराशि दिये जाने का नहीं वरन् योजना में चयनित अन्त्योदय परिवारों को ऋण एवं अनुदान वितरण का प्राविधान है।

जनपद बांदा के कतिपय विकास खण्डों में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर व्यय

10--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड बडोखर, महुआ व विसन्डा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर 31-3-81 तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया ? कितनी धनराशि निश्चित समय के अन्तर्गत किन कारणों से व्यय नहीं की जा सकी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बांदा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड बडोखर, महुआ व विन्सडा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर 31-3-81 तक कुल 8,47,474.88 रुपये व्यय किये गये। निश्चित समय के अन्तर्गत कुल 3,57,525.12 रुपये व्यय नहीं किये जा सके क्योंकि विकास खण्ड बडोखर को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में 2-10-80 से शामिल किया गया जिससे 31-3-81 तक लाभार्थियों के चयन तथा योजना बनाने का ही कार्य किया जाना सम्भव हो सका और फलस्वरूप धन का आवंटन भी वर्ष के अन्तिम समय में सम्भव हुआ।

विभिन्न विकास खण्डों में संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण कृषकों एवं मजदूरों को वितरित माल

11--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में शासन द्वारा बदायूं जनपद की दो संस्थाएं दातागंज एवं सहसवान तथा जनपद बरेली तहसील आंवला की एक संस्था को सरकार की स्कीम के अन्तर्गत डनलप गाड़ी, तांगा, ग्रामीण कृषकों एवं मजदूरों को सप्लाई करने की अनुमति अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) बदायूं ने विकास खण्डों के अधीन दी थी ? यदि हां, तो किस-किस विकास खण्ड में कितना-कितना माल किस-किस संस्था द्वारा सप्लाई किया गया और किस-किस संस्था को अब तक कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण कृषकों एवं मजदूरों को वितरित माल का विवरण संलग्न है।

इस परियोजना में इनलप गाड़ी–तांगा कार्यक्रम पर संस्थागत ऋण के विरुद्ध अनुदान दिया जाता है। अतएव इन संस्थाओं को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बदायूं ने कोई धनराशि भुगतान नहीं की अपितु उक्त माल का क्रय कृषकों द्वारा बैंकों से लिए गये ऋण से वहन किया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 143 पर)।

जनपद जौनपुर में गांव सभाओं को नलकूप निर्माण हेतु ऋण का वितरण तथा वसूली

12—श्री जंगबहादुर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में पंचायती नलकूप 1969–75 तक पंचायतों को ऋण देकर निर्मित कराये गये थे जिनके ऋण का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया ? क्या यह सही है कि दुर्व्यवस्था के कारण सब नलकूप बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन ऋण की वसूली, उनको पुनः चलाए जाने अथवा उनके नीलाम करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1967–68 से 71–72 तक की अवधि में जौनपुर की 139 गांव सभाओं को मू0 12,83,500 रुपये गांव सभा नलकूप निर्माण हेतु ऋण वितरण किया गया। जिसमें से मूल्य 2,96,664.91 रु0 की वसूली हो चुकी है। इसमें से 117 नलकूप पूर्ण रूप से तैयार हो कर चालू हुये हैं तथा 22 नलकूप बोरिंग असफल होने के कारण तथा विद्युत कनेक्शन न मिलने के कारण चालू नहीं हो सके।

उपरोक्त चालू नलकूपों में से 12 नलकूप नीलाम भी किये जा चुके हैं।

गांव सभाओं को वितरित ऋण की शेष धनराशि की वसूली में प्रगति लाने तथा नलकूपों को सही ढंग से चलाने की समुचित व्यवस्था किये जाने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई थी जिसे उक्त समस्त नलकूपों की जांच करके अपने संस्तुति आयुक्त, वाराणसी मंडल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजनी थी। उक्त समिति ने अपनी संस्तुति आयुक्त, वाराणसी मंडल को भेज दी है, जो उसका परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही करा रहे हैं।

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य बढ़ने से पूर्व कृषि विभाग में उर्वरक का स्टाक

13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जुलाई, 1981 को दूसरे सप्ताह में रासायनिक उर्वरकों के दाम बढ़ने के पूर्व सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के पास कितनी मात्रा में उर्वरक स्टाक में थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

प्रदेश में कृषि विभाग के पास कुल 54807·671 टन विभिन्न प्रकार के उर्वरक दिनांक 10–7–81 (मूल्य बढ़ने के पूर्व) स्टाक में थे।

अन्य के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

फैजाबाद जनपद के जलालपुर और मियांव ब्लाकों में आवंटित खाद का वितरण

14—श्री शेर बहादुर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर और मियांव ब्लाकों में जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक छूट की खाद कितनी आवंटित हुई तथा किन-किन गांवों को कितनी-कितनी खाद दी गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक आवंटित खाद का वितरण संलग्नक में दिया गया है।

ब्लाक जलालपुर तथा मियांव के अन्तर्गत 249 गांवों में 7522 कृषक लाभान्वित हुये। दी गई खाद का वितरण कृषि मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर)।

निजी मान्यता प्राप्त पौधशालाओं से क्रय किए गये पौधे

15—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्धारित विभागीय नीति, जिसके अन्तर्गत राजकीय पौध शालाओं पर उपलब्ध स्टाक समाप्त होने के पश्चात ही निजी मान्यता प्राप्त पौधशालाओं से पौध क्रय किए जा सकते हैं, परन्तु निदेशक उद्यान एवं सफल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) उपरोक्त नीति की अवहेलना कर मैदानी क्षेत्र की राजकीय पौध शालाओं पर पौधे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद निजी पौधशालाओं से पौधे क्रय कर पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं। मैदानी क्षेत्र के राजकीय पौधशालाओं में पौधे उपलब्ध न होने पर ही निजी मान्यता प्राप्त पौध शालाओं से पौधे क्रय किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 के0 त्रिपाठी, पशुधन विकास अधिकारी का स्थानान्तरण

16—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या पशुधन मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र जो माह अगस्त, 1981 के प्रथम सप्ताह में दिनांक 30-9-81 का पत्र डा0 आर0 के0 त्रिपाठी पशुधन विकास अधिकारी के सम्बन्ध में लिखा गया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इन दोनों पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री भानु प्रताप सिंह—

डा0 आर0 के0 त्रिपाठी, पशुधन विकास अधिकारी के स्थानान्तरण के बारे में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6-8-81 तथा दिनांक 29-9-81 प्राप्त हुए थे। दिनांक 6-8-81 के पत्र पर विचार करके निदेशक, पशुपालन के आदेश दिनांक 27-8-81 द्वारा डा0 त्रिपाठी को प्रतापपुर कमैचा (सुलतानपुर) पर पुनः पदस्थ कर दिया गया जहां डा0 त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। दिनांक 29-9-81 के पत्र के आधार पर मध्य सत्र में डा0 त्रिपाठी का पुनः स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया।

17—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या यह सही है कि डा0 आर0 के0 त्रिपाठी का स्थानान्तरण 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद जनपद सुल्तानपुर से 30-6-81 को जनपद बहराइच हुआ था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने स्थानान्तरित स्थान पर लगभग 15 दिनों तक कार्य किया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को पुनः क्यों और कहां स्थानान्तरित किया गया?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। डा0 त्रिपाठी को प्रतापपुर कमैचा (सुलतानपुर) पर पुनः पदस्थ कर दिया गया है जहां उन्होंने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। अन्यत्र स्थानान्तरित करना उचित नहीं समझा गया।

सिन्थेटिक एवं रबर फैक्ट्री, बरेली के स्टाइरीन बेचने की अनुमति तथा देय टैक्स

18—श्री खैरुल बशर—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिन्थटिक एवं रबर फैक्ट्री, बरेली को स्टाइरीन बेचने की स्वीकृति कब दी गयी थी और किस एग्रीमेन्ट (समझौता) के अन्तर्गत दी गयी थी ? यदि नहीं, तो उक्त फैक्टरी स्टाइरीन किन नियमों के अन्तर्गत बेच रही है ? क्या स्टाइरीन बिक्री पर कोई सरकारी टैक्स देय है ? यदि हां, तो उसकी वसूलयाबी न किये जाने के क्या कारण हैं और इसके परिणाम स्वरूप शासन को कितनी क्षति उठानी पड़ रही है ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

जी हां ।

संबंधित इकाई के अनुरोध पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी ।

अब बिना अनुमति नहीं बेच रही है ।

आबकारी नियमों के अन्तर्गत स्टाइरिन की बिक्री पर कोई आबकारी टैक्स देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स रबर फैक्ट्री, बरेली पर अल्कोहल की बकाया धनराशि

19—श्री खैरुल बशर—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स रबर फैक्ट्री, बरेली पर अल्कोहल बैंड फी का कितना रुपया सरकारी बकाया है? क्या इस सिलसिले में उच्चतम न्यायालय में कोई मुकदमा भी दायर है ? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

श्री गोवर्धन तिवारी—

लगभग 28.49 करोड़ रुपये ।

जी हां ।

अभी पैरवी की जा रही है अभी अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हुआ है ।

जनपद मिर्जापुर की दुद्धी तहसील में खाद्यान्न योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

20—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में वर्ष 1979–80 में खाद्यान्न योजनान्तर्गत कितने बांध व सड़कें बनायी गयी हैं तथा इनके रख रखाव के लिए सरकार क्या कर रही है ? तथा कितने बांध व सड़क अधूरे हैं ? क्या इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार उचित कार्यवाही शीघ्र करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में वर्ष 1979–80 में खाद्यान्न योजनान्तर्गत 51 बन्धियां एवं 91 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त 7 बन्धियां तथा 11 सम्पर्क मार्ग अपूर्ण रह गये ।

इन सम्पर्क मार्गों एवं बन्धियों के रखरखाव के लिये वर्तमान समय में कोई व्यवस्था नहीं है । अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के आधार पर पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण

21—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में तांतपुर मार्ग से जारु आकटरा तथा ग्वालियर मार्ग से नैनाजाट तक के जिला परिषद् के मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने और जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद भी उनका निर्माण अभी तक सम्भव नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उन्हें अब पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आगरा जनपद में तांतपुर मार्ग से जारुआ कटरा तक की जिला परिषद् की क्षतिग्रस्त सड़क की पैच मरम्मत एवं प्रीमिक्सिग कार्यों हेतु ठेके स्वीकार किये जा चुके थे, परन्तु मैक्सफल्ट उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य अभी तक नहीं कराये जा सके। मैक्सेफाल्ट हेतु दिनांक 10-3-81 को रु0 1,74,479.20 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन नई दिल्ली को अग्रिम धनराशि भेजी जा चुकी है। फिलहाल स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से 100 ड्रम मैक्सफाल्ट लेकर जनहित में दिनांक 14-12-81 से इस मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

नैनाना जाट मार्ग पर कार्य मार्च, 82 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

जनपद बस्ती के खाद्य एवं बीज ढुलाई हेतु आमंत्रित किए गये टेंडर

22—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद का खाद एवं बीज ढुलाई का टेंडर जो तारीख 6-8-81 को किया गया था, उसमें किन-किन व्यक्तियों द्वारा टेंडर दिया गया था एवं उनका प्रतिशत दर क्या-क्या था ? क्या यह सही है 188 प्रतिशत दर वाले व्यक्ति का टेंडर न स्वीकृत करके 190 प्रतिशत दर वाले व्यक्ति का टेंडर अनियमित रूप से स्वीकार कर शासन को भारी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गयी ? क्या यह सही है कि लोकल ढुलाई कम की गयी है ? यदि हां, तो क्या टेंडर स्वीकृत करते समय तुलनात्मक विवरण का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो घटित शासकीय क्षति का कौन जिम्मेदार होगा ? क्या शासन री-टेंडर कराकर क्षति को बचाने का प्रयास करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां, 6-8-81 को टेन्डर किया गया था। टेन्डर सर्व श्री फतेह अहमद, मु0 मुस्लिम, डी0एन0 यादव, रामनिरीक्षण सिंह, गोरखनाथ सिंह एवं विद्याभूषण सिंह बघेल द्वारा दिया गया था। जिसमें अन्तिम 4 टेन्डर वैध न होने के कारण ग्राह्य नहीं किये गय। शेष दो टेन्डरों की अनुसूचित दरों से अधिक प्रतिशतता क्रमशः 190 व 178 थी।

जी नहीं, किसी भी वैध टेन्डर में 188 प्रतिशत की दर निविदत्त नहीं थी।

लोकल ढुलाई आवश्यकतानुसार की जाती है तथा दरों की स्वीकृति के समय वैध प्रस्तावों का तुलनात्मक विवरण का ध्यान रखा गया।

क्षति एवं रि-टेन्डर का प्रश्न नहीं उठता।

23-25—श्री ऊदल—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 200-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मेसर्स रेलीज इंडिया द्वारा मिक्सचर उत्पादन केन्द्र हेतु निम्न श्रेणी के नमूने तथा नोटीफिकेशन होने तक मिक्सचर का विक्रय न होना

26—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री जी को ज्ञात है कि मेसर्स रेलीज इंडिया के उर्वरक 16:20 व 15:15:7 1/2 ग्रेड के मिक्सचर के नमूने समस्त प्रदेश के उर्वरक वितरकों के यहां निम्न श्रेणी

के पाये गये हैं? यदि हां, तो मेसर्स रेलीज इंडिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं, मेसर्स रेलीज इंडिया को 16:16:20 ग्रेड का उर्वरक मिक्सचर उत्पादन हेतु कोई निबंधन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। उर्वरक मिक्सचर 15:15:7.5 का उक्त संस्था को निबंधन प्रमाण पत्र देने से अब तक उर्वरक विक्रेताओं के यहां से ग्रहीत, कुल विश्लेषित 29 नमूनों में से 16 नमूने स्तरीय पाये गये एवं 13 नमूने निम्नस्तरीय पाये गये हैं। जिनमें से 10 निबंधन धारी विक्रेताओं के निबंधन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये गये, विक्रेता को चेतावनी दी गई तथा 2 विक्रेताओं को नोटिस जारी किये गये हैं।

27—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री जी को ज्ञात है कि सिर्फ मेसर्स रेलीज इंडिया को ही 12:32:0 उर्वरक मिक्सचर बनाने का नया लाइसेन्स बिना नोटीफिकेशन के दिया गया है? क्या यह भी सही है कि फर्म ने कृषि विभाग को सूचित किया है कि वह नोटीफिकेशन के होने तक कृषकों को उर्वरक वितरण नहीं करेंगे? यदि हां, तो फर्म बिना नोटीफिकेशन के किस प्रकार वितरण कर रही है? क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितना मिक्सचर बनाया गया और कितना उर्वरक वितरकों को भेजा गया है?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मेसर्स रेलीज इंडिया को उर्वरक मिक्सचर ग्रेड 12:32:0 हेतु निबंधन प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया था कि फर्म उक्त मिक्सचर का विक्रय गजट नोटीफिकेशन के उपरान्त ही करेगी?

यह सही है कि फर्म ने सूचित किया था कि वह नोटीफिकेशन होने तक मिक्सचर का विक्रय नहीं करेगी।

फर्म द्वारा निबंधन प्रमाण-पत्र के प्रतिबन्ध के विपरीत विक्रय की सूचना पर उक्त उत्पादन की बिक्री को रोक दिया है तथा उनका निबंधन प्रमाण-पत्र स्वतः दिनांक 16-10-81 से निष्प्रभावी हो गया है। उक्त उल्लंघन पर फर्म के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस दिया गया है।

फर्म की सूचनानुसार दिनांक 15-10-81 तक लगभग 7000 मै० टन उक्त मिक्सचर बनाकर वितरकों को भेजा गया है।

कृषि विभाग द्वारा मेसर्स रेलीज इंडिया से क्रय किया गया रोगोर तथा उक्त फर्म का निरस्त किया गया लाइसेन्स

28—श्री ऊदल—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि गत तीन वर्षों में मेसर्स रेलीज इंडिया से कितना रोगोर कृषि विभाग ने खरीदा है? क्या रोगोर के नमूने निम्न ग्रेड के आए हैं? यदि हां, तो विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की है और अब तक रोगोर खरीदा जा रहा है?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष 1978-79 से वर्ष 1980-81 तक मेसर्स रेलीज इण्डिया से कृषि विभाग ने कुल 1,13,023 लीटर रोगोर कीटनाशक का क्रय किया। पूर्तियों के पूर्व जो नमूने लिये गये उनमें से कुछ नमूने विश्लेषण उपरान्त निम्न ग्रेड के पाये गये जिसके फलस्वरूप नियमानुसार कटौती एवं अवशेष रसायन के रिलेसमेन्ट की कार्यवाही की गई। वर्तमान में केवल मेसर्स रेलीज इण्डिया के ही रोगोर रसायन का दर अनुबंधन उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा स्वीकृत है। अतः इसका क्रय इसी फर्म से किया जा रहा है।

29—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि मेसर्स रेलीज इंडिया मुजफ्फरनगर का लाइसेन्स 4–5 वर्ष पूर्व कैंसिल कर दिया गया था कि इनका निम्न श्रेणी का मिक्स्चर था ? यदि हां, तो इनका कार्य कैसे अब तक चलता आ रहा है ? क्या इसकी व्यापक जांच की जायेगी और दोषी अधिकारियों को जिन्होंने इनका लाइसेन्स रद्द नहीं किया या पुन: दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

गत पांच वर्षों में मेसर्स रैलीज इण्डिया मुजफ्फरनगर नाम से कोई निबंधन प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। अत: उसका लाइसेन्स निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं है। शेष कार्यवाही का भी प्रश्न नहीं उठता।

30–31—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

32—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कुवार–रामपुर मार्ग, वाराणसी पर अर्थ वर्क का कार्य तथा बिछाया गया खड़ंजा

33—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ा गांव कुवार-रामपुर मार्ग वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने ले लिया है और 1980–81 में अर्थ वर्क का कार्य कराया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसी सड़क पर करीब एक कि0 मी0 तक ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग वाराणसी ने खड़ंजा बिछा दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

34—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क पर कितना खड़ंजा तथा कितने घन फिट मिट्टी का पेमेन्ट ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी ने किया है ? क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी को नोटिस दिया है कि क्यों बिना समझे खड़ंजा बिछा दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन हेतु खोले गए डिवीजन कार्यालय

35—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि जल सर्वेक्षण हेतु कितने डिवीजन कार्यालय खोले गये हैं तथा वे कौन से जिले हैं जिन्हें इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत लिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण सगठन के अन्तर्गत 16 डिवीजन कार्यालय खोले गये हैं। इस संगठन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को छोड़कर अन्य समस्त 50 जिले (जनपद देहरादून व नैनीताल के मैदानी क्षेत्र को सम्मिलित करके) लिये गये हैं।

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय देवरिया जिले में बागबानी के आंकड़े

36—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि देवरिया जिले की समस्त कृषि भूमि में कितने एकड़ में बागबानी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होत समय में थी और सन् 1980 में उपरोक्त बागबानी कितने एकड़ में है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जमींदारी उन्मूलन लागू होने के समय के फलों तथा तरकारियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राजस्व परिषद् की प्रकाशित सूचना के अनुसार वर्ष 1953–54 में देवरिया जिले में फलों का कुल क्षेत्रफल 1440 एकड़ था तथा तरकारियों का क्षेत्रफल 21962 एकड़ था। वर्ष 1979–80 के लिए राजस्व परिषद् की अप्रकाशित सूचना के आधार पर उक्त क्षेत्रफल क्रमशः 462 एकड़ तथा 23381 एकड़ रिपोर्ट किया गया है।

ग्राम परसिया मिसकारी, जिला देवरिया के सभापति श्री सुखराज के विरुद्ध आरोप-पत्र की जांच

37—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसिया मिसकारी, पो0 एवं जिला देवरिया के सभापति श्री सुखराज के विरुद्ध जांच सभा के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया को सरकारी धन का दुरुपयोग करने हेतु आरोप-पत्र दिनांक 20–4–78 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या अब तक उसकी जांच की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

38–39—श्री नन्द किशोर सिंह—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83–84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

40—श्री जयदीप सिंह—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला परिषद् हरदोई के किराए पर उठाए गये आवासीय भवन

41—श्री हरीशंकर—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय जिला परिषद् हरदोई के कितने आवासीय भवन किराये पर उठे हैं तथा उनका वार्षिक किराया क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

कुल 38 आवासीय भवन किराये पर उठे हैं, जिनका वार्षिक किराया रुपया 27,236.40 पैसा है।

बांदा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्डों में पेयजल कूपों में सफाई तथा मरम्मत का कार्य

42—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि जिला बांदा के बांदा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन विकास खण्डों में कितने-कितने पेय जल कूप ऐसे हैं जो गत वर्ष सूख गये थे जिनकी सफाई की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव—

बांदा विधान सभा क्षेत्र के विकास खंड बड़ोखर खुर्द, बिसंडा बबेरू तथा महुआ विकास खंड के आंशिक क्षेत्रों में पड़ता है।

वर्ष 1980–81 में इस क्षेत्र के 123 ग्रामों में 416 पेयजल कूपों में पानी सूख जाने के कारण उनकी सफाई तथा मरम्मत कार्य कराया गया था। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145–149 पर)

बांदा विधान सभा क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तथा बकाया मजदूरी का भुगतान

43—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बांदा विधान सभा क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया है ? इस योजना में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ब्लाक चण्डौस, जनपद अलीगढ़ का स्थानान्तरण

44—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी (कृषि), ब्लाक चण्डौस, जनपद अलीगढ़ का स्थानान्तरण मई, 1980 में प्रशासनिक आधार पर किया गया और तीन माह के बाद अगस्त, 1980 में उन्हें पुनः उसी पद एवं उसी ब्लाक में किस आधार पर भेजा गया जबकि वहां कोई स्थान रिक्त नहीं था ?

श्रीमानु प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

सहायक विकास अधिकारी (कृषि), ब्लाक चण्डौस, जनपद अलीगढ़ का स्थानान्तरण अप्रैल, 1980 में किया गया था ।

किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी की पत्नी की बीमारी के दृष्टिगत एक अन्य सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को अन्यत्र समायोजित करके उन्हें चण्डौस ब्लाक में ही अक्तूबर, 1980 में तैनात कर दिया गया ।

बफर गोदाम निरीक्षक, बहराइच के विरुद्ध शिकायती-पत्र

45—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बफर गोदाम निरीक्षक बहराइच के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र शासन को मार्च/जुलाई, 1981 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

बफर गोदाम निरीक्षक बहराइच के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र मार्च/अप्रैल, 81 में शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, कालीचाबाद, जिला जौनपुर का निर्माण तथा फाइनल बिल भुगतान में विलम्ब

46—श्री ऊदल—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, कलीचाबाद, जिला जौनपुर के निर्माण का कार्य जून, 77 में पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, वाराणसी न फाइनल बिल के भुगतान हेतु पास करके डेयरी कार्यालय को भेजा दिया है ? यदि हां, तो फाइनल बिल का भुगतान ठेकेदार को अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

दुग्ध संघ के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार समय से कार्य न करने के कारण की गई कटौती के बाद शेष 1414.94 के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम पिंडरा वाराणसी में मार्गों पर डाली गयी मिट्टी तथा बकाया मजदूरी का भुगतान

47—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि खाद्यान्न योजना अन्तर्गत ब्लाक पिन्डरा, वाराणसी में 21 मार्गों पर मिट्टी डाली गई है और मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना अधिकृत, सत्यापित तथा पूर्ण किये गये कार्यों पर नब्बे मैट्रिक टन का बकाया बताया गया है । उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण न करने सम्बन्धी आदेश

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उन्होंने यह आदेश दिये हैं कि 31 जुलाई, 1981 के बाद कोई भी तबादला न किया जाय और जो अधिकारी 10 अगस्त तक कार्यभार ग्रहण न करे उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो पंचायत राज विभाग के सहायक निदेशक (श्री रघुनाथ सिंह चौहान) जो इस पद पर 10 वर्ष से कार्य कर रहे थे, का जो तबादला इस वर्ष किया गया किन परिस्थितियों में रोका गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । श्री चौहान का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर निरस्त किया गया था ।

जनपद आगरा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण

49—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में तोतपुर रोड से जो कटरा तक तथा ग्वालियर रोड से नैनाना जाट तक के जिला परिषद् के पूर्णतः क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनः निर्माण निकट भविष्य में कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आगरा जनपद में तोतपुर मार्ग से जारुआ कटरा तक मार्ग पर पैंच मरम्मत कार्य दिनांक 14-12-81 से चालू है । ग्वालियर रोड से नैनाना जाट तक पूरे मार्ग पर प्रीमिक्सिंग कार्य स्वीकृत है । जिसके मार्च, 82 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

आई0टी0आई0 दुद्धी (मिर्जापुर) द्वारा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण तथा बैंकों द्वारा उपलब्ध ऋण

50—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी (मिर्जापुर) आई0टी0आई0 द्वारा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत अब तक कितने बेरोजगार प्रशिक्षित हुए और उनमें से कितनों को स्वतः रोजगार खोलने हेतु ऋण मिला । बाकी लोगों को ऋण न मिलने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आई0 टी0 आई0 दुद्धी (मिर्जापुर) द्वारा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत कुल 105 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया गया। जिनमें से स्वतः रोजगार में स्थापित करने हेतु 22 लाभार्थियों के ऋण प्रार्थना-पत्र इलाहाबाद बैंक, दुद्धी को भेजे गये हैं। अभी तक इन्हें बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस हेतु प्रयास जारी है।

51—श्री विजय सिंह—

[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

52—श्री विजय सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

53—श्री विजय सिंह—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड मजरा, रसूलपुर, जगदीशपुर, रहमानीपुर में कुएं की मरम्मत विषयक शिकायती-पत्र

54—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानीपुरा नाम के आबादी स्थित भूखण्ड 1155 मजरा रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में पेयजल एक मात्र कुआं है जो जर्जर हालत में है और वर्ष 1980-81 के वर्षा के कारण बाढ़ से जिसका कुछ भाग गिर गया है तथा अभी तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गयी है? क्या इस सम्बन्ध में शासन एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को कोई शिकायती पत्र 30-9-81 तक प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। श्री अब्दुल वाहिद खां, ग्राम रहमानीपुरा, मजरा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर का कुएं के मरम्मत के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर की गई जांच से ज्ञात हुआ कि ग्राम रहमानीपुरा मजरा रसूलपुर में श्री अब्दुल वाहिद खां का 7 सदस्यों का केवल एक परिवार है। उक्त मकान के साथ उक्त परिवार का ईटों का बना एक निजी पुराना कुआं है जिसमें जगत नहीं है। निजी सम्पत्ति होने के कारण नियमानुसार विकास खंड जगदीशपुर की क्षेत्र निधि से उसकी मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में पशु सेवा केन्द्र

55—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई पशुधन केन्द्र नहीं है, ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर कोई पशुधन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर जनपद सुल्तानपुर में पशु सेवा केन्द्र नहीं है। इस स्थान पर इस समय कोई पशुधन केन्द्र की स्थापना का विचार नहीं है, क्योंकि इस ग्राम से लगभग डेढ़ कि0 मी0 की दूरी पर पशु सेवा केन्द्र सुन्दरवा पहले से ही कार्यरत है।

विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य

56—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में आज तक इस ग्राम के ग्राम सभा रसूलपुर के विकास खण्ड द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड द्वारा इस ग्राम में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य हुआ और धन कितना व्यय किया गया? यदि विकास कार्य नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला सुल्तानपुर में विकास खन्ड में जगदीशपुर के ग्राम रसूलपुर में चालू पंचवर्षीय योजना में विकास खण्ड द्वारा 20 सूत्रीय एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुए कार्य का विवरण निम्नवत् है:—

1—अल्प सिंचाई योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 निजी बोरिंग, 8 निजी नलकूप एवं एक पम्पसेट लगाये गये जिस पर 4568 रुपये का अनुदान विभाग द्वारा प्रदान किया गया।

2—आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत 9 चयनित व्यक्तियों को उद्योग, कृषि आदि कार्यों के लिए कुल 12,401 रुपये का ऋण वितरित कराया गया तथा विभाग द्वारा 3843.00 का अनुदान प्रदान किया गया।

3—अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों को 16075 रु0 का ऋण विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिया गया जिस पर 50 प्रतिशत की दर से 8037 रुपये का अनुदान विभाग द्वारा प्रदान किया गया।

4—हरिजन पय जल कूप योजना के अन्तर्गत एक हरिजन कूप ग्राम रसूलपुर में विभाग द्वारा निर्मित कराया गया जिस पर 3051 रुपये का व्यय हुआ।

5—ऊसर सुधार कार्य क लिए पाईराइट का वितरण किया गया तथा खरीफ में 2 एवं रबी में 5 प्रदर्शन आयोजित कराये गये।

गांव सभा बसनी, जिला वाराणसी के तालाब की नीलामी

57–59—श्री ऊदल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 114 व 145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बसनी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी का 2045 तालाब किस तारीख को नीलाम किया गया ?

क्या पंचायत राज मन्त्री बतायगे कि 100रु0प्रधान द्वारा हड़प जाने के अलावा और क्या-क्या आरोप लगाए हुये हैं ?

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि परगनाधिकारी, उत्तरी वाराणसी ने गांव सभा बसनी के प्रधान को सस्पेण्ड कर दिया और सस्पेण्ड से पूर्व प्रधान से कोई जानकारी हासिल किया या मौके की जांच किया था ? यदि किया था तो जांच आख्या क्या है ? क्या प्रधान को सस्पेण्ड करने के बाद चार्जशीट दी गयी, पहले न देने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

60–61—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील हाटा, जनपद देवरिया के कृषि बीज भण्डार से क्रय की गयी उर्वरक तथा खाद

62—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हाटा तहसील, जनपद देवरिया के कृषि बीज भण्डार से 11 जुलाई, 1981 को कितने बोरी उर्वरक किसानों को पुराने मूल्य पर दी गयी ? दिनांक 11–7–81 से नई दर लागू होने के बाद कितनी खाद किसानों को दी गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

हाटा तहसील, जनपद देवरिया के कृषि बीज भण्डार से 11 जुलाई, 81 को कोई भी उर्वरक पुराने दर पर नहीं बेची गयी ।

दिनांक 11–7–81 से नई दर लागू होने के बाद दिनांक 31–7–81 तक हाटा कृषि बीज भण्डार पर खाद की कोई बिक्री नहीं हुई ।

जनपद गोण्डा में ड्रम टाइप के गोबर गैस सन्यन्त्र तथा हरिजनों को दी गयी छूट

63—श्री छेदी लाल—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में इस समय ड्रम टाइप के कितने गोबर गैस प्लान्ट लगे हैं ? क्या मा0 मन्त्री जी को यह भी ज्ञात है कि ड्रम टाइप के गोबर प्लान्ट के लिये हरिजनों को 75 प्रतिशत छूट खादी ग्रामोद्योग द्वारा देने का प्राविधान है ? यदि हाँ, तो जनपद गोण्डा में कितने हरिजनों को गोबर गैस प्लान्ट के ऊपर वर्ष 1979–80 एवं 81 में छूट मिली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जनपद गोण्डा में अब तक 489 ड्रम टाइप के गोबर गैस संयंत्र लगे हैं। ड्रम टाइप गोबर गैस संयंत्र लगवाने पर हरिजनों को 75 प्रतिशत अनुदान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देने का प्राविधान है । जनपद गोण्डा में वर्ष 1979–80 में चार हरिजनों के यहाँ गोबर गैस संयंत्र लगे जिसमें चारों संयंत्रों पर खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 75 प्रतिशत छूट मिली है। वर्ष 1980–81 में 26 संयंत्र हरिजनों के यहाँ लगे उन पर अनुदान देने के सम्बन्ध में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

64—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के विभिन्न विकास खण्डों में कितने किलोमीटर मार्ग खड़ंजा एवं पक्का होने के लिए वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में स्वीकृत हुए हैं ? इनमें कौन-कौन से मार्ग पूर्णतया पूर्ण हो गये हैं, कौन से शेष हैं ? शेष स्वीकृत मार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इलाहाबाद जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में खड़ंजा तथा पक्का होने के लिये वर्ष 1980–81 में 69 सम्पर्क मार्ग लम्बाई 197.461 कि0 मी0 तथा वर्ष 1981–82 में 154 सम्पर्क मार्ग लम्बाई 573.63 कि0 मी0 स्वीकृत हुये हैं जिनमें वर्ष 1980–81 में 52 सम्पर्क मार्ग लम्बाई 134.709 कि0 मी0 और वर्ष 1981–82

में 18 सम्पर्क मार्ग लम्बाई 29.826 कि0 मी0 पूर्ण हुये हैं। शेष स्वीकृत मार्गों के निर्माण का कार्य धन के उपलब्ध हो जाने पर शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में कूपों के निर्माण की स्वीकृति

65—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां म वर्ष 1979–80, 1980–81 के दौरान हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लिए कितने कूप निर्माण की स्वीकृति दी गयी थीं, उनमें से कितने बने हैं? क्या शासन उक्त दो वर्षों के दौरान बने कूपों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद हरदोई के विकास खंड मल्लावां में वर्ष 1979–80 से 1980–81 तक 52 कूपों के निर्माण की स्वीकृत दी गई थी जिसके विपरीत 40 कूपों का निर्माण हो चुका है। उक्त दो वर्षों में बने कूपों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा वांछित निर्देश दे दिये गये हैं।

जिला उन्नाव के माथर सीड स्टोर के रिटायर्ड कामदार श्री महाबीर प्रसाद को जी0पी0एफ0 धनराशि का भुगतान

66—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री महाबीर प्रसाद पुत्र श्री सुमेर निवासी ग्राम गोसवां, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई ने कृषि विभाग में 1968 में जनपद उन्नाव के माथर सीड स्टोर पर कामदार पद पर कार्यरत करते हुये अवकाश (रिटायरमन्ट) प्राप्त किया था? यदि हां, तो अब तक उनके जी0पी0एफ0 के भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति द्वारा 8 अप्रैल, 78 को माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश, उप कृषि निदेशक, लखनऊ जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव आदि को जी0 पी0एफ0 भुगतान के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की गयी? यदि हां, तो यह भुगतान प्रार्थी को कब तक करा दिया जायेगा?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

श्री महाबीर प्रसाद को जी0पी0एफ0 धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस विषय पर उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि सेवा श्रेणी–2 (सेक्शन बी) के पदों पर प्रोन्नति तथा नियुक्त अधिकारियों के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण हेतु प्रस्ताव

67—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी–11 (सेक्शन बी) के पदों पर पदोन्नति द्वारा तदथ आधार पर नियुक्त अधिकारियों का जो कि लगभग 15–20 वर्षों से कार्यरत हैं, के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण सम्बन्धी कार्यवाही शासन द्वारा अभी तक नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी–बी के अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्थायी किया गया है और उनकी प्रोन्नति श्रेणी–1 के पद पर की गयी है और प्रोन्नति कोटे के अधिकारी उपरोक्त प्रोन्नति से वंचित रखे गए हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी–2 सेक्शन-बी के पदों पर प्रोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों के विनियमितीकरण हेतु प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जा चुके हैं। आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही इनका स्थायीकरण किया जा सकेगा।

जी हां।

बरेली के अतिरिक्त परियोजना निदेशक, श्री ओम नाथ गर्ग के विरुद्ध शिकायतों की जांच

68—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बतायेंगे कि बरेली में अतिरिक्त परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत (श्री ओमनाथ गर्ग) इससे पूर्व इसी जिले में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे? यदि हां, तो उसी जिले में नियुक्ति का औचित्य क्या है? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध इस पद पर नियुक्ति के समय से ही शिकायतों का सिलसिला जारी है? यदि हां, तो शासन द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री ओम नाथ गर्ग बरेली में जुलाई, 1978 से नवम्बर, 1980 तक विभिन्न विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। 26 नवम्बर, 1980 को इन्हें अतिरिक्त परियोजन निदेशक, लघु कृषक विकास अभिकरण, बदायूं में नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् 11 मई, 1981 को इनको अतिरिक्त परियोजना निदेशक के पद पर बरेली अभिकरण में नियुक्त किया गया।

श्री गर्ग के विरुद्ध शिकायतें वर्तमान पद के कार्यकाल से पूर्व की है। एक शिकायत पर जांच चल रही है।

जनपद अल्मोड़ा म आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये विक्रेता

69—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या अबाकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी से अगस्त, 1981 तक जनपद अल्मोड़ा में अवैध शराब के कितने विक्रेता पकड़े गये और उनके क्या नाम हैं तथा कहां-कहां पकड़े गये? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो क्यों?

श्री गोवर्धन तिवारी—

माह जनवरी से अगस्त, 81 तक जनपद अल्मोड़ा में अवैध शराब के 33 विक्रेता पकड़े गये। विवरण तीन तालिकाओं में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 150–154 पर)

जनपद देवरिया में स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के तहत विकास खण्डों को वितरित की गयी धनराशि

70—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में जनपद स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के तहत कितनी धनराशि किन-किन विकास खण्डों को 15–9–81 को दी गयी है? यदि नहीं दी गयी है, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

देवरिया जनपद को रु0 5,00,000 (पांच लाख रुपये) की धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन आवंटित की गई जिसमें से जनपद के कुशल 29 विकास खंडों में से 27 विकास खण्डों को 17,000 रुपया प्रति विकास खण्ड की दर से तथा शेष दो विकास खण्डों को

20,500 प्रति विकास खण्ड की दर से दिनांक 15-9-81 के पूर्व आवंटित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राजकीय जीप का प्रयोग

71--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ ने वर्ष 1981-82 में सरकारी जीप का प्रयोग विभाग द्वारा निर्धारित सीमा 8,500 कि0 मी0 के स्थान पर लगभग 82 हजार कि0 मी0 किया ? यदि हां, तो क्यों और किन परिस्थितियों में ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं, भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ ने भूमि संरक्षण अधिकारियों के लिये निर्धारित सीमा 10,800 कि0 मी0 के स्थान पर 28,930 कि0 मी0 राजकीय जीप का प्रयोग वर्ष 1980-81 में किया।

भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ की जीप को निर्धारित सीमा से अधिक चलने का मुख्य कारण नेशनल सेमीनार आन वाटर शेड मैनेजमेन्ट एवं सैलेनिटि कन्ट्रोल के आयोजन लखनऊ महोत्सव के अवसर पर विभागीय प्रदर्शनों का आयोजन तथा अन्य मंडलीय प्रशिक्षणों के आयोजन, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम एवं ऊसर प्रक्षेत्रों पर भूमि विकास कार्यक्रम आदि के सिलसिले में प्रयोग में लाना है।

मण्डी समिति उन्नाव द्वारा उन्नाव जनपद में निर्माणाधीन सड़क

72--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मण्डी समिति उन्नाव द्वारा उन्नाव जनपद में पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन सी सड़कें बनाई गयीं और उनकी अलग-अलग लम्बाई कितनी है और अब उन सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग के ऊपर है और उन की मरम्मत व रख-रखाव तथा अधूरे कामों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मण्डी समिति, उन्नाव द्वारा उन्नाव जनपद में पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित सड़कें निर्माणाधीन हैं--

1--सहजनी-शंकरपुर सराय सम्पर्क मार्ग 9 कि0 मी0

2--नवाबगंज-सरसा मार्ग 3.5 कि0 मी0

इनमें मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है। प्रस्तावित 20 पुलियों में से 19 बना दी गयी हैं केवल एक पलिया एवं खड़ंजा का कार्य शेष है।

इन सड़कों के रख रखाव का अभी प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन श्री लघुवीर प्रसाद के अवशेष देयकों का भुगतान

73--श्री भीखा लाल--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदत्त निवासी मोहल्ला राजगढ़ खीमपुर खीरी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25-6-81 बाबत श्री रघुवीर प्रसाद, भूतपूर्व सहायक विकास

अधिकारी, पशुपालन जो वर्ष 1971 में सेवा निवृत्त हो चुके हैं उनके अवशेष देयों के विषय में जो निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित है और जिसकी प्रतिलिपि उनको पृष्ठांकित की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवशेष देयों का भुगतान तथा पेंशन सम्बन्धी कागजात का निस्तारण हो गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। अवशेष देयकों के निर्धारण हेतु सेवाओं का सत्यापन तथा सेवा-पुस्ति का पूरी कराई जा रही है।

विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव में नाले पर पुल का निर्माण

74—श्री भीखा लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कवरोई विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव में नाले पर पुल के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कब प्रारम्भ किया गया था, उस पर कितना धन व्यय किया जाना था और कितना व्यय हो चुका है ? उक्त कार्य बन्द होने का कारण क्या है और उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उप मण्डी स्थल सलेमपुर, भाटपाररानी, देवरिया में व्यापारियों पर बकाया धनराशि

75—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद में कृषि उत्पादन मण्डी समिति बरहज बाजार, देवरिया की उप मण्डी सलेमपुर–भाटपार रानी, देवरिया में वर्ष 1980–81 से लगायत अब तक किन-किन व्यापारियों पर कितनी-कितनी धनराशि बकाया पड़ी हुई है ? और उसकी वसूली हेतु कौन-कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

देवरिया जनपद की कृषि उत्पादन मंडी समिति, बरहज बाजार की उप मंडी सलेमपुर भाटपाररानी एवं देवरिया में वर्ष 1980–81 से लगायत 30–11–81 तक विभिन्न व्यापारियों पर बकाया धनराशि की विस्तृत सूचना संलग्न है।

इस विवरण के अनुसार कुल रुपये 3,36,648.20 बकाया है। उसमें से रुपये 2,37,502.50 की वसूली राजस्व बकाया के रूप में व शेष धनराशि की वसूली मंडी समिति द्वारा की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 155 पर।)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, इलाहाबाद को प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति

76—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के किन-किन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों का भवन बनाने का कार्य 1979–80, 1980–81 एवं 1981–82 में दिया गया है। इसमें से कौन से विद्यालय का भवन बना दिया गया है कितने का अधूरा है कितने का पूरा कार्य अवशेष है ? तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में कुल 48 प्राइमरी पाठशाला भवन 10 जूनियर हाई स्कूल भवन के बनवाने की स्वीकृति दी गयी थी। अब तक केवल 16 प्राइमरी पाठशाला भवन एवं 3 जूनियर हाई स्कूल भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष भवनों के निर्माण कार्य सीमेंट के अभाव में अधूरा पड़ा है। सीमेन्ट की प्राप्ति होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। प्राइमरी पाठशाला भवन/जूनियर हाई स्कूल भवन का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 156-158 पर।)

ग्राम घुरौण्डा, बांदा में पेयजल कूप का निर्माण

77--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि मार्च, 77 से दिसम्बर, 80 तक पेयजल कूप, ब्लाक महुआ, जनपद बांदा के ग्राम घुरौण्डा में निर्मित कराए गये थे? क्या यह सही है कि उनका भुगतान कर दिया गया परन्तु अभी तक वे पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

मार्च, 77 से दिसम्बर, 80 तक के मध्य ग्राम घुरौण्डा में हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत एक कूप का निर्माण कराया गया।

हां, इस कूप के अगणित मूल्य 6,700 रु0 का भुगतान कर दिया गया है। आगणन के विपरीत अधिक व्यास का कूप बनाए जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

जी हां, जांच कराई जा रही है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत कुल कुम्हारी-घुरोण्डा मार्ग का निर्माण

78--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत कुल कुम्हारी-घुरोण्डा मार्ग अधूरा है? यदि हां, तो इसके पूरा कराने को कोई योजना वर्तमान समय में शासन के विचाराधीन है?

श्री बलराम सिंह यादव--

बांदा जनपद के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम घुरोण्डा तथा कुलकम्हारी को मिलाने वाले 3कि0मी0 लम्बे सम्पर्क मार्ग के 2 कि0 मी0 भाग पर निर्माण कार्य किया जा चुका है। शेष 1कि0मी0 भाग महुआ विकास खंड के अन्तर्गत है जिसका निर्माण कार्य जिला स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है परन्तु जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार कृषक इसके निर्माण हेतु अपने खेतों की भूमि अथवा मिट्टी देने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमिअध्याप्ति करने का प्राविधान न होने तथा मौके पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसे पूरा कराने की कोई विशिष्ट योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

बांदा जनपद के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत खुरहण्ड ग्राम में नाली बनवाने का प्रस्ताव

79--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के महुआ विकास खण्ड के अन्तर्गत खुरहण्ड ग्राम में मण्डी समिति की ओर से नाली बनवाने का प्रस्ताव प्रश्नकर्त्ता द्वारा वर्ष 1981-82 में शासन को दिया गया था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। नाली की उपयोगिता के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण करा लिया गया है, प्रस्तावित कार्य के आगणन तैयार किये जा रहे हैं।

कस्बा फफूंद से ग्राम सल्हापुर तक सड़क निर्माण का कार्य

80--श्री धनीराम वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 में जनपद इटावा के कस्बा फफूंद से ग्राम सल्हापुर तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था? वह अब भी अधूरी है और जिस पर कार्य करने वाले 40 मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी अब भी देय है? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क का निर्माण कार्य पूरा करायेगी और 40 मजदूरों की बकाया मजदूरी दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष महोबा सहकारी मत्स्य जीवी समिति लि0, हमीरपुर द्वारा तालाब की नीलामी में जमा किए गए धन की वापसी की मांग

81--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मत्स्य पालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह जुलाई, 81 में अध्यक्ष, महोबा सहकारी मत्स्य जीवी समिति लि0, महोबा, जिला हमीरपुर का कोई पत्र इस आशय का मिला जिसमें निवेदन किया गया है कि नीलामी में लिए गए तालाबों का कब्जा विभाग द्वारा न दिलाये जाने से नीलामी के समय समिति द्वारा जमा किए गए धन को वापस किया जाय? यदि हां, तो उनका अभी तक धन वापस न करने का क्या कारण है?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां।

यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण इस विषय में फिलहाल कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

पंचायत कर की धनराशि की वसूली पर विचार

82--श्री जयदीप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है कि पंचायत कर की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के साथ करके वह धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को लौटा दी जाय? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

किसी ग्राम सभा में से इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है।

राजकीय खाद गोदामों में किसानों को वितरित खाद की तौल में कमी

83--श्री जयदीप सिंह--

क्या शासन को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय खाद गोदामों पर अक्सर शिकायत रही है कि किसानों को तौल में कम खाद मिलती है? क्या उपरोक्त समस्या के हल के लिए शासन प्रत्येक खाद वितरण केन्द्र पर खाद के कट्टों को तुलवा कर वितरण करने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं।

व्यवस्था पूर्व से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ से फसलों को क्षति तथा कृषकों को प्राप्त सहायता

84—श्रीमती गौरी देवी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष बाढ़ से कृषि क्षेत्र में फसलों की अनुमानित क्षति कितनी हुई है ? सरकार ने किसानों को बाढ़ की विनाशता के कारण फसल सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इस वर्ष बाढ़ से लगभग रु0 365 करोड़ मूल्य की फसलों की क्षति अनुमानित की गई है।

जी हां। 33 बाढ़ ग्रस्त जनपदों के लघु एवं सीमान्त कृषकों को फास्फेटिक एवं पोटैसिक उर्वरकों पर क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33–1/3 प्रतिशत अनुदान की सहायता दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कृषि बीज भण्डार, कोलना विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर में नये भवन निर्माण सम्बन्धी पत्र

85—श्री रामचरण सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने सितम्बर सन् 1981 में एक पत्र कृषि बीज भण्डार, ग्राम कोलना, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर में नए भवन निर्माण के सम्बन्ध में लिखा था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। धनाभाव के कारण इसका निर्माण कराना सम्भव नहीं हुआ है।

वाराणसी जनपद के पड़ाव स्थित देशी शराब की दुकान को जनहित में हटाने पर विचार

86—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वाराणसी जनपद के पड़ाव स्थित देशी शराब की दुकान को जनहित में उस स्थान पर से हटाने के बारे में वहां के निवासियों का कोई प्रार्थना पत्र श्री उमेश्वर प्रताप सिंह, विधायक गोण्डा के पत्र के साथ मार्च, 81 के द्वितीय सप्ताह में माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था और पुनः उपरोक्त विधायक का इसी विषय में एक दूसरा पत्र अप्रैल, 81 के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त देशी शराब की दुकान अन्यत्र हटाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोवर्द्धन तिवारी—

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत दुकान वर्तमान स्थान पर विगत 25 वर्षों से चल रही है और अब इसके लिए दूसरा अनापत्तिजनक स्थान मिलना कठिन है, इसलिए प्रशासनिक हित एवं राजस्व की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रश्नगत दूकान को अन्यत्र हटाना सम्भव नहीं है।

फैजाबाद जनपद को हरिजन कालोनीज बनाने के लिए स्वीकृत अनुदान

87—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के चौथे सोमवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सूचना एकत्र की जा चुकी है ? यदि हां, तो वह सूचना क्या है ? यदि नहीं, तो सूचना कब तक एकत्र हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वांछित सूचना एकत्र की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 159 पर।)

जनपद खीरी के मैगलगंज-मढ़ियाघाट मार्ग का निर्माण

88—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद खीरी के मैगलगंज-मढ़ियाघाट मार्ग पर जनता सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न योजनान्तर्गत मिट्टी का मार्ग बनाया गया था? क्या सरकार उक्त मार्ग को पक्का कराने की दिशा में कदम उठा रही है? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक पक्का करा दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। जनपद खीरी के मैगलगंज-मढ़ियाघाट मार्ग पर खाद्यान्न योजनान्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया गया था। इस मार्ग को पक्का कराने की इस समय कोई योजना नहीं है।

89—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम के निवासियों का भूमि संरक्षण विभाग, हरदोई द्वारा अवैध वसूली के विरुद्ध प्रार्थना पत्र

90—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के ग्राम सेखवापुर (पश्चिमी) निवासी सर्वश्री रामरतन, गंगा प्रसाद एवं जीतबहादुर के प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थनापत्र भूमि संरक्षण विभाग हरदोई द्वारा अवैध वसूली (लेविलिंग हेतु) के विरुद्ध कृषि मंत्री कार्यकाल में 19 अगस्त, 81 को दिये गये, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की सड़कों को सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़े जाने का विचार

91—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत ग्राम रहुला, सरसोला, मीढ़ियापुर जो लगभग दो-दो हजार की आबादी के गांव हैं, अब तक किन्हीं भी प्रमुख सड़कों से सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़े नहीं गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त गांवों को प्रमुख सड़कों से सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़े जाने के निर्देश देगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। यह सत्य है कि विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत ग्राम रहुला, सरसोला, मढ़ियापुर मुख्य मार्गों से सम्पर्क मार्गों द्वारा नहीं जुड़े हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर कार्यों का चयन जिला स्टेयरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। शासन स्तर से इसे जिला स्तरीय समिति को विचारार्थ भेज दिया गया है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्डों में सड़कों का निर्माण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को अपने विभाग में लिए जाने का विचार

92—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड, खोराबार, पिपरौली बाजार और कौड़ीराम में वर्ष 1977–78, 78–79 और 79-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया है और कौन कौन प्रस्तावित हैं? क्या यह सच है कि उनमें से लगभग 8 से अधिक सड़कें अधूरी हैं? यदि हां, तो अधूरी और प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे? क्या उन सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिए मंत्री निर्देश देंगे? यदि हां, तो कब तक सड़कें बन जायेंगी।

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

93—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित हुई सड़कों की महत्ता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा खड़ंजा कराने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पंचायत राज विभाग द्वारा निर्मित 35,797 कि0मी0 कच्चे मार्गों में से लगभग 1900 कि0मी0 पर सोलिंग का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा लिया जा चुका है। इसमें से लगभग 1670 कि0मी0 मार्ग पर कार्य पूर्ण भी हो चुका है। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत धन उपलब्ध होने पर ही खाद्यान्न योजनान्तर्गत निर्मित अवशेष सड़कों पर सोलिंग का कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों को अपने विभाग द्वारा लिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

जिला बस्ती के ब्लाक खेसरहा के कृषकों को आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत खरीदे गए भैंसों पर विलम्ब से अनुदान पर कृत कार्यवाही

94—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 12–6–81 जो विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती के कुछ किसानों को आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत खरीदे गये भैंसों पर विलम्ब से अनुदान दिये जाने तथा एक वर्ष के बाद कोआपरेटिव बैंक, शाखा खेसरहा में किसानों के खाते में समायोजित किये जाने के कारण किसानों पर पड़ रहे अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में था, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त की जा रही है।

गांव खैरपुर, जनपद बुलन्दशहर के कृषकों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ऋण में दी गयी छूट

95—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव खैरपुर, खण्ड विकास क्षेत्र भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर के कृषकों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत सन 1980 में जो ऋण खण्ड विकास अधिकारी, बी0 बी0 नगर द्वारा उपलब्ध कराये थे उन पर छूट (सबसीडी) दी जानी थी? यदि हां, तो अब तक गरीब किसानों को उक्त कर्जों पर छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिए कोई अधिकारी दोषी है। उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

केवल 11 लाभार्थियों के मामलों में विकास खण्ड से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण देय अनुदान का समायोजन नहीं हो सका है। नियमानुसार अनुदान तत्काल भुगतान करने के लिए निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये हैं।

जिला फतेहपुर के कतिपय विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लिंक रोड निर्माण हेतु प्राथना पत्र

96—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-11-79 को प्रधान, ग्राम सभा, सेमरी, तहसील खागा तथा अन्य निवासीगण तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर का जहानाबाद जाफरगंज राजमार्ग से ग्राम खजुरिहा के पास से ग्राम पपरेन्दा तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लिंक रोड निर्माण हेतु कोई प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी इस लिंक रोड का इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र निदेशक, पंचायत राज के माध्यम से जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु कार्यों का चयन जिला स्तर पर स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। निर्माण कार्य का प्रारम्भ जिला स्तरीय समिति द्वारा ही निर्णीत किया जाता है।

आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत सम्पन्न किए गये कार्य

97—श्री राज कुमार राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत कोपागंज व घोसी विकास खण्डों में वर्ष 1979-80 व 1080-81 व 1981-82 में ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य सम्पन्न किए गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम खेरीडाह, खुखुन्दवा, डांडी में झाड़ झंखाड़ साफ कराने की योजना तथा जूनियर अभियन्ता द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की जांच

98—श्री राज कुमार राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ग्राम खेरीडीह, ग्राम खुखुन्दवा, ग्राम डांडी विकास खंड कोपागंज के पास नाली है और झाड़ झंखाड़ से पटा है उसे खोदाई करके झाड़ झंखाड़ साफ करने की योजना सरकार ने स्वीकृत किया था ? सफाई व

खोदाई का कार्य मौके पर नहीं हुआ है और समस्त धन कार्य कराने व देखने वाले जूनियर अभियन्ता ने सब पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया ? यदि हां, तो सरकार इसकी पूरी छानबीन करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

99—श्री राज कुमार राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उक्त कोपागंज व घोसी विकास खण्ड में कार्यों की देख रेख कराने वाले उक्त जूनियर अभियन्ता का स्थानान्तरण इस समय अन्य जिले में हो गया है उसके विरुद्ध अनियमित कार्य करने की जांच चल रही है ? और हजारों रुपयों के गबन का घोलमाल का मामला भी चालू होने वाला है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा में बमरौली खटरा में नगला शबला तक स्वीकृत मार्ग का निर्माण

100—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर के अन्तर्गत खाद्यान्न योजनाओं के बमरौली खटरा से नगला शबला तक जाने वाली जनमार्ग स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? और यदि नहीं, तो यह कब तक स्वीकार कर लिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर के अन्तर्गत बमरौली खटरा से नगला शबला तक जाने वाला मार्ग जिला स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। जनपद से प्राप्त सूचना से स्पष्ट है कि इस मार्ग पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद मे व्यय

101—श्री विजय सिंह राना—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया और कितना रुपया बकाया है ? तथा यह बकाया धनराशि निश्चित समय के अन्तर्गत क्यों व्यय नहीं की जा सकी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद में वित्तीय वर्ष 1978–79 से चालू वित्तीय वर्ष 1981–82 में 31–12–81 तक कुल 1,86,09,225 रुपया व्यय किया गया तथा 1–1–82 को अभिकरण के पास 19,71,388 रुपया की धनराशि व्यय हेतु अवशेष है जिसे व्यय किया जा रहा है।

102—श्री जयदीप सिंह—

[2रे पखवारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

103—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मित्रसेन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

रामपुर जनपद में पंचसेवकों को आवासीय सुविधा

104—श्री नजीर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रामपुर जनपद में पंचसेवक, ग्राम सेवक के गांव में रहने का कोई आवासीय प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा प्रबन्ध करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शासन द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

105—श्री भगवती सिंह विशारद—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न सं 0—127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले के विकास खण्ड रामपुर कारखाना में एन0आर0ई0पी0 स्कीम के अन्तर्गत बनवाये गये सड़कों के विवरण के आदेश

106—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रामपुर कारखाना के अन्तर्गत ग्राम सभा पोखर भिण्ड बाजार से ग्राम सभा गोविन्दपुर तक जाने वाली सी0सी0 रोड जो कि देवरिया से देवरी देवरिया जाने वाली रोड व देवरिया के कसया जाने वाली रोड को जोड़ती है एन0 आर0 ई0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत खड़ंजा कराकर क्षेत्र की लाखों जनता के हर मौसम में आवागमन योग्य बनाने लायक करने के आदेश दिये जायेंगे तथा उसके लिये विशेष वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद बाराबंकी के कर विभाग द्वारा की गयी कर वसूली का विवरण

107—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, बाराबंकी में वर्ष 1975 से 1980 तक के कर विभाग द्वारा की गयी कर वसूली का विवरण देने की कृपा करेंगे? तथा वह किस बैंक में किस खाता नम्बर में जमा किया गया तथा कब तक कितना धन निकाला गया? 5 अक्तूबर, 1981 तक जिला परिषद कर विभाग के खाते में कितना धन बैंक में जमा था?

श्री बलराम सिंह यादव—

विवरण नीचे दिये जा रहे हैं।

वर्ष	कर विभाग द्वारा की गई वसूली का विवरण	बैंक का नाम तथा खाता संख्या जिसमें धन जमा किया गया	निकाली गई धन राशि का विवरण	5—10—81 तक खाते में उपलब्ध धन
1	2	3	4	
1975—76	1,20,269·51	स्टैट बैंक आफ	1,00,475·14	57,823·98
1976—77	1,66,802·97	इंडिया बाराबंकी	1,10,756·28	
1977—78	1,35,001·21	जिला विधि खाता	1,20,540·49	
1978—79	1,66,092·64		1,21,050·53	
1979—80	1,17,306·77		1,32,011·17	
1980—81	1,14,857·65		1,43,341·62	
5-10-81 तक।	35,023·63		69,355·17	
योग	8,55,354.38		7,97,530.40	

108—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सीतापुर जिले में कार्यरत जिला कृषि अधिकारी श्री गिरीश चन्द्र यादव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में सीतापुर जिले में कार्यरत जिला कृषि अधिकारी (श्री गिरीश चन्द्र यादव) के विरुद्ध उनके सीतापुर के कार्यकलापों में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता तथा पेदशाव बरतने के सम्बन्ध में कितने शिकायती पत्र कृषि निदेशक एवं कृषि सचिव को प्राप्त हुए? मुख्य शिकायतें क्या हैं? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष 1978-79 तथा 79-80 में सीतापुर जनपद में श्री गिरीश चन्द्र यादव नामक कोई जिला कृषि अधिकारी कार्यरत नहीं थे। उक्त अवधि में श्री गिरीश नन्दन यादव जिला कृषि अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जिनके विरुद्ध विभिन्न माध्यमों से तीन शिकायतें प्राप्त हुईं जिनके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:—

1—बीज भण्डार प्रभारियों से धन लेकर अपने निवास के चारों ओर पक्की बाउन्ड्री बनवाना।

2—नैपाल से तस्करी करने में सरकारी जीप का प्रयोग करना।

3—बीज भण्डार प्रभारियों के स्थानान्तरण में धन कमाना

4—श्री इन्द्रपाल शर्मा, सहायक कृषि निरीक्षक से धन की मांग करना तथा धन न देने पर उन्हें परेशान करना।

उक्त सभी बिन्दुओं पर तत्कालीन उप कृषि निदेशक (संग्रह) द्वारा जांच की जा चुकी है।

कृषि उत्पादन मन्डी समिति छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में फर्जी गेटपास प्रयोग कर मण्डी शुल्क का गबन का मामला

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के किसी कर्मचारी द्वारा फर्जी गेट पास प्रयोग कर मण्डी शुल्क का लाखों रुपया गबन करने का मामला वर्ष 1981 में पकड़ा गया था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां। इस प्रकार की शिकायत दिनांक 28 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुई थी।

प्राथमिक जांच के अनुसार शिकायत के कुछ बिन्दुओं की पुष्टि हुई। अब उन आरोपों पर विभागीय सम्प्रेक्षण करने के निर्देश दे दिये गये हैं तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के भी आदेश दे दिये गये हैं।

हरैया ब्लाक जनपद आजमगढ़ में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

111—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक के अराजी नौबरार करखिया में बाग लगाने हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 30 मजदूरों ने 22-7-80 से 31-8-80 तक कार्य किया था? उन्हें अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कोंच (जालौन) के पशु चिकित्सक डा0 महेन्द्र कुमार त्यागी का स्थानान्तरण

112--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, उरई (जालौन) ने वर्ष 1980 के अन्त में डी0 ओ0 लिख कर और उप निदेशक पशुपालन, झांसी ने भी वर्ष 1980 के अन्त में जांच आख्या भेजते हुए निदेशालय (पशुधन) को लिखा था कि कोंच (जालौन) में अवैध गोवध के उत्तरदायी पशु चिकित्सक डा0 महेन्द्र कुमार त्यागी का स्थानान्तरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उप निदेशक, पशुधन, झांसी तथा उसके साथ संलग्न जिलाधिकारी, जालौन के पत्र, जो पशुपालन निदेशालय में दिनांक 17 नवम्बर, 1980 को प्राप्त हुए थे, में डा0 त्यागी के स्थानान्तरण का प्रस्ताव इस आधार पर नहीं किया गया था कि डा0 त्यागी कोंच में अवैध गोवध के लिए उत्तरदायी हैं। पशुपालन विभाग द्वारा की गई जांच में डा0 त्यागी के विरुद्ध अवैध गोवध कराने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। स्थानान्तरण के प्रस्ताव पर विचार किया गया, परन्तु स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

जिला पशुधन अधिकारी, जालौन द्वारा गोवध निवारण अधिनियम के प्राविधानों का कड़ाई से पालन करने का आदेश

113--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 11 अगस्त, 81 को जिला पशुधन अधिकारी, उरई ने जालौन जनपद के पशु चिकित्सकों को पशुधन के लिए प्रमाणपत्र जारी न किए जाने का आदेश दिया था और फिर 21 अगस्त, 81 को उक्त आदेश वापिस ले लिया गया ? यदि हां, तो आदेश क्यों जारी किया गया था और क्यों वापिस ले लिया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

नगरपालिकाओं द्वारा निर्धारित पशुवधालयों के बाहर पशुवध किये जाने की शिकायतों के मिलने पर जिला पशुधन अधिकारी, जालौन ने अपने आदेश दिनांक 11-8-81 द्वारा गोवंशीय तथा महिषवंशीय पशुओं को वध हेतु पास करने से पशुधन विकास अधिकारी, कोंच कालपी, जालौन तथा उरई को वर्जित कर दिया था। स्थल निरीक्षण तथा स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त जिला पशुधन अधिकारी ने पुर्वोक्त आदेश दिनांक 11-8-1981 को निरस्त करते हुए अपने आदेश दिनांक 21-8-1981 द्वारा महिषवंशीय पशुओं का वध पूर्व की भांति जारी रहने तथा गोवंशीय पशुओं के बारे में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के प्राविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु उल्लिखित चारों पशुधन विकास अधिकारियों को निर्देशित किया था।

प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर श्री महेन्द्र नाथ राय द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

114--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि प्रधनाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर (श्री महेन्द्र नाथ राय) द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं, अधिकार का दुरुपयोग एवं अन्य भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन के विगत जून एवं जुलाई, 1980 में कुछ विधायकों द्वारा आरोपित शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कृत कार्यवाही से कृषि मन्त्री क्या सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां।

मामला सतर्कता अधिष्ठान को जांच हेतु अभिदिष्ट कर दिया गया है।

श्री लल्लन प्रसाद लाइब्रेरियन, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर का निलम्बन तथा जीवन निर्वाह भत्ते में से की गयी कटौती

115--श्री कुबेर भंडारी--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि लाइब्रेरियन राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर (श्री लल्लन प्रसाद) को माह मई, 1980 में निलम्बित किया गया है तथा निलम्बन के पश्चात् नियमित अवधि के अन्तर्गत उचित कार्यवाही न करने के साथ-साथ भुगतान किये जा रहे जीवन निर्वाह भत्ते में कुछ कटौतियां की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या कृषि मन्त्री उक्त अनियमित कटौती के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्री लल्लन प्रसाद, लाइब्रेरियन, राजकीय कृषि विद्यालय गोरखपुर को मई 1980 में निलम्बित किया गया था तथा अप्रैल, 1981 में बहाल कर दिया गया है। श्री प्रसाद को भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्तों में से ग्रुप इंश्योरेंस एवं सरकारी आवास के किराये की धनराशि काटी गई है। त्रुटिवश केवल माह जनवरी एवं फरवरी, 1981 में श्री प्रसाद के जीवन निर्वाह भत्ते से सामान्य निर्वाह निधि की कटौती की गई थी जिसके लिये संबंधित लिपिक को कठोर चेतावनी दे दी गई है।

कानपुर जनपद के विकास खण्ड सरसौल में कृषकों को खाद, बीज आदि के लिए दिए गये अनुदानों में बरती गयी अनियमितताएं

116--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि दि 12-8-81 का पत्र जो कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि मंत्री एवं कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, जिस में कानपुर जनपद के विकास खण्ड, सरसौल पर गत वर्ष रबी 1980-81 में कृषकों को खाद, बीज आदि के दिये गये अनुदानों में खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गम्भीर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन आरोपित शिकायतों की जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां।

जी हां, परन्तु मामले की जांच व्यापक होने के कारण अभी पूर्ण नहीं हो पाई है।

117-119--श्री कुबेर भण्डारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अन्तर्ज्वाला हिन्दी सप्ताहिक, दुगड्डा, गढ़वाल को विज्ञापन की मान्यता

120--श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या सूचना मन्त्री को ज्ञात है कि अन्तर्ज्वाला हिन्दी साप्ताहिक दुगड्डा, गढ़वाल ने विज्ञापन मान्यता हेतु 1977 में आवेदन किया था, जिसपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की आख्या विभाग को 10-3-79 को प्राप्त हो गयी थी? यदि हां, तो मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे कि क्या अन्तर्ज्वाला हिन्दी साप्ताहिक, दुगड्डा, गढ़वाल को विज्ञापन मान्यता दे दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

जी हां।

जी नहीं।

पत्र विज्ञापन प्राप्त करने की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता।

अल्मोड़ा जनपद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित सिलाई मशीनों पर फर्जी ट्रेड मार्क

121—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद में सिलाई मशीन सन् 1979 से 1981 तक कुल कितने परिवारों को दी गयी है और किस कम्पनी से खरीद कर दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि मशीनों पर ऊषा कम्पनी की फरजिया मुहर है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

शराब की दुकानों की नीलामी से लाभ-हानि

122—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 की शराब की दुकानों की नीलामी में शासन को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या है जहां शराब की नीलामी में राजस्व की हानि हुई है ?

श्री गोवर्द्धन तिवारी—

जी नहीं। वर्ष 1981-82 में आबकारी दूकानों के नीलाम से प्राप्त राजस्व में गत वर्ष की तुलना में लगभग 17.39 करोड़ रुपये की वृद्धि हुयी है।

बस्ती जनपद के कतिपय पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति

123—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के उस्का बाजार, इटवा, बघौली तथा चिलमा पशु चिकित्सालय में कोई डाक्टर इस समय उपलब्ध न होने का क्या कारण है ? उक्त चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

बस्ती जनपद के पशुचिकित्सालय के पशुधन विकास अधिकारी का पद दिनांक 21-8-81 से भार हुआ है, परन्तु अनुमोदित अभ्यर्थियों के अभाव में उस्का बाजार, बघौली तथा चिलमा पर तैनाती संभव नहीं हो पाई है। अनुमोदित अभ्यर्थी प्राप्त कराने हेतु उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जनपद को आवंटित खाद्यान्न का व्यपगत होना

124—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 755 मैट्रिक टन खाद्यान्न जो पुरानी मजदूरी क्लीयर करने के लिए निदेशक, पंचायत राज द्वारा 9-3-81 को बस्ती जिले को एलाट किया एफ0 सी0 आई0 से रिलीज आर्डर 27-3-81 को निकाला, जो 28-3-81 को जिले पर प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि गल्ला न उठाने के कारण लैप्स हो गया और मजदूरों को वितरित नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार दोषी कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बस्ती जिले के लिये 755 मैट्रिक टन खाद्यान्न के रिलीज आदेश 27-3-81 द्वारा निदेशक पंचायत राज के माध्यम से जिले में प्राप्त हुआ। इस आवंटन एवं अवमुक्ति आदेश की जिले में प्राप्ति की तिथि सत्यापित की जा रही है। यह सही है कि 31-3-81 तक गल्ला नहीं उठाये जाने के कारण पूर्ण खाद्यान्न की मात्रा लैप्स हो गई। प्रयासों के बाद भुगतान के सी0 आई0 ने इन्हें रिवैलीडेट नहीं किये। जो पुराने मजदूरी के बकाये है, उनके भी एफ0 सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

ब्लाक मिठौरा, गोरखपुर के पंचायत सेवक के विरुद्ध शिकायतें

125—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा से सम्बन्धित कितने पंचायत सेवकों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने फर्जी शैक्षिक योग्यता पर नियुक्ति पाने, घूस लेने, मेडिकल प्रैक्टिस करने, आचरणहीनता आदि से सम्बन्धित शिकायतें, सी० डी० ओ०, पंचायत राज अधिकारी एवं शासन को माह अगस्त, 1981 से माह 20 अक्तूबर, 1981 तक भेजी हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नकर्त्ता का कोई भी शिकायती पत्र माह अगस्त, 81 से माह अक्टूबर, 20, 1981 की अवधि में शासन को प्राप्त नहीं हुआ। केवल पंचायत सेवक न्याय पंचायत दरहरा, ब्लाक मिठौरा जिला गोरखपुर के विरुद्ध घूस लेने, मेडिकल प्रैक्टिस करने, आचरण हीनता तथा फर्जी योग्यता आदि से संबंधित एक शिकायती पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 को जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। परन्तु पत्र में वर्णित सभी आरोप जांच कराने पर निराधार पाये गये।

फैजाबाद में खाद्यान्न योजनान्तर्गत अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति तथा उनके बकाये वेतन का भुगतान

126—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फैजाबाद में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेशानुसार तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) ने दिनांक 13-11-80 के क्रम में जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक अभियन्ता (खाद्यान्न योजना) के पद पर 3 माह की नियुक्ति की गयी थी तथा कार्यरत अवर अभियन्ता का कार्यकाल दिनांक 12 फरवरी, 1981 को समाप्त हो गया ? यदि हां, तो क्या समस्त अवर अभियन्ताओं का सम्पूर्ण देय वेतन भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो अवर अभियन्ताओं का बकाया वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? तथा अवर अभियन्ताओं को वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इसकी जांच करायी जायेगी तथा क्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारी को दण्डित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वित्त विभाग की सहमति से श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत 581 अवर अभियन्ताओं की 3 माह की नियुक्ति हेतु आदेश 17 मई, 1980 को प्रसारित किये गये थे। जिलाधिकारी फैजाबाद से यह सूचना मांगी गई है कि उनके जनपद में श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति 31 जुलाई, 1980 के बाद भी क्यों बनी रही। सूचना प्राप्त हो जाने पर ही आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के खेत मजदूरों की मांगें

127—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 को आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के खेत मजदूरों ने अपनी दैनिक मजदूरी, भर्ती, निष्कासन फार्म मैनेजरों की अनियमितताओं के प्रश्न को लेकर कोई प्रदर्शन किया था और मांग-पत्र अधिष्ठाता श्री कीर्ति सिंह को दिया था ? यदि हां, तो मांग-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं ? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां।

प्रदर्शनकारियों के मांग-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—

(1) मजदूरों की एक वरिष्ठता क्रम सूची बनायें और उसी के अनुसार भर्ती और निकाली करें।

(2) चार पांच साल तथा पुराने मजदूरों को जिनको निकाल दिया गया है, उन्हें तत्काल काम पर वापस लें।

(3) विश्वविद्यालय की संपत्ति की चोरी करने से बाज आवें।

(4) पूरी मजदूरी दें और विश्वविद्यालय में सामंती वातावरण स्थापित न करें।

मांग पत्र में की गयी मांगों के सम्बन्ध में कार्यवाही इस प्रकार है—

(1) मांग संख्या—1 के सम्बन्ध में मजदूरों की वरिष्ठता सूची बना ली गयी है, अनुसंधान प्रक्षेत्र पर कार्य की महत्ता एवं आवश्यकतानुसार नियत समय पर उपस्थित होने वाले मजदूरों से यथासम्भव उनकी वरिष्ठता के अनुसार उन्हें काम पर लगाया जाता है।

(2) मांग संख्या—2 के सम्बन्ध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 21 मजदूरों में से 4 मजदूर दूसरी यूनिट पर कार्य पर लगे हुए पाये गये तथा 6 मजदूर स्वयं अपनी इच्छा से कार्य से अनुपस्थित थे। इस प्रकार कार्य से हटाये गये मजदूरों की वास्तविक संख्या केवल 11 पाई गयी। इन 11 मजदूरों में 7 मजदूरों को कनिष्ठता के आधार पर ही निकाला गया था तथा शेष 4को चोरी करते हुए पकड़े जाने के फलस्वरूप कार्य से हटाया गया था। हटाये गये इन 11 मजदूरों में से 9 मजदूरों को कार्य पड़ने पर काम पर ले लिया गया है, किन्तु शेष 2 मजदूरों को कार्य पर नहीं लिया गया क्योंकि ये चोरी करते पकड़े गये थे।

(3) मांग संख्या 3 तथा 4 निराधार एवं तथ्यहीन है।

राजकीय उद्यान, फैजाबाद की पौधशालाओं में गबन तथा घोटाले की जांच

128—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बी0 के0 सिंह, अधीक्षक तथा श्री ए0 बी0 लाल, उप निदेशक, उद्यान फैजाबाद, के जुलाई वर्ष 1979 से अब तक राजकीय उद्यान, फैजाबाद की पौधशालाओं में चार पांच लाख रुपए का गोलमाल एवं गबन तथा घोटाले का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इन आर्थिक गड़बड़ियों के दोषी कौन-कौन से अधिकारी हैं, उन आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्री बी0 के0 सिंह, अधीक्षक तथा श्री ए0 बी0 लाल, उप निदेशक उद्यान, फैजाबाद के कार्यकाल जुलाई, 1979 से मार्च, 81 तक के कार्यकाल का विभागीय सम्प्रेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार कुछ प्रशासनिक एवं वित्तीय कमियां इंगित की गई हैं। इन सम्प्रेक्षण रिपोर्टों पर दोनों अधिकारियों की आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही यह आकलन किया जा सकेगा कि उक्त अवधि में कोई गबन, गोलमाल अथवा घोटाला हुआ है या नहीं। अभी किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के छात्रों को विषाक्त भोजन दिए जाने की घटना की जांच

129—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के छात्रों को माह अक्तूबर, 1981 में विषाक्त भोजन की रहस्यमय साजिशपूर्ण कोई घटना प्रकाश में आयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कुमारगंज, फैजाबाद में दर्ज

करायी गयी है ? क्या यह भी सच है कि इस विश्वविद्यालय के छात्रों को विषाक्त भोजन दिये जाने की कोई घटना अप्रैल, वर्ष 1981 में भी घटित हुई है ? जिसमें बारह छात्र मरते-मरते बचे थे ? यदि हां, तो इन दोनों गम्भीर घटनाओं के जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी हैं ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और दोनों घटनाओं की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

2 अक्तूबर, 1981 की घटना जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कुमारगंज, फैजाबाद में दर्ज कराई गई थी के सम्बन्ध में पुलिस से अभी तक अन्तिम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। अतः किसी अधिकारी को इस घटना के लिये उत्तरदायी ठहराना तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर के विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं को बकाया वेतन का भुगतान

130—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर के प्रत्येक विकास खण्डों में माह फरवरी, 1981 अथवा उसके आसपास जिन अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी थी उनका वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ? इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है तथा शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कोई पद नहीं चल रहा है परन्तु कुछ भुगतान पूर्व नियुक्तियों के सम्बन्ध में अभी बकाये हैं। जिलाधिकारी से इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है जिसके प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

131—श्री विजय सिंह राना—

[30-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद आजमगढ़, ब्लाक मुहम्मदाबाद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान

132—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद ब्लाक में जनवरी, 1980 से जून, 1980 के बीच खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किए कार्य की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है तथा क्या इसमें बनियापार से हाफिजपुर तक हुआ मिट्टी का काम भी शामिल है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ? तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

133—श्री हरिवंश सहाय—

[3रे गरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री पी0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, गोरखपुर द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की शिकायत

134—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र 4-9-81 के साथ संलग्न पर्चे प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पर्चे में क्या लिखा है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। संलग्न पर्चे में श्री पी0 के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जनपद गोरखपुर द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायत की गयी है। श्री सिंह का स्थानान्तरण गोरखपुर से वाराणसी जनपद को कर दिया गया है तथा अनियमितताओं की जांच मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराई जा रही है। जांच आख्या अभी अप्राप्य है।

135--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री चित्रकूट पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, टांडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

136--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि श्री चित्रकूट पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, टांडा फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 18-4-81 व 20-4-81 का 16-5-81 को क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गयी तथा जांच के दौरान कितने आरोप सही पाये गए? तब सरकार के जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जैतपुर खास को कटेहरी ब्लाक के अन्तर्गत समायोजित करने का प्रस्ताव

137--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भीटी ब्लाक की न्याय पंचायत जैतपुर खास को कटेहरी ब्लाक के अन्तर्गत समायोजित करने की कार्यवाही वर्तमान समय में शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी?

श्री बलरामसिंह यादव--

जी नहीं।

जैतपुर खास की कटेहरी ब्लाक के अन्तर्गत समायोजित करने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

भीटी ब्लाक अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा पशु सेवा उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव

138--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में भीटी ब्लाक अन्तर्गत भिझौड़ा चौराहे पर जिला प्रशासन द्वारा पशुसेवा उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव संख्या 1083/5 प0स0के0-80, दिनांक 29-10-80 प्राप्त हो चुका है? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कब तक पशु-सेवा केन्द्र खोल दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं होता।

पिड़सरा ग्राम में शासन द्वारा निर्मित हरिजन पेयजल कूप

139--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के अरांव विकास क्षेत्र में पिड़सरा ग्राम में कोई हरिजन कूप (पेयजल) शासन द्वारा निर्मित कराया गया था? यदि हां, तो क्या इस ग्राम के निवासी हरिजनों को पेयजल नहीं लेने देते? क्या यह सत्य है कि इस कुयें से हरिजनों के मकान दूर हैं? इस कुयें के लिए स्थान का चयन किस अधिकारी ने किया था?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

पिरसड़ा ग्राम में विभिन्न जातियां रहती हैं। इस ग्राम का हरिजन पेयजल कूप जाटवों, धोबियों तथा कोरियों के मकानों के पास में बनाया गया है। गांव में मेहतर परिवार भी रहते हैं जिनके घर इस कूप से 80 गज दूरी पर हैं। गांव के जाटव तथा धोबी जाति के व्यक्ति इस हरिजन पेयजल कूप से मेहतरों को पानी नहीं भरने देते हैं। इस कुएं का स्थान श्री सियाराम शर्मा तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अरांव (मैनपुरी) द्वारा चुना गया था।

भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा श्री बाबू सिंह तेवतिया के विरुद्ध आरोप पत्र की जांच

140--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी--

विधान सभा कार्यवाही दिनांक 28-5-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, आगरा (श्री बाबू सिंह तेवतिया) के विरुद्ध शासन द्वारा कोई आरोप-पत्र दिया गया तथा क्या उसकी जांच पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी?

श्री भान प्रताप सिंह--

जी नहीं।

अतारांकित प्र0 सं0-38 के उत्तर के अनुक्रम में उपलब्ध साध्य आरोप-पत्र बनाने हेतु पर्याप्त नहीं पाये गये।

श्री बाबू सिंह तेवतिया को अन्य आरोपों के परिपेक्ष्य में आरोप-पत्र देकर जांच कार्यवाही पूर्ण की गयी और इन्हें दण्डस्वरूप उनके मूल पद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 में प्रत्यावर्तित किया गया।

141-142--श्री कुबेर भण्डारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश में श्रेणी-3 के कर्मचारियों के चयन में पिछड़ी जाति का कोटा

143--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा मई, 1981 में श्रेणी-3 के कर्मचारियों के चयन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे? यदि हां, तो इसमें 20 अक्तूबर, 1981 तक कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा इनमें पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? क्या उक्त चयन में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूरा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भान प्रताप सिंह--

जी हां।

20 अक्तूबर, 1981 तक कुल 257 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इन 257 लोगों में से 179 लोग अनुसूचित जाति के हैं। जिन्हें पिछले वर्ष के आरक्षण कोटे की पूर्ति करते हुए चयनित किया गया है। शेष चयनित 78 अन्य लोगों में से 18 लोग पिछड़ी जाति के हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जनपद में भिलांव और जलालपुर ग्राम के बीच ग्राम अभियन्त्रण द्वारा बनाई गयी पुलिया का पुनर्निर्माण

144--श्री शेर बहादुर--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भिलांव और जलालपुर ग्राम में ग्राम्य अभियन्त्रण द्वारा बनाई गयी पुलिया जो सन् 1981 में बनी है, टूट कर गिर गयी? क्या इसके निराकरण का कोई उपाय किया जा रहा है?

बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्मित सड़कें

145--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री मैनपुरी जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1973 से 1976 तक बनाई गयी सड़कों की सूची देने का कष्ट करेंगे जिसके साथ सड़क की लम्बाई वास्तविक व्यय भी दिया गया हो और यह भी उल्लिखित हो कि वह सड़क इस समय किस विभाग की देखरेख में है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित नेवादा-बीबीपुर सम्पर्क मार्ग पर बनी पुलिया का साईफन में परिवर्तन

146--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर ब्लाक में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित नेवादा-बीबीपुर सम्पर्क मार्ग पर मार्च-अप्रैल, 1980 में ग्राम नेवादा में बनी पुलिया को अगस्त, 80 में साइफन में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या इसके विरुद्ध श्री राम देवर पुत्र श्री देवीदीन का शिकायती-पत्र दिनांक 6-8-81 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जगदीश नारायण लाल, आंकिक, विकास खण्ड, महराजगंज का गबन के आरोप में निलम्बन तथा सेवा में पुनः नियुक्ति

147--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नारायण लाल, आंकिक विकास खण्ड, महाराजगंज, आजमगढ़ को गबन के आरोप में 17-7-61 से निलम्बित किया गया था तथा 20-12-80 से उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि कथित गबन से न्यायालय ने इन्हें निर्दोष घोषित किया है ? यदि हां, तो इन्हें सेवा में कब बहाल किया गया तथा इन्हें 17-7-61 से 31-7-74 तक के वेतन का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। श्री जगदीश नारायण लाल की सेवाएं 20-12-80 को नहीं बल्कि 29-12-68 को समाप्त की गयी थीं।

न्यायालय ने सन्देह का लाभ देते हुए दिनांक 31-7-74 को श्री लाल को गबन के आरोप से मुक्त कर दिया था इन्हें दिनांक 6-1-77 से सेवा में पुनः स्थापित किया गया, तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 54(4) के अधीन पुनर्स्थापित होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व का वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान कर दिया है। उक्त नियम के अनुसार 17-7-61 से 31-7-74 का वेतन देय नहीं है।

148--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्र वाइज कच्चे, पक्के मार्ग, नाला व पुलिया का निर्माण तथा उन पर व्यय

149—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त वर्ष 1980–81 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व जिला विकास कार्यालय, इटावा के अन्तर्गत जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्रवाइज कच्चे, पक्के कौन-कौन से मार्ग, नाला व पुलिया आदि बनाई गई है और उनमें से प्रत्येक पर कितना धन व्यय हुआ है और इसके लिए कुल कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

150—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1981–82 में नवम्बर, 1981 तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व जिला विकास कार्यालय, इटावा द्वारा जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्र वाइज कच्चे व पक्के कौन-कौन मार्ग, नाला व पुलियां आदि बनाई गयी हैं और उनमें से प्रत्येक पर कुल कितना व्यय हुआ है ? और इस हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद्यान्न योजनान्तर्गत, गोरखपुर मण्डल में जिलेवार विभागों को दिया गया खाद्यान्न

151—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980–81 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल में विभिन्न जिलेवार कितना-कितना खाद्यान्न किन-किन विभागों को दिया गया ? कितना खाद्यान्न आज भी अवशेष पड़ा है ? क्या इन निर्माण कार्य में खाद्यान्न का उपयोग करने की तिथि शासन द्वारा निर्धारित थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो निर्धारित अवधि के अन्तर्गत खाद्यान्न का उपयोग क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फतेहपुर मडांव विकास क्षेत्र में मछुई–मोहम्मदापुर माइनर का निर्माण तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) आजमगढ़ द्वारा जांच

152—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के छटे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–6 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला अधिकारी (परियोजना), आजमगढ़ द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) से प्राप्त सूचना के आधार पर यह जांच कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया में दोषी पाए गये तीन कर्मचारियों को आरोप-पत्र दे दिए गये थे जिनका उत्तर नवम्बर, 1981 में प्राप्त हो गया है। उत्तर के साथ संलग्न कुछ बयान हल्फी इत्यादि के बारे में अतिरिक्त जानकारी जिला स्तर पर प्राप्त की जा रही है। पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

राजकीय उद्यान विभाग, फैजाबाद में निष्कासित किए गये कर्मचारी तथा उनकी मांगों पर कृत कार्यवाही

153—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान अधीक्षक, श्री जे0 बी0 सिंह, फैजाबाद तथा उप निदेशक श्री ए0 बी0 लाल ने राजकीय उद्यान विभाग, फैजाबाद के 42 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है जो काम पर वापस लिए जाने हेतु जनवरी के अन्तिम सप्ताह से 3 नवम्बर, 1981 तक क्रमिक अनशन किसानभवन, मुख्यालय में करते रहे और 3 नवम्बर, 1981 को उनकी मांगों के सम्बन्ध में संयुक्त कृषि यूनियन समन्वय समिति, फैजाबाद के तत्वावधान में एक विशेष आवेदन दिया गया और मांग-पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों के निष्कासन के कारण क्या हैं तथा मांग-पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

औद्योगिक इकाइयों पर सुचारु रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने हेतु समय-समय पर दैनिक श्रमिक रखे जाते हैं। वर्षा ऋतु में श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर संख्या कम करनी पड़ती है। मांग-पत्र की मुख्य मांगें अधीक्षक राजकीय उद्यान के कार्यकाल में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कराए जाने से सम्बन्धित थी। उक्त लेखों का विभाग सम्प्रेक्षण कराया जा चुका है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नियमों में यही है कि जब प्रश्न बहुत हों तो उस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और जब प्रश्न-प्रहर समाप्त हो जाए तो तुरन्त अपना व्यवस्था का प्रश्न ला सकते हैं। इसलिए मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यदि आप आज्ञा देंगे तो करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

पूछिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि यह मामला न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन है इसलिए यहां पर कोई बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन यह दूसरी ओर मनोनयन का कार्य जारी रख रहे हैं यह क्या नियम है ? क्यों?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, यह एजेंडे के किस प्रश्न के तहत बात कर रहे हैं, कृपया बताने की कृपा करें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

दो बातें सुन लें। एक तो एक प्रश्न व्यवस्था का पूछ रहे थे उस के रहते और उस व्यवस्था के प्रश्न के उठने के बीच ही में किस नियम के तहत अपने मंत्री को खड़ा बुलाए यह प्रश्न पूछा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का साफ-साफ प्रश्न यही है कि जब एक मामला कोर्ट में विचाराधीन है और साथ-साथ यह अपना काम भी मनोनयन का अन्दर-अन्दर कर रहे हैं, तो यह किस नियम के तहत है और दूसरे यह उस विधि को आप सदन में बता नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष—

जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, उसका इस सदन को कोई सम्बन्ध नहीं और मसला सदन में विचाराधीन हो उसमें न्यायालय का कोई सम्बन्ध नहीं। इसके अतिरिक्त अन्यत्र इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है उसका भी यह सदन संज्ञान नहीं लेता है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर अभी दिया है कौन सा राजनितिक दल किस तरह के निर्देश देता है, उसकी जानकारी इनको नहीं। इस सम्बन्ध में मैं एक व्यवस्था चाहूंगा क्या यह सही नहीं है कि जो मन्त्री किसी डिपार्टमेन्ट का इंचार्ज है इसमें आनरेबिल मेम्बर्स भी हैं और मिनिस्टर्स भी हैं और ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी सारे मिनिस्टर्स की भी है। उन मन्त्रियों के जरिए विभिन्न जिलों में नाम नेशन पर फारिश मांगी गयी हैं, क्या यह सह है ?

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों ऐसा व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको तो जानकारी है ही।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं तो आपसे यह जानना चाहता था कि ऐसा करना उचित है या अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो, नियमतः क्या है, यह बता सकता हूं, उचित अनुचित नहीं बता सकता।

एक सदस्य—

तो फिर उचित अनुचित कौन बताएगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप सब का हुक्म बताएगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है।

[समय 12.25 अपराह्न से]

झांसी स्थित महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज के अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियों का अभाव तथा कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज के अस्पताल की भयावह एवं विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियां लगभग एक माह से समाप्त हो चुकी हैं। जीवन-रक्षक औषधियों को क्रय करने के लिए अस्पताल के पास किसी प्रकार का बजट नहीं है। औषधियों के अभाव में अस्पताल में त्राहि-त्राहि मची है। मरीजों को सभी औषधियां यहां तक कि काटन, बैन्डेज और ग्लूकोज की बोतलें बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं साथ ही कालेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति न होने से अस्पताल एवं कालेज में व्यापक स्तर पर अराजकता, अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार तथा गुण्डागर्दी व्याप्त है। कर्मचारी-डाक्टर अपनी-अपनी मनमानी कर रहे हैं। कालेज तथा अस्पताल में अनुशासन एवं व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गयी है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, श्री लोकपति त्रिपाठी ने पिछली बार झांसी आगमन पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज

झांसी को एक करोड़ रुपए दिलाए जाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक एक पैसा भी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज को प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि :—

1—महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियों एवं सामान अविलम्ब उपलब्ध कराया जावे।

2—स्थायी प्राचार्य की अति शीघ्र नियुक्ति की जाय।

3—माननीय स्वास्थ्य मन्त्री की घोषणा के अनुसार मेडिकल कालेज, झांसी को एक करोड़ रुपया अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

गन्ना सप्लाई करने वाले कृषकों से गन्ना क्रय केन्द्र से मिल तक यातायात का किराया बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, अभी तक मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले कृषकों से, गन्ना क्रय केन्द्र से मिल तक यातायात का किराया 32 पैसे प्रति कुन्तल की दर से वसूल किया जाता था परन्तु इस वर्ष प्रदेश की सभी चीनी मिलों में यह भाड़ा 32 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया कर दिया है। मिल मालिकों का यह निर्णय एक पक्षीय है जिससे कृषकों को करोड़ों रुपयों से वंचित किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई कारगर कदम कृषकों को इस लूट से बचाने के लिए नहीं उठाया है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरन्त प्रभावी कदम उठा कर पूर्व की भांति मिल मालिकों को केवल 32 पैसे प्रति कुन्तल भाड़ा वसूल करने के लिए बाध्य करें।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कृषकों को बिजली के कनेक्शन देने पर रोक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि शासन के आदेशों के बाद भी उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने कृषि कार्य हेतु घरेलू तथा औद्योगिक सभी प्रकार की बिजली कनेक्शनों की रिलीज पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। गत दो माह से एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। सरकार ने घोषित किया कि 21 सितम्बर, 1981 से रोक हटा ली गयी है परन्तु उसके बाद भी कोई कनेक्शन नहीं दिया गया।

बिजली की स्वीकृति पाकर प्रदेश में हजारों लोगों ने फिक्सिंग करा ली, उद्यमियों ने बैंक आदि से कर्ज लिया। संस्थान खड़े हैं। मशीनें फिट हैं। ब्याज पड़ रहा है परन्तु स्वीकृति के बाद भी कनेक्शन न देने से अति अति हो रही है।

मान्यवर, शासन का ध्यान बोर्ड की इन अक्षमता की ओर अनेक बार दिलाया गया परन्तु अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप बिजली चाहने वाले उपभोक्ताओं में घोर असन्तोष है एवं शासन का निदेश न मानने के लिए सरकार का भी उपहास हो रहा है।

अतएव लोक महत्व की इस सुविदित अविलम्बनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर, अपेक्षा करता हूं कि बिजली कनेक्शनों की रिलीज तत्काल चालू कराने हेतु त्वरित व्यवस्था की जायगी।

मारकण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कैथी, वाराणसी के बन्द होने से छात्रों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

मार्कण्डेय उच्च स्तर मा0, मार्कण्डेय उ0 मा0 विद्यालय कैथी, वाराणसी पिछले तीन महीने से [illegible] बन्द है। पांच सौ विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। [illegible] की परीक्षा सन्निकट है। किन्तु अभी तक हाईस्कूल के छात्र के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं।

विद्यालय बन्द होने का प्रमुख कारण यह है कि दो विवादग्रस्त तथाकथित प्रबन्ध समितियों के गठन के सम्बन्ध में कुछ अराजनैतिक तत्वों ने 23 सितम्बर, 1981 को विद्यालय के [illegible] पर हमला किया जिसमें एक अध्यापक को गम्भीर चोटें आयीं। अतः [illegible] प्रबन्धक ने विद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया है। प्रान्तीय [illegible] विद्यालय के अधिकारियों ने कर्मचारियों तथा अध्यापकों के [illegible] किन्तु असामाजिक तत्वों से सुरक्षा की न तो कोई व्यवस्था की गयी और न ही विद्यालय को खोला गया।

[illegible] तथा परीक्षाओं के सन्निकट होने से छात्रों एवं अभिभावकों में चिन्ता व्याप्त है, [illegible] है।

अतः मैं [illegible] से इस घटना को शासन तथा माननीय सदन के संज्ञान में लाकर [illegible] कि विद्यालय को खुलवाने की तत्काल व्यवस्था की जाय।

देवरिया जिले में बच्चों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर सैया—

अध्यक्ष महोदय, जनपद देवरिया में केवल एक दिसम्बर के महीने में 200 बच्चों का अपहरण किया गया। [illegible] वजह से पूरे जनपद के देहाती क्षेत्रों में व्यापक रूप से चिन्ता और [illegible] उत्पन्न हो गया है। सूचनाओं के अनुसार अपहरण करने वाले [illegible] पार्टी के रूप से रख छोड़ा है और उनका यह अपहरण [illegible] है। यह भी कहा जाता है कि अपहरण में कुछ [illegible] का सम्बन्ध है जिसके कारण दोनों प्रदेशों की सीमाओं के इधर-उधर रहने वाली [illegible] जनता चिन्तित है। इस जंगल पार्टी का मुख्य क्षेत्र अफीमादान, पिपरापट और [illegible] है। इस व्यापक अपहरण की घटनाओं के कारण प्रदेश के [illegible] देवरिया और बस्ती की जनता में घोर असन्तोष और अविश्वास, [illegible] उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं गौर बहुत के इस अति गम्भीर एवं चिन्तित विषय की ओर माननीय गृह मन्त्री का ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम कृष्ण सिंह)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अन्नोत्पादक और पशुकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

वित्त मन्त्री (श्री [illegible])—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश अन्नोत्पादक और पशुकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छपा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981†

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981†

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981†

कृषि उप मन्त्री (श्री रघुनाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981†

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (द्वितीय) अध्यादेश, 1981†

जन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय) अध्यादेश, 1981†

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

(ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस पर मुझे आपत्ति है। आप सुन लें, मान्यवर। मान्यवर, इन्होंने अभी स्वयं कहा है कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उसको सदन के पटल पर रखने का औचित्य क्या है? कोई वैधानिक औचित्य नहीं है, मान्यवर। भारतीय संविधान में महामहिम राज्यपाल को उन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जब विधान मण्डल का सत्र न हो और कोई ऐसी अविलम्बनीय चीज हो जिससे पूरे समाज का अहित होने वाला हो। जब यह अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे उस समय उनके संज्ञान में था ऐसी स्थिति में इस तरह के अलोकतंत्रीय, अनैतिक, संविधान विरोधी अध्यादेश को जारी करने का कोई औचित्य नहीं था इसलिए इस काले विधेयक, लोकतंत्रीय विरोधी विधेयक को सदन के पटल पर, जो लोकतन्त्र तथा व्यक्तियों को संरक्षण देता है, रखने की इजाजत न दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं दूसरे प्वाइंट पर कहूंगा। अगर वह न्यायालय के विचाराधीन है और सदन के पटल पर रखा जा सकता है तो हम उस पर रखने के बाद चर्चा नहीं कर सकेंगे क्योंकि वह न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इसकी अनुमति करने की अनुमति न दें। दूसरी बात, अपरिहार्यता के बारे में, श्री अम्बेदकर जो हमारे संविधान निर्माण परिषद् में पाइलेट कर रहे थे, उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी, श्री सहगल, कमलापति आदि थे, अध्यादेशों को या तो विधान सभा की बैठक बुलाकर पारित किया जाय नहीं तो वह स्वयं निरस्त हो जायेंगे, इसके उत्तर में श्री अम्बेदकर ने कहा था कि इससे हम सहमत हैं और यह तभी पारित होगा। तो यह एक आश्वासन था। इसी सन्दर्भ में मैं शासन से तथा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो रोज अध्यादेश जारी हो रहे हैं, इससे अवहेलना हो रही है क्योंकि 11 करोड़ हमारी आबादी है उनके 8-9 करोड़ लोगों के अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं।

उनकी भावना यह थी कि उनका कोआप्शन निकाल दें। अब वह मनोनयन करने जा रहे हैं, इस तरह पूरा वह गलत काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने कहना चाहता हूं कि इसे सदन के पटल पर रखने की अनुमति न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के उपखण्ड 2 में यह एक संवैधानिक आवश्यकता है कि जो अध्यादेश जारी हुआ उसको विधान सभा और विधान परिषद् के समक्ष रखा जाय। आपने यह आपत्ति की है जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि यह न्यायालय में विचाराधीन है, उसका औचित्य, उसमें जो निहित तथ्य हैं उनका औचित्य विचाराधीन है। यह अध्यादेश जैसा का तैसा यहां रखा जाय और वहां कोई निर्णय हो जाय और

---

†छापा नहीं गया।

वह भी यहां रखा जाय तो यह कार्य सम्भव नहीं है लेकिन वह अध्यादेश आपके समक्ष न रखा जाय, यह एक [illegible] है उसको न करना उचित नहीं है। अध्यादेश आपके समक्ष रखा जायगा। उसको आप देखें और [illegible]। मैं इसे रखने की अनुमति देता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

सामान्य प्रशासन मन्त्री (श्री [illegible])—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

गृह मन्त्री (श्रीमती [illegible])—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 †

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 †

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 एस0टी0-2-255/दस-900(17) 69-उ0प्र0अधि0-15-1948-नियम-1948-संशोधन (प्रथम)-1981, दिनांक 6 मई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी, है, को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इकत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2248-टी/तीस-3-16-पी-80 के अधि0-4, 1939-नियम-1940-संशोधन (31)-1981, दिनांक 1 मई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इकत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 1981 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी थी, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980†

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1867 बी/33-2/74 यू0पी0ए0-33-61-नियम-72 संशोधन (4)-1980, दिनांक 31 जुलाई, 1980 द्वारा प्रख्यापित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (चतुर्थ शोधन) नियमावली, 1980 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी थी, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र‡

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2866 बी/यू0पी0ए0 33-1961 रूल-1978, दिनांक 29 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 जो सदन के पटल पर दिनांक 8 मार्च, 1979 को रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या 353-डी/33-2-ग्रा0वि0-4-520-78, दिनांक 5 जुलाई, 1979 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को सदन के पटल पर रखा गया था तथा जिसके सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।
‡छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र††

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज-अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 128/बी-33-2-5 आर/62-यू0पी0 ऐक्ट, 33/61 रूल-65 अमेंडमेन्ट (3)-79, दिनांक 11 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 जो सदन के पटल पर दिनांक 16 जुलाई, 1980 को रखी गई थी, से सम्बन्धित शुद्धि पत्र संख्या 128-बी/ 33-2-5-आर/62, दिनांक 27 अगस्त, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को सभा के पटल पर रखा गया था तथा जिसके सदन के पटल पर रखे जाने का निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्-अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की पंचम वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1978-79††

संसदीय कार्य राज्यमंत्रीराम (श्री रतन सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, लिमिटेड लखनऊ की पंचम वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1978-79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (भाग प्रथम) व (भाग द्वितीय) वर्ष 1981-82†

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (भाग प्रथम) व (भाग द्वितीय) वर्ष 1981-82 इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1977-78†

कृषि उप मन्त्री (श्री दलजीत सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1977-78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदनके पटल पर रखता हूं।

स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1980†††

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0-409/डी0-33-2-200 (46) 78-33-1961-नियम, 1978-संशोधन 3-1980, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1980 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।
††छापे नहीं गये।
†††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 †

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं वित्त (मनोरंजन-कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या तीस-ई-बी-6 (2)-76-वित्त (म0क0) अनु0 दिनांक 7 जुलाई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में किए गये त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(विवरण के लिये देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 160 पर)

उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 जो विधान सभा द्वारा 18 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 18 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 18 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 17 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 17 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 23 सितम्बर, 1981 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की बैठक में में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 198 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्धग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक, 21 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन 1981 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण) (उपबन्ध) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई आदि की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को गिरफ्तारी/कारावासित किए जाने तथा यथास्थिति रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है--सर्वश्री राम गोविन्द, सुल्तान सिंह, श्याम सिंह, राम नारायण कुशवाहा, राम धनी राम, राम करन सिंह, श्रीमती पार्वती देवी, राम सागर, [illegible] प्रसाद यदुनाथ सिंह, मुहम्मद आजम खां, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, कुंवर सिंह नेगी, डा० शिवानन्द नौटियाल, गोपीनाथ वर्मा, छत्तर सिंह, चन्दन सिंह, भगवानदीन कुशवाहा, राजेन्द्र [illegible] गुप्त, हर गोविन्द वर्मा, राजेन्द्र सिंह, राधेश्याम पटेल, राम स्वरूप निम, दल गंजन सिंह, किरन पाल सिंह, कुबेर भण्डारी, जनार्दन प्रसाद ओझा एवं श्री अकबाल हुसैन।

उपर्युक्त माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में उक्त सूचनाएं इस सचिवालय द्वारा जारी किए गये बुलेटिन संख्या 34 से 39 द्वारा प्रसारित की जा चुकी हैं।

विधान सभा सदस्य, श्री मुख्तार अनीस व श्री प्रदीप कुमार यादव की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने निर्धारित प्रपत्र में अपने सन्देश, दिनांक 15 जनवरी, 1982 जो 16 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि सर्वश्री मुख्तार अनीस तथा प्रदीप यादव (सचिवालय के अभिलेखानुसार श्री प्रदीप कुमार यादव) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी, 1982 को 11-30 बजे दिन के दौरान जांच के लिए गिरफ्तार किए गये और उन्हें जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है।

अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1982 जो उसी दिन प्राप्त हुआ, में उपर्युक्त माननीय सदस्यों को दिनांक 15 जनवरी, 1982 को जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध किए जाने की सूचना दी है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उन्हें मैं अभी नहीं ले रहा हूं।

[समय 1 बजे अपराह्न]

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 जनवरी, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के 15 जनवरी, 1982 के उपवेशन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाए जाने, नियम के निर्देश तथा औपचारिक कार्य के पश्चात् विधान सभा का 16 जनवरी, 1982 से 26 जनवरी, 1982 तक का कार्य-क्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :--

16 जनवरी, 1982 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
17 जनवरी, 1982 रविवार	
18 जनवरी, 1982 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
19 जनवरी, 1982 मंगलवार	
20 जनवरी, 1982 बुधवार	
21 जनवरी, 1982 गुरुवार	

[श्री अध्यक्ष]

22 जनवरी, 1982 शुक्रवार — निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

1—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981—दो घंटे ।

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981—एक घंटा ।

3—उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981—एक घंटा ।

23 जनवरी, 1982 शनिवार
24 जनवरी, 1982 रविवार
25 जनवरी, 1982 सोमवार
26 जनवरी, 1982 मंगलवार
(गणतन्त्र दिवस)
} बैठक नहीं होगी ।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना आज अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दिनांक 5 फरवरी, 1981 को पूछे गए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

मान्यवर, दिनांक 5 फरवरी, 1981 को श्री मोहन सिंह जी सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि कास्ट आफ प्रोडेक्शन के बारे में पूछा गया है जिसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने 140 रु0 दिया है जब 140 रु0 कास्ट आफ प्रोडक्ट्स आता है और वही मूल्य किसानों को दिलाना चाहते हैं तो किसानों को क्या मुनाफा बचेगा ? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि 130 रु0 कास्ट आती है और 10 रु0 प्राफिट को ऐड करके 140 रु0 दिया है ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है—

वर्ष 1980-81 के लिए गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत रु0 136.33 पैसे प्रति कुन्तल है जैसाकि विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर में कहा गया था । मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 161 पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हमने दो प्रश्न किए थे । एक तो यह कि गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आती है और उस कास्ट आफ प्रोडक्शन पर कितना मुनाफा देकर किसानों का गेहूं खरीदने के लिए रिकमण्ड किए हैं केन्द्र सरकार से । अभी जब आलू की चर्चा चली थी तो

मन्त्री जी ने कहा कि इनकी सरकार किसानों को अहसान फरामोश नहीं है। आज आधे घंटे बाद स्वीकार कर लिया कि गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन 136.33 पैसे आती है और इन्होंने 130 रु0 में गेहूं खरीदा है। इस तरह से 6 रु0 की सीधी-सीधी लूट की है। तो यह तो शोधन वक्तव्य है उसमें हमारे प्रश्न का दूसरा पहलू था कि कितना मुनाफा किसानों को उसकी लागत का मिले, उसके लिए केन्द्र सरकार ने क्या संस्तुति की जिस पर गेहू खरीदा जाय यह जो अपने को किसानों का फरमाबरदार कहते हैं उसका उत्तर बता दें।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा शोधन वक्तव्य पढ़ें।

श्री मोहन सिंह--

उत्तर क्या दिया, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो इसमें कोई होगा नहीं।

श्री मोहन सिंह--

वक्तव्य पूरा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा वक्तव्य पढ़ें।

दिनांक 30 मार्च, 1981 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30-3-81 को श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसैन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या जैसा माननीय मन्त्री जी ने सवाल को डिनाई किया है, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री चन्द्रपाल सिंह ने बुलन्दशहर में कौन सी तिथि को ज्वाइन किया था? क्या उनके खिलाफ कुछ शिकायतें भी हैं, जिनकी जांच वगैरह भी की गई थी और फिर उनको रिलीव क्यों नहीं किया गया? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि श्री चन्द्रपाल सिंह के खिलाफ गुमनाम दरख्वास्तें काफी हैं। एक दरख्वास्त जो पहले आई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें जितने आरोप थे वह सिद्ध नहीं हो पाये। इनका ट्रांसफर हुआ था, वहां से लेकिन वहां के अधिकारी ने यह लिखा सरकार को कि इनके खिलाफ पुलिस के मामले हैं तथा वे मामले कोर्ट में हैं, इन परिस्थितियों में इनको रोकना आवश्यक है। दूसरी दरख्वास्त इनकी स्त्री की तरफ से आई कि वह हृदय रोग की मरीज है, इस लिए उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया जाय। इसलिए उनका स्थानान्तरण स्थगित-कर दिया गया।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है-- श्री चन्द्रपाल सिंह के खिलाफ गुमनाम दरख्वास्तें काफी हैं। एक दरख्वास्त जो पहले आई थी उसकी रिपोर्ट आ गयी। जितने आरोप थे, वह नहीं सिद्ध हो पाये। इनका ट्रांसफर हुआ था वहां से लेकिन वहां के अधिकारी ने कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए श्री सिंह के स्थानान्तरण को निरस्त करने की संस्तुति की थी। दूसरी दरख्वास्त इनकी स्त्री की तरफ से आई कि वह हृदय रोग की मरीज हैं। इसलिए इनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया जाये। इसलिए उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 162 पर)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सदन के 17 सितम्बर, 1980 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 28 जनवरी, 1981 और पुनः 15 सितम्बर, 1981 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्ष 1982 के आय-व्ययक सत्र के प्रथम दिन अर्थात् 15 जनवरी, 1982 तक था,

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गई अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 58 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय—

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 1982 के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उक्त प्रवर समिति का समय बढ़ाये जाने का जो प्रस्ताव है, उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्ष 1982 के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 1 बजकर 10 मिनट से)

सदन में हुए राज्यपाल के अभिभाषण के अलिखित अंश के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न हमारे पास कुल पांच आए हैं। तीन प्रश्न एक ही विषय में हैं और दो प्रश्न अलग अलग विषय पर हैं। जो तीन प्रश्न एक ही विषय पर हैं, वे श्री मोहन सिंह, श्री राम गोविन्द और हुकम सिंह जी के हैं। इसके पहले कि मैं आपसे अपने विचार रखने को कहूं, मैं यह निवेदन करूंगा कि इन प्रश्नों को रखते हुए इनको वैधानिक दृष्टिकोण से ही रखें और अन्य कोई विषय जैसे किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का कष्ट न करें।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हम कितनी ही आलोचना करें, उनकी आलोचना नहीं हो सकती है। मान्यवर, हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली का एक तरीका है। हमारी जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 19 है उसमें दिया हुआ है कि "प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधानमंडल को आह्वान के कारण बतायेंगे। यह बात हमने अपने संविधान से नियमावली में रखी है। 15 तारीख को समवेत हुए दोनों सदनों को माननीय राज्यपाल ने सम्बोधित किया। आगे यह है कि माननीय अध्यक्ष राज्यपाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़ कर सुना सकेंगे। उस दिन एक लिखित अभिभाषण इस आदरणीय सदन को सुनाकर सदन के पटल पर रख दिया लेकिन समाचार पत्रों द्वारा हमें यह मालूम हुआ कि एक लिखित भाषण पढ़ दिया तो इस कृत्य के जरिए महामहिम राज्यपाल ने हमारे देश की संसदीय परम्परा के इतिहास में एक नया संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर दिया। अब की जो परिपाटी है उसको दुनिया की मदर पार्लियामेंट से लिया। वहां की प्रथा है कि हर साल दोनों संयुक्त सदनों के आह्वान का कारण समझायेंगे। हमारी प्रथा है वह वही प्रथा नहीं ली गयी है। इस सम्बन्ध में मैं संविधान सभा के 2-1 उद्धरण आपकी आज्ञा से श्री मुन्शी साहब के निवेदन करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा था कि--

"वी हैव ट्राइड टु एडाप्ट दि ब्रिटिश माडल एज फार एज वी कैन, कनसिस-टैन्टली विद दि कन्डिशन्स इन दिस कन्ट्री एण्ड सो दि कांस्टीट्यूशनल हैड आफ दि प्रोविन्स एण्ड दि प्रेसीडेन्ट मस्ट बी पुट आन दि सेम लेविल एज दि कांस्टीट्यूशनल हैड इन इंगलैण्ड"

हमने कोशिश की है कि अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप ब्रिटिश माडल को जहां तक संभव हो, अपनाया लेकिन वहां पर यह पद्धति रही है कि लार्ड चांसलर अपने हाउस आफ लार्ड्स में और स्पीकर हाउस आफ कामन्स में क्वीन का अभिभाषण पढ़ कर सुनाते हैं, कभी कभी लार्ड चांसलर के ही जरिए अपनी उपस्थिति में किंग या क्वीन अपना भाषण पढ़ कर सुनवाते हैं। 1921 में जब सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव कौंसिल बनी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1919 में आया था उसके अनुसार हैड औफ दि स्टेट के एड्रेस का क्लाज जुड़ा। 1921 से 1947 तक गवर्नर जनरल कई बार जाइन्ट सैशन या अलग से एड्रेस करते थे। 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में भी था लेकिन 1947 से जनवरी, 1950 तक संविधान सभा को भी गवर्नर जनरल ने कभी एड्रेस नहीं किया। 1950 की प्रोविजनल पार्लियामेंट में 3 बार प्रेसीडेन्ट का भाषण हुआ तब यह संशोधन हुआ कि 3 बार मिलने से समय नष्ट होता है और अपव्यय भी होता है। इसलिए साल में एक बार ही हो। पश्चिमी बंगाल में धवन साहब 1965 में कोलाहल के कारण अभिभाषण न पढ़कर पटल पर रख कर चले गये, तो यह मामला उच्च न्यायालय में चला गया जिस पर यह रूलिंग हुयी कि चूंकि कोलाहल हो रहा था अतः सदन के पटल पर रखने से उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। ऐसी ही स्थिति सन 1969 में आयी जब माननीय धर्मवीर सिंह राज्यपाल थे, वे अपना लिखित भाषण पूरा नहीं पढ़ सके थे, तो स्वाभाविक प्रश्न यह उठा था कि उन्होंने उसको पूरा क्यों नहीं पढ़ा क्योंकि उसको पढ़ना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। इस पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने यह कहा कि उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। अपने सदन में भी एक बार ऐसी स्थिति आयी थी जब कि एक बार राज्यपाल महोदय यहां इमरजेन्सी का समर्थन किया था, बाद को परिस्थिति जब बदली तो यहां पर ही उन्होंने इमरजेन्सी का घोर विरोध किया। तो सरकार का यह एक पालिसी डिक्लेरेशन होता है जिसे महामहिम राज्यपाल यहां पर पढ़ते हैं। अब तक लिखित भाषण की ही मान्यता रही है। अबकी बार यहां पर एक नयी परिस्थिति आ गयी और माननीय राज्यपाल महोदय लिखित अभिभाषण का तो कोई अंश छोड़ा नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ बातें कह दीं। उनके पढ़ने में कोई किसी तरह का व्यवधान न हो, इसलिये हमने उन को पढ़ने का पूरा अवसर दिया, हम लोगों ने यह मैदान छोड़ दिया।

[श्री मोहन सिंह]

मान्यवर, उन्होंने एक नयी बात 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कही कि हमारी सरकार उसे पूरा करेगी। लिखित अभिभाषण में 24 सूत्रीय कार्यक्रम का जिक्र है, 20 सूत्रीय उन्होंने अपनी तरफ से और जोड़ दिया। अर्थात् अब यहां पर 44 सूत्रीय कार्यक्रम पर बहस हो।

मान्यवर, एक बात उन्होंने और यह कह डाली कि यह सरकार बिना मल्लाह के एक नाव की तरह से है जो दिशाहीन होकर चली जा रही है। मान्यवर, उस पीठ से इस सरकार की एक ऐसी आलोचना हो, महामहिम राज्यमाल के मुंह से ऐसी बात उच्चरित हो, जिसे की सरकार की नीति–वक्तव्य कहा जाता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या अर्थ होगा? यह सरकार तो स्वतः राज्यपाल महोदय का विश्वास ही खो चुकी है।

अब मान्यवर, एक मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो लिखित अभिभाषण है, उसके अतिरिक्त यदि वे यहां पर कुछ कहते हैं तो क्या यह सदन उसको अपने संज्ञान में लेकर उस पर चर्चा करें? क्या उनको लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त भी कुछ कहने का अधिकार है? उस दिन की कार्यवाही भी प्रतिवेदित नहीं होती। ऐसी स्थिति में लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त जो कुछ उन्होंने कह दिया है वह सदन के संज्ञान में नहीं कहा जा सकता। अब वह अंश समाचार पत्रों में भी छपा है। यदि वह इस सदन के संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो समाचार पत्रों पर भी विशेषाधिकार हनन का प्रश्न आयेगा कि उन्होंने उसको छाप कैसे दिया क्योंकि उनको अधिकार तो यह है कि वह यहां की कार्यवाही को हू बहू छापेंगे और जो चीज यहां लिखी नहीं जाती है, उसे वे भी नहीं छाप सकते हैं।

प्रश्न एक यह है कि यदि यह पालिसी डिक्लेरेशन गवर्नमेंट की है और इसके अतिरिक्त अपनी तरफ से यदि कोई बात राज्यपाल महोदय कहते हैं तो क्या यह कह कर उन्होंने अपनी ड्यूटी की उपेक्षा नहीं की है? और क्या उस पीठ से किसी की आलोचना करने का उनको अधिकार है? क्या वे गवर्नमेंट की आलोचना या प्रताड़ना करने के हकदार हैं? क्योंकि मान्यवर, जो हमारा संविधान है, वह यह कहता है कि ये गवर्नर और लेजिस्लेचर के दोनों सदन, ये विधान मण्डल के हिस्से होंगे। महामहिम राज्यपाल हमारे अंग हैं, और जब वह हमारे अंग हैं, तो वह हमारे अंग के रूप में रहेंगे, हमारे मालिक के रूप में नहीं रहेंगे। हमारी नियमावली में है कि अगर आप हमारी नियमावली के विरुद्ध जायं, तो आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे। लेकिन जो हमारे अंग हैं और वह हमारे मालिक के रूप में बैठ कर आदेश दें कि हम आपको यह आदेश देते हैं तो उसके प्रति सदन का क्या अधिकार रह जाता है? लिखित भाषण के अतिरिक्त जो कुछ उन्होंने कहा, वह सदन का अंग है।

डा० अम्बेदकर ने कहा है कि—

"दि गवर्नर अन्डर दि कांस्टीट्यूशन हैज नो फंक्शन्स विहच ही कैन डिस्चार्ज वाई हिम्",

उन्होंने यह कहा कि हमारे संविधान के अन्तर्गत गवर्नर का कोई ऐसा कर्त्तव्य नहीं जो अपने आप वह उसको निर्वहन करे। ऐसा कोई कार्य उनका नहीं है।

"नो फंक्शन ऐट आल व्हाइल ही हैज नाट फंक्शन, ही हैज सरटेन ड्यूटीज टु परफार्म, दि आर्टिकिल सरटेनली डज नाट कनफर पावर अपान दि गवर्नर, दि पावर टु ओवर रूल दि मिनिस्ट्री आन ऐनी पर्टिकुलर मैटर,"

इस अनुच्छेद में संविधान उनको इस बात का अधिकार नहीं देता कि वह मंत्रि मण्डल को किसी विषय पर एकदम टर्न डाउन कर दें। वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने को मजबूर हैं।

दि गवर्नर इज बाउन्ड टु एक्सेप्ट दि एडवाइज आफ दि मिनिस्ट्री बन ड्यूटी इज टु रिटेन इन आफिस मंत्रि मंडल को आफिस में रिटेन करने का दायित्व करते हैं। दूसरा कर्त्तव्य यह है कि मिनिस्ट्री को सलाह देंगे। तीसरा कर्त्तव्य यह है कि मिनिस्ट्री को चेतावनी देने का भी दायित्व उनका है।

"दि सेकेन्ड इज टु एडवाइज दि मिनिस्ट्री, टु वार्न दि मिनिस्ट्री, टु सजेस्ट टु दि मिनिस्ट्री ऐज आल्टरनेटिव एण्ड टु आस्क फौर ए रिकंसिडरेशन, अदरवाइज ही वुड बी, ऐन ऐब्सोल्यूटली अननेससरी फंक्शनिंग, नो गुड ऐट आल", मंत्रि मंडल को विकल्प भी सोचना उनका दायित्व है और पुनर्विचार के लिए सलाह देना भी उनका दायित्व है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को चेतावनी देना और सरकार को सलाह देना और जो उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कही, यदि यह बात उनकी ड्यूटी में आती है तो उसको भी कार्यवाही का अंग मान कर उसी के ऊपर कटौती के प्रस्ताव की आप आज्ञा दें। जब तक आप इसकी आज्ञा नहीं देते, इसके ऊपर मुकम्मिल भाषण की आज्ञा नहीं देते, तो उसके ऊपर कटौती का प्रस्ताव देना एक त्रुटि हो जायगी। हम लोगों की तो आप से कम मर्यादा है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा न कहें। आप सबकी मर्यादा है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, उन बातों पर न चर्चा कराना कहीं आप मुजरिम न हो जायं। मान्यवर, उससे तो हम लोग अपमानित हो जायेंगे और यह एक नया संकट पैदा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जब आप अपमानित होंगे, तब हम भी हो जायंगे और हम होंगे, तो आप भी होंगे। यह तो समझौता है।

*श्री राम गोविंद—

मान्यवर, 15 तारीख को जो महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया है, मान्यवर, जो उन्होंने अपने अभिभाषण के अतिरिक्त भाषण दिया है, बीस सूत्री कार्यक्रम की बात जो उन्होंने कही है, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि मंत्रि मण्डल द्वारा प्रस्तुत 24 सूत्री कार्यक्रम सही है या जो राज्यपाल महोदय ने कहा है, 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में वह सही है, कौन सा सही है। कौन से 4 सूत्री कार्यक्रम कम कर दिये हैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने? मान्यवर, जो 24 सूत्रीय कार्यक्रम मंत्रिमंडल ने प्रस्तुत किया है जिसमें महामहिम राज्यपाल ने 20 सूत्री कार्यक्रम कर दिया है। इसमें यह संशय पैदा हो गया है कि कौन सा 4 सूत्रीय कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल ने कम कर दिया है। इससे गहरा असन्तोष व्याप्त हो गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभिभाषण मंत्रिमण्डल की प्रस्तुत नीति की घोषणा करता है महामहिम राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की घोषणा की अवहेलना कर दिया है। मंत्रिमंडल 24 सूत्रीय कहा है और महामहिम ने 20 सूत्रीय कहा है। इससे अविश्वास हो गया है। अगर मंत्रिमंडल की बात सही है तो महामहिम राज्यपाल जो गलती किये है उसके लिये इस्तीफा दें और अगर राज्यपाल की बात सही है तो यह मंत्रिमंडल तुरन्त इस्तीफा दे। इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कौन सी बात सही है। अगर राज्यपाल ने 20सूत्रीय कहकर गलती किया है तो वह इस्तीफा दें और मंत्रिमंडल ने अगर गलती किया है तो इस सरकार को एक मिनट भी यहां रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। इन को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिये। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकम सिंह—

मैं कोई बात दुहराना नहीं चाहता हूं। केवल एक पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात सुनिश्चित हो गई कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनके लिखित भाषण में नहीं थी। कुछ बातें ऐसी कहीं जो मंत्रिमंडल द्वारा ड्राफ्ट्स नहीं की गई हैं। संविधान और मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में और विद्वानों ने लिखा है: जो राज्यपाल का अभिभाषण है वह मंत्रिमंडल के द्वारा ड्राफ्ट होगा। मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस कौल शकधर द्वारा लिखित सेकेन्ड एडीशन के पृष्ठ 164 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—

"बोइंग एस्टेटमेन्ट आफ पालिसी आफ दि गवर्नमेन्ट, दि ऐड्रेस इज ड्राफ्टेड बाई दि गवर्नमेन्ट, इट इज नाट दि प्रेसीडेन्ट बट दि गवर्नमेन्ट हू आर रिस्पांसिबिल फार दि कान्टेन्ट्स आफ दि एड्रेसइज दि स्टेट्स इज दि गवर्नर हू डीलिवर्स दि एड्रेस टु दि स्टेट लेजिस्लेचर इनफारमिंग इट"

राष्ट्रपति उस भाषण को तैयार नहीं करता है। मंत्रि परिषद भाषण को तैयार करती है। इसी प्रकार राज्यों में गवर्नमेन्ट मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किये गये भाषण को पढ़ता है। मान्यवर, संवैधानिक संकट वहां पैदा होता है। यदि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किये गये भाषण से अलग राज्यपाल कोई बात कहते हैं तो क्या अभिभाषण की संज्ञा दी जाय। विशेष तौर पर इन परिस्थितियों में जब संविधान के अनुच्छेद के अनुसार यह अवश्यम्भावी है। साल के प्रथम सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी और अगर राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा तो उस सत्र में या प्रदेश के विधान मंडल द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य संविधान के प्रतिकूल होगा। मैं आपका ध्यान कौल शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 164 की ओर दिलाना चाहता हूं—

"इफ ए लेजिस्लेचर मीट्स एण्ड ट्रांजेक्टस लेजिस्लेटिव बिजिनेस, विदआउट दि प्रीलिमिनरी आफ एन एड्रेस बाई दि गवर्नर, व्हेन रिक्वायर्ड अन्डर आर्टिकिल 176, इट्स प्रीसीडिंग्स आर इल्लीगल एण्ड इनवेलिड एण्ड मे बी क्वेश्चन्ड इन ए कोर्ट आफ ला।"

इसलिये यह कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि विधिवत् राज्यपाल द्वारा भाषण नहीं दिया गया है और उसके बावजूद विधान मंडल कार्य करता है तो वह कार्य प्रतिकूल होगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण न संविधान, न पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस और न परम्परायें जो हैं, उनके अनुकूल है, इसलिये जो बात राज्यपाल ने 15 तारीख को अपने भाषण में कहा उसको अभिभाषण नहीं माना जा सकता। यदि उसको माना जा सकता है तो जितनी कार्यवाही यहां कर रहे हैं, वह सब संविधान के दफाओं के प्रतिकूल है। इसलिये आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या हम भी उस सारे गैर कानूनी कार्यों को, संविधान की धाराओं की धज्जी उड़ाने का काम करेंगे, जो राज्यपाल ने शासन में बैठकर किया?

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, मैंने श्री मोहन सिंह, श्री हुकम सिंह और एक दूसरे माननीय सदस्य को ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने संविधान का हवाला, नियमावली का हवाला दिया, लेकिन तथ्यों को उनका वह बयान न कर सके। मान्यवर, हमारा जो संविधान है उसके आधार पर जो धारा 174–175–176 हैं, उनके आधार पर जो राज्यपाल है वह संबोधित करते हैं और हाऊस को सम्बोधित करते हैं तो उसमें वह निहित है। जब वह सदन में आते हैं और आने के बाद, एक तरफ स्पीकर और दूसरी तरफ काउन्सिल के चेयरमैन, पूरी तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाऊस के सुप्रीम होते हैं, उन्होंने अपने अभिभाषण को पढ़ा और श्री मोहन सिंह ने 2–3 बातों का जिक्र किया। एक तो कहा कि पालिसी मैटर के बारे में, तो पालिसी मैटर का जो संबंध है कि राज्यपाल जब किसी सदन को संबोधित करते हैं तो वह हाउस के मास्टर होते हैं, उनका अधिकार होता है तो जो इधर-उधर की बातें करते हैं, तो यह जो नियम बने हुये हैं उसके आधार पर। मैं मानता हूं कि कान्सिल आफ मिनिस्टर्स का दिया हुआ जो भी ड्राफ्ट है उसके आधार पर ही उनको पढ़ना चाहिये।

मैं आपका ध्यान बंगाल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी तरीके से जब श्री धर्मवीर वहां राज्यपाल थे तो वहां पर झगड़ा इसी तरीके से चला, उसमें स्पीकर महोदय ने पूरी तरीके से पैराग्राफ को डिलीट करके स्पीकर ने हां कर दिया। यहां जो प्रोसीडिंग्स हैं, गवर्नर ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा वह, यहां की प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं है, वह वहीं रह जाता है। जब दुबारा मान्यवर, आप यहां आते हैं और आपके द्वारा जब ऐसेम्बली शुरू होती है, जैसा कि 15 तारीख को 12–1/2 बजे एसेम्बली दुबारा शुरू हुई तो आपने शुरुआत के सेन्टेन्श को पढ़ा और अन्त में पैराग्राफ को पढ़ा तो वही प्रोसीडिंग का पार्ट है और राज्यपाल का वह पढ़ा ही समझा जायेगा और इधर-उधर का नहीं है। इसलिये जैसा कि निवेदन किया कि हाउस आहूत होने के बाद जो गवर्नर ने प्रोसीडिंग पेश की थी वह नहीं है, प्रोसीडिंग जो आरम्भ होती है वह दुबारा जब हाउस बुला कर आहूत होने के बाद जो आप पढ़ते हैं वह है। मान्यवर, 3 बातें कही गयी हैं। एक तो 24 सूत्री कार्यक्रम के बारे में 20 कहा था। इसलिये 24 को उड़ा जाते या और पालिसी मैटर की बात करते तो वह इसमें आता जैसे कि 21 या 26 सूत्रीय कार्यक्रम हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा था तो इसमें कोई अवहेलना नहीं की है और वह पालिसी मैटर की तरह उन्होंने रखा। मान्यवर, बीच में मार्शल इत्यादि की बात की गयी है जो उनका अधिकार था। अन्त में उन्होंने "जयहिन्द" के बाद कुछ एडवाइस के रूप में कहा। तो अगर एडवाइस के रूप में कुछ सेन्टेंस या वाक्य इस प्रकार के कह दिये तो मैं समझता हूं कि कोई मर्यादा नहीं टूटी है। सरकार में कोई नो कांफीडेंस की बात नहीं है या राज्यपाल ने कोई गलत काम किया है ऐसी बात भी नहीं है। प्रोसीडिंग वहां से शुरू होती है जब आप बाद में पढ़ते हैं और वह प्रोसीडिंग का पार्ट होती है। आपने अभिभाषण पढ़ा और "जयहिन्द" के बाद आपने कुछ नहीं कहा। बीच में जो कुछ उन्होंने कहा था उसको आपने नहीं पढ़ा। तो जो आपके द्वारा पढ़ा गया है असली वह है। इसमें न कोई अवहेलना हुयी है और न ही नो कांफीडेंस का सवाल है। जो हुआ है वह कार्यवाही के हिसाब से हुआ है। कोई नियम नहीं भंग हुआ है और न कोई ऐसी चीज हुयी है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जिस नियमावली के रूल से माननीय मोहन सिंह ने अपना नोटिस आपको दिया है उसी में मैं भी अपनी प्राइवेट बात कहना चाहता हूं। धारा 19 के अनुसार "प्रति वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मंडल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मंडल को आहवान के कारण बतायेंगे।" तो जहां तक इसका संबंध है ज्वायन्ट सेशन हुआ और महामहिम राज्यपाल ने बताया कि यह सदन क्यों बुलाया गया है। जो प्रश्न यहां पर प्रस्तुत किये गये उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महामहिम राज्यपाल जो जब वह ज्वाइन्ट सेशन संबोधित कर रहे थे तो क्या उनकी इन बातों को कहने का अधिकार है। जो टेक्सट उनको दी गयी है या जो एड्रेस उनके पास है, उसके अलावा वह कुछ कह सकते हैं या नहीं, या वह अभिभाषण को अक्षरशः, वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे। इस संबंध में हमारे योग्य मित्र ने ब्रिटिश कांस्टीट्युएंसी और ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया। मैं उनका ध्यान आर्टिकिल 176, अपने भारतीय संविधान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

[श्री अम्मार रिजवी]

"ऐट दि कमेन्समेन्ट आफ दि फस्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टु दि लेजिस्लेटिव असेम्बली एण्ड ऐट दि कमेन्समेन्ट आफ दि फस्ट सेशन आफ ईच इयर, दि गवर्नर शैल ऐड्रेस दि लेजिसलेटिव एसेम्बली आर इन दि केस आफ ए स्टेट हैविंग दि लेजिलेटिव कौन्सिल बोथ हाउसेज एसेम्बिल्ड टुगैदर एण्ड इन्फार्म दि लेजिस्लेचर आफ दि काजेज इफ इट सम्मन्स।"

हर सत्र शुरू होने के पहले महामहिम राज्यपाल महोदय दोनों सदनों के एक ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे और यह बतायेंगे कि आह्वान क्यों किया गया है। जहां पर यह बात लिखी गयी है वहां पर यह बात लिखी है कि "गवर्नर शैल एड्रेस दि लेजिस्लेटिव असेम्बली", लेकिन किस तरह एड्रेस करेंगे यह चीज नहीं दी गयी है एड्रेस किसी किताब से पढ़ा जायेगा। जबानी होगा या कोई और तरीका अपनाया जायेगा, यह साफ नहीं है। मान्यवर, यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम का भी हवाला दिया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पार्लियामेन्टरी सिस्टम है, वह बहुत कुछ, पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वीन, हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स की प्रैक्टिस पर आधारित है। लेकिन कोई चीज बिल्कुल वहां के कांस्टीट्यूशन्स या वहां की प्रेक्टिस को लेकर नहीं रखी गयी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी सिस्टम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो यहां नहीं हैं, जैसे वहां गवर्नर को हाउस डिजाल्व करने का अधिकार है लेकिन यहां पर नहीं है। इसी तरह से वहां के हाउस के प्रोसीजर में कोरम नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले हाउस आफ कामन्स को सिटिंग में गया था तो वहां पर केवल कुछ सदस्य थे। क्रासिंग आफ दि फ्लोर यहां वर्जित है, वहां पर लोग बराबर इधर-उधर जा रहे थे। तो बहुत सी बातें वहां हैं जो यहां पर नहीं हैं।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन वहां हाउस आफ कामन्स बारहों महीने चलता है इसे भी बता दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी—

लेकिन इससे पहले माननीय सदस्य ने जो अपनी बात के दौरान जो 2, 3 उदाहरण दिये, मैं समझता हूं कि मैंने जो बात कही है उससे इन बातों का निराकरण हो जायेगा। 1969 में धर्मवीर जी के भी उदाहरण दिये गये उस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी जो भाषण अपना दे रहे हैं उसमें भाषण और अभिभाषण की परिभाषा भी कृपा पूर्वक परिभाषित कर दें। तो स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अम्मार रिजवी—

धर्मवीर जी ने जो अपने अभिभाषण से 535 शब्द नहीं पढ़े अर्थात उसमें जो कुछ लिखा था, उसके कुछ अंश को नहीं पढ़ा, सरकार ने उसको माना। इस पर अजय बाबू ने मुख्य मंत्री की सीट से यह कहा कि इसे पूरा पढ़िये महामहिम राज्य पाल महोदय ने कहा "अजय बाबू आई हैव आलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल नाट बी एबिल टु रीड इट कि अजय बाबू मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं यह पढ़ नहीं सकता। इस प्रकार यह मामला भारत सरकार में उठाया था, वहां पर भी इस समय के एटारनी जनरल, ला मिनिस्टर और गृह मंत्री आदि के सामने लाया गया तो उन्होंने भी यही फैसला दिया कि गवर्नर को पूरी तरह से अधिकार है कि वह यदि चाहे अपने भाषण में कोई चेंज करता तो कर सकता है। इसी बात की पुष्टि में इस किताब में जो हमारे पास दि आफिस आफि दि गवर्नर मिस्टर जे0आर0 सिवाश ने लिखा है, जिसके पेज नं0 199 पर दिया हुआ है को देखें

"बट दोज साइट दि कनवैन्सन्स आफ दि ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन इन दिस रेसपेक्ट, दे परहैप्स ओवरलुक दि फैक्ट दैट आल दि कनन्वैशन्स आफि दि ब्रिटिश कांस्टिट्यूशन आर फलोड इन इंडिया ?" कि जो लोग ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वह शायद यह बात भूल जाते है कि ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस की सभी चीजें भारतवर्ष में नहीं मानी गई हैं।

इसी तरह से इसी किताब के अगले पृष्ठ यानी 200 पर लिखा है कि :—

"इट इज क्वाइट सिग्निफिकेन्ट टु नोट दैट व्हाइल दीज कनवैन्शन्स आफ यूनाइटेड किंगडम हैव बीन स्पेसिफिकली रिटर्न इन दि इण्डियन कांस्टिट्यूशन, दि कनवेन्शन दैट दि मोनार्क कैन नाट ओमिट एनी पार्ट आफ दि स्पीच फ्राम द थ्रोन प्रीपेयर्ड बाई दि कैबिनेट हैज बीन इनकारपोरेटेड।"

इसमें यह बात तो नहीं लिखी है कि कैबिनेट द्वारा जो स्पीच गवर्नर को दी गयी है, उस में कोई महत्वपूर्ण चेंज मोनार्क नहीं कर सकता है। यहां मोनार्क गवर्नर के लिए आया है कि गवर्नर किसी बात को जो महत्वपूर्ण हो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, यह उसके अधिकार की बात है। इसी सिलसिले में एक किताब देहली में "आफिस आफ दि गवर्नर इन इन्डिया" जो मिस्टर एस0 एस0 दाहिया द्वारा लिखी गयी है। इसके पेज नं0 172 पर देखें जिसमें साफ तौर पर दिया गया है कि गवर्नर किसी चीज को ओमिट कर सकता है तो उसमें कुछ जोड़ भी सकता है।

"इफ दि गवर्नर कैन ओमिट सम पोर्शन आफ हिज एड्रेस, इट लीड्स टु राइट्स लाजिकल कोरोलरी दैट ही कैन ऐड समथिंग इन इट"

इसी तरह से यदि आप मान्यवर, देखें महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस रोज जिन बातों का संकेत राज्य को दिया, उन बातों को माननीय मोहन सिंह जी ने कुछ दूसरी दिशा दे दी। मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जो बातें कही गयी। समाचार-पत्रों के ही जरिये से उन्हें पता चला कि महामहिम राज्यपाल ने यह कहा। उस पर तो उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन अगर महामहिम राज्यपाल ने 24 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम का भी हवाला दिया, जिसके लिये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये माननीया प्रधानमंत्री ने कहा था और जिससे यह सरकार केन्द्र सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, उस पर विश्वास करके महामहिम राज्यपाल ने अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं की। अगर कोई नीति विषयक घोषणा महामहिम राज्यपाल की तरफ से होती तो यह कहा जाता कि ऐसी कोई बात महामहिम राज्यपाल ने अपन भाषण में कही है, जिससे इस सरकार की नीतियां मेल नहीं खातीं। जो बातें उन्होंने कही हैं, उसके लिये यह सरकार पहले ही कमिटेड है।

इसी तरह से जब दोनों सदनों के सदस्य जमा होते हैं, जिसे ज्वाइंट सेशन कहते हैं, वह वास्तव में ज्वाइण्ट सेशन होता है या क्या होता है, इसे डिफाइन करना मुश्किल है। इस पर भारतवर्ष के संविधान के जो अथारिटी हैं कौल और शकधर, उन्होंने अपनी पुस्तक के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 177 पर यह कहा है कि—

"राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के लिये संसद के दोनों सदनों का एक साथ समवेत होना न तो लोक सभा की बैठक कही जा सकती है, न राज्य सभा की, और न दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तब विधिवत् गठित होती है जब उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य कर रहा हो जो संविधान या नियमों के अन्तर्गत अध्यक्षता करने का अधिकारी है।"

यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गयी है। जिसे महामहिम राज्यपाल अभिभाषण देने के लिये आते हैं, उस समय इस हाउस का कण्ट्रोल, आप स्वयं जानते हैं, महामहिम राज्यपाल का होता है। अगर हाउस को कन्ट्रोल करने के सिलसिले में, हाउस को नियंत्रित करने के सिलसिले में कोई बात वे कहते हैं, तो सही है तो इस पर मुझे ध्यान आता है जब राजस्थान में डा0 सम्पूर्णानन्द जी ने 12 आदमियों को सदन से निष्कासित कर दिया था और उच्च न्यायालय ने भी इसे अपहेल्ड किया था कि राज्यपाल का ऐक्शन सही है।

[श्री अम्मार रिजवी]

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान "रिपोर्ट टु पार्लियामेन्टरी जर्नल के वाल्यूम 18 नं0 3 1972 की पृष्ठ 512–513 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, दि प्रेसीडेन्ट इज इनचार्ज आफ दि प्रोसीडिंग्स एण्ड फुल्ली काम्पीटेन्ट टु प्रीजर्व आर्डर आन दि औकेजन आफ हिज एड्रेस, इफ एनी मेम्बर आर अदर परसन इनटरप्ट्स आर आब्सट्रक्ट्स दि प्रेसीडेन्टस एड्रेस आर मार्क दि डिगनिटी आफ दि औकेजन इन ऐनी अदर मैनर, दि प्रेसीडेन्ट मे गिव सच डाइरेक्शन्स एज ही मे बी कन्सीडर नेससरी टु प्रीजर्व आर्डर, सोल्मनिटी एण्ड डिगनिटी आफ दि औकेजन, राष्ट्रपति कार्यवाही का उत्तराधिकारी है और वह शान्ति व्यवस्था रखने के लिये जिम्मेदार है। "राज्यपाल" को मास्टर आफ शेरेमनीज कहा गया है। जो भी प्रक्रिया हो, उसको कण्डक्ट करवाना उसका उत्तरदायित्व है। अगर उस बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है, जब उन्होंने अपना अभिभाषण समाप्त कर लिया, "जयहिन्द" कर दिया तो उन्होंने एक बात कही। सारे सम्मानित सदस्य मौजूद थे, कोई आदेश की बात नहीं कही है। माननीय मोहन सिंह जी ने जो "आदेश" की बात कही, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी आज्ञा से विधान परिषद के माननीय सभापति की आज्ञा से और सम्मानित सदस्यों की अनुमति से यह कहना चाहता हूं। उन्होंने यह बात कही कि अनुशासन कितना आवश्यक है.....

श्री मोहन सिंह––

जिसको खुद उन्होंने तोड़ दिया।

श्री अम्मार रिजवी––

ऐसा तो आप कहते हैं न। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि सच बोलना अच्छा है। अगर उन्होंने एक अच्छी बात का हवाला दिया कि आदमी को वह करना चाहिये जिससे उसकी अन्तरात्मा को सन्तुष्टि मिले तो इसमें गलत क्या है।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी एक स्पष्टीकरण दे दें। जब आपके मन्त्रिमंडल ने एक अभिभाषण तैयार करके दिया "आन दि पालिसी मैटर" गवर्नमेंट का, जिसमें 24 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र किया और माननीय महामहिम ने 20 सूत्रीय की बात कही तो दोनों में अन्तर है। 20 सूत्रीय अलग है और 24 सूत्रीय अलग है, दोनों में डिफरेन्स है। इस सदन में श्री बल्देव सिंह जी जैसे पुराने आदमी इस पर अपनी थैंक्स मूव करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी निर्धारित पालिसी क्या है, आप 24 सूत्रीय पर डिस्कशन करेंगे या महामहिम ने जो 20 सूत्रीय कह दिया है, उस पर डिस्कशन करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में 24 सूत्रीय की बात कही, प्रोडक्शन के लिये 20 सूत्रीय कार्यक्रम आ गया है, केन्द्रीय सरकार ने इसे एनाउन्स किया है, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से सहमत है। यह कहना कि पूरे पोलिटिकल इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सही नहीं है। महामहिम ने इसे नीति विषयक मामले में कहीं डिबेट नहीं किया, यह सत्य से परे है। महामहिम ने उस दिन ऐसी कोई बात नहीं कहीं जिससे कि सरकार की टीका-टिप्पणी होती। हां, एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा कि अनुशासन बहुत आवश्यक है लेकिन पानी ढलान की तरफ जाता है, पानी जिस तरफ चला गया, इसका कोई इलाज नहीं है।

(शासक पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना।)

श्री रियासत हुसैन––

मैं 20 सूत्रीय और 24 सूत्रीय में से यह जानना चाहता हूं कि किस पर हम यहां डिस्कशन करेंगे, हमको इसका स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण चाहिये या फिर दोनों को मिलाकर 44 सूत्रीय पर डिस्कशन होगा ?

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, महामहिम ने लिखित भाषण के अतिरिक्त जो यहां पर अभिभाषण दिया, इन्होंने उसे स्वीकार करके पूरा कर दिया। उन्होंने लिखित भाषण जो दिया, यह स्पष्ट हो गया कि वह सरकार द्वारा तैयार किया हुआ था यह इस बात से ध्वनित होता है। मान्यवर, कृपया उनसे दरयाफ्त कर लें कि उन्होंने जो बाद में भाषण दिया है वह लिखित भाषण के रूप में है या नहीं, यह परिमार्जन आप करा लें। एक बार राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में कुछ जोड़ा था।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मैंने जो बात कही थी कि यहां पर महामहिम राज्यपाल ने किसी नीति की घोषणा नहीं की बल्कि हाउस के समवेत सदनों को वे एड्रेस कर रहे थे और उसके संचालन में जो बातें सामने आयीं, वह उन्होंने की। आखिर में उन्होंने अनुशासन की बात कही लेकिन यह नीति विषयक घोषणा नहीं है। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात उन्होंने कही उससे प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सहमत है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य भी उस पर सहमत होंगे। वैसे यदि आप चर्चा करना चाहें, चर्चा कर सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल ने क्या कहा। दूसरा प्रश्न उठता है कि उन्होंने क्या कहा यह पूर्ण रूप से कहना मुश्किल है क्योंकि यहां उस समय की प्रोसीडिंग्स तो लिखी नहीं जाती।

श्री मोहन सिंह---

अध्यक्ष जी, यहां पर प्रोसीडिंग लिखी नहीं जाती परन्तु सारी बातें आपके सामने होती हैं। पिछली बार जब इसी तरह की बात आई थी तो आपने अपनी ओर से व्यवस्था दी थी, उसमें इन सब बातों का समावेश है। प्रोसीडिंग न लिखे जाने के बावजूद भी सारी बातें आपके संज्ञान में हैं, इस पर आपको रूलिंग तो देनी ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने, माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय हुकम सिंह.....

एक सदस्य---

तब तक के लिए हाउस को स्थगित कर दें जब तक कि निर्णय न हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

इतने बड़े संवैधानिक कार्य में, कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, इसी विषय में हम बात कर रहे हैं और मैं खड़ा हूं, और आप सलाह दे रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न उठाया गया जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जहां तक प्रोसीडिंग लिखी नहीं जाती है, यह सत्य है लेकिन यह भी सत्य है कि जो कुछ यहां होता है सदन के समक्ष होता है और वह हम सबकी जानकारी और संज्ञान में आता है। उसमें कहीं एक-दो शब्द की बात समझ में न आए वह तो ठीक है लेकिन भाव की जो बात है, ऐसी नहीं है कि लिखे न जाने पर भी सदन की जानकारी में न हो। जो भी अभिभाषण आया है, जो भी आपने कहा है, मैं भी यहां पर था, वह जो कुछ भी हमने सुना है सब मेरी जानकारी में है, संज्ञान में है। इस सारे प्रश्न पर जो आप लोगों के विचार सुने हैं, उसको देखकर मैं स्वतः तत्काल किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं जो मैं आपके समक्ष रखूं। इस पर मैं विचार करके, देख कर निर्णय लूंगा। निर्णय के मूल सिद्धान्त जो हैं वह मैं जरूर आपके सामने रख देना चाहता हूं।

लोकतांत्रिक प्रणाली को देखकर, संविधान के अनुरूप स्पष्ट संवैधानिक प्राविधान है और जहां प्राविधान नहीं है, वहां परम्परा को ध्यान में रखते हुए ही इस सम्बन्ध में मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, मैं आपके सामने रख दूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के

[श्री अध्यक्ष]

पश्चात उसी समय एक प्रतिलिपि मुझे भी राज्यपाल महोदय से मिलती है। उसी अभिभाषण की प्रतिलिपि से मैंने आपके समक्ष, जब दुबारा आप लोग एकत्र हुए सदन में, रखा और मेरे लिए वही कापी थी जो उन्होंने दी। वही कापी थी जिसको मैंने अभिभाषण की कापी समझा। जो रखी गयी थी, वही इस सदन की कापी थी।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

उसमें संयुक्त न कहें, तीसरी स्थिति कहें, उसमें भी पूरा सदन, जो भी था, आप का था। इसलिए जो आपके सदन में कापी रखी गयी थी, बहस उसी पर होगी, उसमें क्या है, क्या नहीं, इस पर बहस नहीं होगी। जो उसमें लिखा है, उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है। इसलिए जो भी उसमें लिखा है, उसी पर बहस होगी लेकिन जो प्रश्न आपने उठाया है उसपर हम समय चाहते हैं लेकिन बहस उसी पर होगी जो कापी मैंने सदन में रखी है।

मुख्य मन्त्री द्वारा त्याग-पत्र की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

दो औचित्य के प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री का और दूसरा है माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त का। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, जो आपका प्रश्न है औचित्य का, इस पर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करूं कि कोई ऐसा प्रश्न, यह मेरी समझ में नहीं है कि इस पर आप कुछ कहें। आपने कहा है कि 24 तारीख को मुख्य मन्त्री ने कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, दिया या नहीं दिया, इस में कोई औचित्य का प्रश्न तो है नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है। पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं इसलिए इस पर कुछ कह लेने दीजिए।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि न ही वह इस सदन के नेता हैं और न ही उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री रहने का उनका कोई अधिकार है। इस सम्बन्ध में मैं पिछले 3 मुख्य मन्त्रियों के उदाहरण पेश करना चाहता हूं। डा० सम्पूर्णानन्द, पंडित कमलापति त्रिपाठी और माननीय चन्द्रभानु गुप्त, इसी नैतिक उत्तरदायित्व पर जो उन्होंने त्यागपत्र दिया है, उन्हीं की शब्दावली को आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय अग्निहोत्री जी, आप बैठ जायं। आप पुराने दृष्टान्त दे रहे हैं, वह प्वाइन्ट आफ आर्डर कैसे बनेगा, यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे बनेगा? आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

आप एक मिनट में जो कुछ कहना चाहते हैं, वह कहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को जानकारी है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी एक शर्त के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष त्याग-पत्र प्रस्तुत किया था। अगर वह अपनी पार्टी को सुपुर्द करते होते, आपको देते होते, महामहिम राज्यपाल को देते होते या प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी को अपना इस्तीफा देते होते तो मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में खड़ा न करता होता, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष अपना त्यागपत्र दिया और एक शर्त के साथ दिया कि 24 दिसम्बर तक यदि आगरा, एटा, मैनपुरी, बुन्देलखण्ड, झांसी

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

आदि जनपदों के जो नामी डकैत हैं, अगर उनका सफाया नहीं हो जाता है तो हमारा यह नैतिक दायित्व है कि मैं इस पद से त्यागपत्र दे दूंगा। उन्होंने जो लिखकर दिया है पत्रकार सम्मेलन में, मैं उसकी भाषा पढ़कर सुनाना चाहता हूं और उसी मर्यादा के तहत····

श्री अध्यक्ष—

उसी मर्यादा के तहत मैं यह कह रहा हूं कि आप बैठ जायें। इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं।

विधान सभा के वर्ष में तीन अधिवेशन तथा 90 दिन की बैठक न बुलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

[समय 2 बजे अपराह्न]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो हमारी संसदीय पद्धति है, उसका बड़े पैमाने पर असम्मान हो रहा है। हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 14 को देखने की कृपा करें। इसमें यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे। इसमें यह स्पष्ट प्राविधान दे दिया गया है कि हमारे 3 सत्र होंगे और 90 दिन की सिटिंग होंगी लेकिन हमारा पिछला जो कैलेंडर वर्ष था उसमें कुल 44 उपवेशन हुए और केवल 2 सत्र हुए। शीतकालीन सत्र नहीं हुआ है। इस प्रकार मान्यवर, असम्मान हो रहा है। जब मा0 संसदीय कार्य मन्त्री खड़े होंगे तो साधारणतया को स्पष्ट करेंगे और साधारणतया का उलटा होता है असाधारणतया अर्थात मेरा यह निवेदन है कि जब कोई असाधारणतया परिस्थिति विद्यमान हो उसको छोड़कर अनिवार्य रूप मे 3 सत्र होने चाहिए और 90 दिन की सिटिंग होनी चाहिए। आप मान्यवर, देखें कि इस सत्र में करीब 20–22 अध्यादेश आज पटल पर रखे गए उनमें से 9 या 10 अध्यादेश ऐसे हैं जो पहले प्रख्यापित हो गए और राज्यपाल ने कार्यपालिका की सलाह मानकर उन्हें पुनः विनियमित किया।

विरोधी दल के नेताओं ने मांग की थी और हमारे पास बिजनेस भी था, हमारे पास कार्य करने के लिए समय भी था और कोई असाधारण परिस्थिति भी नहीं थी लेकिन इस सरकार ने तीन सत्रों तथा 90 दिनों तक सत्र चलाने के निर्णय का पालन नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरी बात यह कि राज्यपाल को संविधान को तहत सदन को आहूत करने का अधिकार है। या सत्रावसान अगर नहीं हो तो आपको भी सदन को बुलाने का अधिकार है। लेकिन राज्यपाल के पास जब सरकार की ओर से सूचना जायगी, और उसके लिए बिजनेस जायगा तभी वह सदन को बुलाएगा। यानी यह प्राथमिक जिम्मेदारी कि 90 दिन तक सत्र चले नेता सदन यानी मुख्य मन्त्री की है। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल महोदय को इस तरह की सलाह न देकर अपनी नियमावली के तहत इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है और हमारे अधिकारों का हनन किया है। प्रथम तो हमें इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि प्रदेश से सम्बन्धित विषयों पर, और सरकार की स्थिति पर यहां खुले रूप से चिन्तन करें और चर्चा करें। लेकिन इस मार्ग में जानबूझ कर बाधा उत्पन्न की जा रही है क्योंकि सरकार का विश्वास संसदीय प्रणाली से बिलकुल उठ गया है। आज हम आपके सामने इसलिए यह बात कहना चाहते हैं हमारे संरक्षक आप हैं, हमारी रक्षा आपके हाथों में सुरक्षित है इसलिए आप अपना निर्णय देते समय इस बात पर अवश्य ध्यान रखें कि पिछले वर्ष जो सत्र नहीं हुए उसके लिए सरकार की भर्त्सना होनी चाहिए और साल के अन्दर 90 दिन का सत्र अवश्य होना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मीखा लाल--

मान्यवर, जो प्रश्न गुप्ता जी ने उठाया है, उसका मैं भी समर्थक हूं। इस पर मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय नेता सदन, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ दिया है तथा संसदीय कार्य मन्त्री के खिलाफ भी दिया है। उसके ऊपर विचार करना आपने स्थगित कर दिया। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न पर विचार करते समय आप इन दोनों प्रश्नों को एक साथ जोड़ लें और उन पर विचार करने के उपरान्त ही अपना निर्णय दें।

श्री मोहन सिंह--

मैंने भी एक निन्दा का प्रस्ताव और एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है।

(श्री अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री को तो बुलवाइए। उनको बोलते दें।

श्री अम्मार रिजवी--

कोई भी मन्त्री बोलता है तो सब सरकार की तरफ से ही बोलते हैं।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिस समय सम्बन्धित मन्त्री सदन में उपस्थित हों, तो उनके उपस्थित रहते हुए आपकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कोई दूसरा मन्त्री बोल सकता है।

श्री अध्यक्ष--

जब डाक्टर साहब खड़े हो जाते हैं तो मुझे मन्त्री के तौर पर उनको बुलाना ही पड़ता है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय हिदायतुल्ला साहब ने भी इस सम्बन्ध में एक रूलिंग दी है, और उनकी रूलिंग का आदर करना चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गप्त जी ने कम से कम इतना तो मान ही लिया कि पिछले दिनों प्रदेश की स्थिति साधारण ही थी, कोई असाधारण बात नहीं थी। जो बात उन्होंने कही, उसके सुनने के बाद मैं बतला दूं कि जहां तक सदन को बुलाने का सम्बन्ध है, भारतीय संविधान की धारा 174 के अनुसार राज्यपाल समय-समय पर विधानमण्डल या किसी एक सदन को जिस समय उचित समझें, आहूत करने की कार्यवाही कर सकता है। उसमें यह है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का अन्तर न हो। तो पहली बात इससे स्पष्ट है कि एक सिटिंग और दूसरी सिटिंग के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। मैं समझता हूं कि. . .

(व्यवधान)

आपने जो यह कहा कि 6 महीने का समय जो है वह भी नहीं बीता, बीच में भी बुलाया गया यह सदन, सत्र जोड़ों में भी चला। जहां तक नब्बे दिनों का सवाल है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नब्बे दिन यह सत्र नहीं चला। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसपर एक औचित्य का प्रश्न देना मैं समझता हूं कि उसके औचित्य को देख लिया जाय क्योंकि जिस नियम की तरफ ध्यान दिलाया गया "साधारणतया" के शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर उसका उल्लंघन मान भी लिया जाय तो मैं यहां पर कौल और शकधर का हवाला देना चाहता। हिन्दी वरजन के पेज 264 में लिखा है, "नियमों, परिपाटियों तथा प्रथाओं के उल्लंघन को विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता। यदि नियमों आदि का उल्लंघन किया जाय तो उपयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से सभा या अध्यक्ष का रोष व्यक्त किया जा सकता है।" आपने इस सिलसिले में. . .

(व्यवधान)

[श्री अम्मार रिजवी]

सुन लें, मान्यवर, आपने इस सिलसिले में, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछा है कि आखिर यह सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। मैं समझता हूं आपने माननीय मुख्य मन्त्री जी को पत्र भेजा है। उसका उत्तर प्राप्त होने के बाद आप इस पर निर्णय ले लें। वैसे जहां तक संविधान के प्राविधानों का सम्बन्ध है, संविधान के प्राविधानों का कहीं पर उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन--

रोष तो मान ही लिया गया....

श्री मोहन सिंह--

आपका आश्वासन है सदन में....

श्री अध्यक्ष--

यह जो संविधान का उल्लेख किया गया और जो नियमावली का उल्लेख किया गया, अभी माननीय मीखा लाल जी तथा और भी माननीय सदस्यों ने इस पर विशेषाधिकार का भी प्रश्न उठाया है और उन्होंने यह चाहा है कि मैं इसका निर्णय बाद में दूं, तो मैं इस पर निर्णय बाद में दूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन की 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें एक सूचना माननीय मोहन सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय मीखा लाल, माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम स्वरूप वर्मा, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय राम हर्ष राय की है जिसका सूक्ष्म में मन्तव्य यह है "पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर देवरिया और बाराणसी में हरिजनों की सामूहिक हत्या षडयन्त्र से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना है मा0 कुबेर भण्डारी की--पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया एवं बनारस में बड़े पैमाने पर हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना मा0 राजेन्द्र अग्निहोत्री की है--आठ श्रमिक संगठनों की एक दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल को राज्य सरकार द्वारा विफल करने की चेष्टाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना मा0 हुकम सिंह जी की है--30 सितम्बर को मैनपुरी के साढ़पुर गांव में 10 हरिजनों एवं नवम्बर, 1981 में इसी जनपद के देहली गांव में हरिजनों की सामूहिक हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसी सम्बन्ध में मा0 मित्र सेन, मा0 हरिवंश सहाय, मा0 रियासत हुसैन, मा0 जनार्दन प्रसाद ओझा, मा0 राम गोविन्द, मा0 अकबर हुसैन की भी सूचना है।

आठवीं सूचना है डा0 शिवानन्द नौटियाल, मा0 कुंवर सिंह नेगी, मा0 नरेन्द्र सिंह भण्डारी, मा0 हरी किशन श्रीवास्तव और मा0 फखरे आलम की--गढ़वाल संसदीय उप चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टलवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नवीं सूचना मा0 सूबेदार सिंह की है--दिनांक 9 एवं 10 जनवरी को गोण्डा में अकबाल हुसैन, सदस्य, विधान सभा के नेतृत्व में चलाए जा रहे आन्दोलनकारियों पर लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री बैजनाथ कुशवाहा की है जोकि जनपद इलाहाबाद के थाना थरवई के ग्राम पतलुका में रात के लगभग 10 बजे तीन हरिजनों की तथा ग्राम लहर प्रसेर, थाना सराय इनायत में दो व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में है तथा ग्यारहवीं सूचना श्री राम गोविन्द की 15 जनवरी, 1982 के राज्यपाल के अभिभाषण में 24 सूत्री कार्यक्रम को बदल कर 20 सूत्री कार्यक्रम किए जाने के सम्बन्ध में है। इन सभी विषयों

[श्री अध्यक्ष]

पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है, उस समय ये सारी बातें आ जायेंगी। माननीय राम गोविन्द की जो सूचना है उसके सम्बन्धमें सारी बातें हो चुकी हैं। जो घटनायें घटी हैं और ला एण्ड आर्डर से सम्बन्धित हैं, उनके सम्बन्ध में 4 दिन जो बहस चलेगी, उसमें आ जायेंगी। इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हमने जो दिया है वह ला एण्ड आर्डर के अतिरिक्त है। यह अपनी जगह पर है और वह अपनी जगह पर है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर एक प्रस्ताव भी आया है। जहां तक अतिरिक्त की बात है उस अतिरिक्त को लेकर मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रस्ताव यह आया है कि इसके लिए एक समिति गठित कर दी जाय जो सुझाव दे। यह रियासत हुसैन जी का है। बाकी बातें बहस में आ जायेगी. . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसका अपना अलग महत्व है, इसे आप स्वीकार करें।

श्री मोहन सिंह--

देहुली और साढ़ूपुर में जो निराधार सामूहिक हत्याएं हुई हैं उनके बारे में हमने पहले ही आपके पास दिया है।

(व्यवधान)

मैंने जो प्रस्ताव दिया है वह 103 नियम के अन्तर्गत भी दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, इसको उसके साथ न जोड़ें, इसका महत्व अलग है। इस पर आप हमको सुन लें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक सनसनीखेज समाचार, समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि हरिजनों की सामूहिक हत्यायें हुई हैं। साढ़ूपुर और देहुली में जो हरिजनों की सामूहिक हत्याएं हुई हैं उनको रोकने में यह सरकार विफल रही है। मुख्य मन्त्री ने एक तारीख निश्चित कर दी थी कि यदि हम 24 तारीख तक हरिजनों की सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे तो मैं प्रायश्चित स्वरूप इस्तीफा दे दूंगा। हरिजनों की सुरक्षा, की कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं कर सकी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यह उनका केवल एक बहाना था। उन्होंने समाचार पत्रों में जो बयान दिया, वह बिलकुल असत्य और निराधार था। एक तरफ तो प्रचार करवा रहें हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सामूहिक हत्याएं हो रही हैं और दूसरी तरफ जो उनको संरक्षण मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इन हत्याओं को रोकने में यह सरकार बिलकुल विफल रही है। इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए। इन अपराधियों के साथ यह सरकार दो तरह का व्यवहार कर रही है। फर्जी मुठभेड़ के नाम पर यह सरकार हरिजनों की हत्याएं करवा रही है। साढ़ूपुर और देहुली के हत्याकाण्ड में जिन लोगों के हाथ रंगे हुए थे, यदि हम इस पर यहां चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने दायित्व से च्युत हो जायेंगे और उन लोगों को प्रोत्साहन मिल जायगा। इसलिए इस पर चर्चा होना नितान्त आवश्यक है। सरकार और उसकी पार्टी के लोग देहुली और साढ़ूपुर के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार देने के लिए कतरा रहे हैं।. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैंने आपको सुन लिया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जिस विषय पर कार्य-स्थगन के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है, उसमे हमारे प्रदेश में हजारों कमजोर वर्ग के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उसको रोकने में यह सरकार विफल रही है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह से असफल हुई है। उस असफलता को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटाने के लिए एक अनर्गल और भ्रामक समाचार देने की चेष्टा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है और कहा गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सामूहिक हत्या की साजिश करने का घृणित कार्य किया गया है उसमें विरोधी दलों को लांछित करने की चेष्टा की है। आप इस बात से अवगत होंगे कि स्थिति इससे भिन्न है। अभी मुरैना में दो डाकू पकड़े गये उनकी जेब में जो पत्र मिला है उसमें हमारे राज्य गृह मन्त्री का पत्र है जिसमें लिखा है आप हमारे भट्टे में चले आओ उन्होंने पुलिस को बयान दिया है। इसी प्रकार सीतापुर में बहराइच जिले के दो डाकू पकड़े गये उनका भी किसी मन्त्री से सम्बन्ध होने की बात आई है। मैं इस समय विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं केवल ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। यह सही है कि सत्तारूढ़ दल के लोग और मन्त्री डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं जिससे अपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि प्रतिपक्ष की साजिश है। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपके पास इस सम्बन्ध में प्रमाण हैं? तो वह कहते हैं कि हमारे पास कोई मामला नहीं है। तो इस तरह से झूठी और भ्रामक बात का प्रचार किया गया है। चाहिए तो यह था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में उपस्थित होकर क्षमा मांगते और अपने आरोप को वापस लेते लेकिन उसे वापस नहीं लिया। पूरे प्रदेश में आज पेनिक क्रिएट हो गयी है। हरिजन खेतों में नहीं जा रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से अक्षम और असफल सिद्ध हुई है। इसलिए आवश्यक है इससे महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती यहां हरिजनों की रक्षा का सवाल है। देहुली के बारे में जिस समय 30 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी उत्तर प्रदेश की सरकार को सर्टिफिकेट दे रही थीं ठीक उसी समय साढूपुर में कत्लेआम हरिजनों का हो गया।

(सदन में बिजली बन्द होने पर।)

श्री हुकम सिंह--

सरकार के काले कारनामों पर बिजली बन्द हो गयी।

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

गढ़वाल संसदीय चुनाव के सम्बन्ध में हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है उसे 21 तारीख को ले लें और आज देहुली और साढूपुर के सम्बन्ध में स्वीकार कर लें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

हमने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिक संगठनों ने काले कानून और मंहगाई के विरुद्ध जो बन्द की घोषणा की है उसको सरकार किस तरह से विफल करने का प्रयत्न कर रही है। मैं यह स्वयं कानपुर और फर्रुखाबाद गया था वहां पर मैंने देखा कि जिन अराजक तत्वों को जेल में होना चाहिए था उनको इस शासन के मन्त्रियों द्वारा बुलाकर उनकी सभाएं करके उनकी बैठकें की जा रही हैं। उनसे कहा जा रहा है और वह राजनीतिक नेताओं के घरों में जाकर उनको आतंकित कर रहे हैं. . .

(बिजली पुनः आने पर।)

श्री अध्यक्ष--

यह आप घटना बता रहे हैं। ग्राह्यता की बात कहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, कामरोको प्रस्ताव के बारे में जैसा आपने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, तो यह साधारण शान्ति व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है, जिसके लिए यह दिया गया है और वह यह है कि हमारे प्रदेश के हरिजन व निर्बल वर्ग के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार के प्रति उनमें आस्था नहीं रह गयी है कि वह उनको सुरक्षा दे सकेगी। देहुली की घटना हुई, उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने बड़े गर्व से कहा कि इसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा और यदि हम सुरक्षा नहीं दे सके, नामी गिरामी डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सके, तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन प्रायश्चित का क्या हुआ? साढूपुर में 10 हरिजनों की हत्या की गयी। जिस वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी लखनऊ में हमारे मुख्य मन्त्री को सर्टिफिकेट दे रही थीं, उसी समय 10 हरिजन मारे जा रहे थे। डाकुओं को पकड़ने के नाम पर सरकार कहती है और राज्यपाल ने भी कहा कि एक हजार से ज्यादा लोग गोली के घाट उतारे गये हैं और उसमें भी ज्यादातर हरिजन, निर्बल और पिछड़ी जाति के लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग जो जाने माने डकैत हैं वह आजादी से छुट्टा घूम रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोगों को कलंकित करने के लिए उनके खिलाफ डाकुओं को लेकर घृणित प्रचार किया जा रहा है।

भूतपूर्व गृह मन्त्री जो अब शिक्षा मन्त्री हो गये हैं, श्री नौनिहाल सिंह जी ने कहा था कि हमने ऐसे लोगों की सूची बनवाई है जो राजनैतिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और विधायक लोग डाकुओं को संरक्षण देते हैं। अब उनके बाद आई गृह मन्त्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी भी कहती हैं कि हमने ऐसी सूची बनवाई है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सूची तैयार है तो वह उसे प्रकाशित क्यों नहीं करवाती है? तमाम-पत्र-पत्रिकाओं में पत्र और फोटो निकल चुके हैं कि विधायक और सत्ता पक्ष के मन्त्री लोग डकैतों को संरक्षण देते हैं लेकिन क्या उसकी कोई जांच की गयी? चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष का या विरोध पक्ष का हो, यदि कोई संरक्षण देता है तो उसकी अवश्य ही जांच होनी चाहिए। आज निर्बल वर्ग के लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। यह विशेष बात है, इसलिए इस पर अलग से विचार होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं एक अतिरिक्त बात कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, एक मिनट मुझे दे दें। कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो हमारे विपक्ष के नेताओं ने दिया है, उसमें एक खास चीज है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यह सही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन चर्चा करने को हमको मिलेगा। और उसमें ला एण्ड आर्डर की बातें भी होंगी। लेकिन अभिभाषण में बहुत सी बातें हैं और मुख्य मन्त्री जी ने एक खास बात कही है अपने भाषण में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुनियोजित ढंग से विपक्षी दलों द्वारा हरिजनों की हत्या का एक षड़यन्त्र किया जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक में एक पहला ही दिन हम इसके लिए रखते, लेकिन चूंकि उसमें हमारे आदमी नहीं हैं--हमने उसका बहिष्कार कर रखा है, इसलिए यह नहीं हुआ। उन्होंने यह नहीं कहा कि फलानी जगह यह होने वाला है, बल्कि कह कहा कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह होने वाला है। तो जब तक इसकी जांच न हो और हरिजनों को न्याय मिलने का आश्वासन न मिल जाय पूरा सदन बैठकर इस पर बात

कर ले कि किस तरह यह होना चाहिए। मुख्य मन्त्री इसको बतायें, खाली स्टेटमेन्ट देकर उन्होंने जो पैनिक क्रिएट किया है, उस पर अवश्य विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप सभी की बातें इस पर सुन लीं और नेता विरोधी दल की भी सुन लिया। इनमें दो पक्ष हैं। एक तो शान्ति-व्यवस्था की बात है चाहे वह साधारण हो या और किसी प्रकार की और दूसरा माननीय मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का प्रश्न है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सामूहिक हत्या के षड़यन्त्र की बात कही गयी है। ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। एक तो आमतौर की घटना है, लेकिन मैंने दोनों को उसी सन्दर्भ में देखा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप माननीय मुख्य मन्त्री जी को यहां बुला लीजिए और उनसे कहिए कि अगर उनके पास कोई तथ्य हों तो उन्हें सदन में रखें ?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है, आप उसके बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते समय अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जहां तक उनके कथित वक्तव्य का प्रश्न है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री को निर्देशित करता हूं कि एक विस्तृत वक्तव्य दें और फिर जैसी स्थिति होगी, देख लिया जायगा। बाकी सब प्रस्ताव अस्वीकृत होते हैं। जहां तक कार्यस्थगन का प्रस्ताव है, उसे किसी और दिन ले आवें मैं उसे देख लूंगा।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक अलग से प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—

सब समाप्त हो गए हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

(श्री बल्देव सिंह आर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पूर्व इसके कि आप धन्यवाद का प्रस्ताव रखें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो अभिभाषण हुए हैं उनपर जो चर्चा हुई है, उनमें काफी माननीय सदस्यों को हिस्सा लेने का अवसर मिला है। इसलिए मैं उसी के अनुसार प्रस्तावक का समय 25 मिनट, विभिन्न दलों के नेताओं को 25 मिनट रखा है। माननीय नेता वरोधी दल और माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने विवेक से यथा सम्भव कम से कम समय लेंगे तथा माननीय सदस्यों के लिए मैं 10-10 मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

*श्री बल्देव सिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 जनवरी, 1982 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बल्देव सिंह आर्य]

माननीय महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को नव वर्ष की बधाई दी है। हम भी उन्हें अपनी ओर से बधाई देते हैं।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यों का उल्लेख होता है और जो कार्यक्रम सरकार प्रदेश की जनता के हित में चलाती है विशेष रूप से उन कार्यक्रमों का इसमें उल्लेख किया जाता है। मान्यवर, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति किस प्रकार से हो रही है उसका एक चित्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मिलता है. . . .

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

वे हमारे प्रदेश की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति और पिछड़ी हुई जाति के लिए तथा निर्बल लोगों के लिए उनकी तरक्की के लिए विशेष रूप से कहा गया है और उसके लिए हमारी सरकार जो कर रही है, उसका उन्होंने उल्लेख भी किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करने जा रही है। हमारे संविधान में जिस प्रकार के वर्गविहीन समाजवादी समाज की संरचना की बात कही गयी है, निर्बल वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो कहा गया है, उसे हमारी सरकार पूरा करने में लगी हुई है।

मान्यवर, अभी कुछ समय पूर्व यहां पर देहुली काण्ड और साढ़ूपुर काण्ड की चर्चा हुई। उन घटनाओं से सभी को बहुत दुःख है। उन लोगों के पुनर्वास के लिए, उन लोगों की सुरक्षा के लिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, उसके लिए इस सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, जो प्रशंसनीय हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरे दृष्टिकोण को भी आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि आज हमारे समाज में ऐसे लोगों का अभाव है जो समाज में विचार परिवर्तन का कार्य कर सकें। विचार परिवर्तन का जो काम होना चाहिए था, वह आज हमारे समाज में नहीं हो रहा है। यह डाका डालने वाले लोग कोई महात्मा या सन्यासी लोग नहीं हैं। वे आर्थिक लाभ के लिए ही डाका डालते हैं, लोगों को मारते हैं तथा अन्य जघन्य अपराध करते हैं। चाहे देहुली काण्ड हो, चाहे साढ़ूपुर काण्ड हो, चाहे फूलनदेवी काण्ड हो, इस सबके पीछे जाति विद्वेष की भी भावना है। इसी के कारण वे एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते हैं। होना यह चाहिए कि समाज में ऐसे लोग हों जो गांव-गांव में जाकर लोगों में जाति-पांति की दूषित भावना को दूर करें, विचार परिवर्तन का काम करें।

एक सदस्य--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सरकार ने ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम किए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की है।. . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, आप स्थान ग्रहण करें। कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बल्देव सिंह आर्य---

हां, मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि गैर सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जा कर उस क्षेत्र में काम करें। जो आपस में भेदभाव है या रोस है या विद्वेष है, उसको

दूर करने के लिए प्रयास करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि कुछ लोग पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा सब लोग नहीं कर सकते हैं, गांधी जी ने पद यात्रा किया था, उसका परिणाम अच्छा रहा। लेकिन नीम हकीम खतरे जान, पद यात्रा के बारे में जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिन्होंने जीवन में हरिजनों के लिए और निर्बल वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी न किया हो, और वह पद यात्रा करे, तो उससे कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनकी पद यात्रा से कितने समाज में एकता पैदा हुई है, समाज में कितने लोग नजदीक आए हैं ? हां, राजनैतिक फायदा उठाने के लिए भले ही यह कहें कि हरिजनों के हमदर्द हैं।

1977 से 1979 तक आप शासनरूढ़ रहे।

हमारे विरोधी दल के भूतपूर्व मन्त्री जी भी यहां पर मौजूद हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस जमाने में जमीनें आवंटित की गयी थीं उन जमीनों से उनको बेदखल कराया और बेदखल करके उनको हटा दिया। तो यह हरिजनों के कल्याण का काम नहीं है। उनके लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी यह सम्भव हो सकता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग हरिजनों के उत्थान में दिलचस्पी रखते हैं, वे गांवों में जाकर सभी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करें, उनसे कहें कि आप सब लोग मिलकर गांव में एकता का भाव पैदा करें और जब कभी हरिजनों पर कोई आपत्ति आवे, सब लोग उसका मुकाबला करें, तब तो हरिजन सुरक्षित रह सकता है, वरना रोजाना कुछ न कुछ विवाद बना रहेगा। तो इन सब चीजों पर आज विचार करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति और निर्बल वर्ग के लिए सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहता हूं। आर्थिक कल्याण के कार्य दूसरे सामाजिक कार्य और तीसरे समाज कल्याण के कार्य, ये तीन काम हैं। इन तीनों कार्यक्रमों को लेकर सरकार, जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है। एक योजना है जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है। जो अनुसूचित जाति के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का कार्यक्रम है। क्योंकि कांग्रेस बराबर कहती है कि गरीबी दूर करो। और गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम होना चाहिए। तो यह रचनात्मक कार्यक्रम है। प्रदेश में सम्पूर्ण आबादी का 21 प्रतिशत हरिजन आबादी है। उनके कल्याण के लिए उनकी गरीबी को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के समक्ष बहुत सी कठिनाइयां हैं। इसकी पहली कठिनाई यह है कि बैंक से जो पैसा मिलना चाहिए उसके मिलने में कठिनाई होती है लेकिन सरकार का प्रयास है कि बैंक उदारता पूर्वक ऋण दे जिससे वह काम कर सकें, धंधे कर सकें और रोजी कमा सकें और आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, प्रदेश में यह योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 2 अक्तूबर, 1980 से प्रारम्भ हुआ है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15 लाख परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। लेकिन जो कठिनाई आपके सम्मुख रखी है उसकी वजह से उसमें तेजी नहीं हो पा रही है। सरकार इसके लिए कोशिस कर रही है। 1 लाख 69 हजार 390 परिवार को यह सहायता मिल चुकी है लेकिन 15 लाख का लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गरीबी दूर होनी चाहिए। केन्द्र सरकार इसके लिए खासतौर से पैसा दे रही है। उससे 1 लाख 56 हजार 769 परिवार ऊपर उठे हैं। 5 करोड़ 79 लाख अनुदान के रूप में और बाकी ऋण के रूप में और बाकी मार्जिन मनी के रूप में सरकार दे रही है। यह कार्य हर जिले में और कुछ तो सघन विकास खण्ड हैं और बाकी सभी विकास खण्डों में यह कार्य चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरिजनों को शिक्षा के क्षेत्र में 4 लाख 60 हजार 294 विद्यार्थियों को, जो छात्रवृत्ति पाते हैं कक्षा 10 से यूनीवर्सिटी तक।

यह स्थिति है। महामहिम राज्यपाल ने चूंकि उल्लेख किया है कि इनकी शैक्षिक उन्नति के लिए आर्थिक और सामाजिक उन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए। विमुक्त जाति के 6 हजार 667 छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। पिछड़े वर्ग के 2 लाख 830

[श्री बल्देव सिंह आर्य]

पढ़ रहे हैं। 109 छात्रावास विभिन्न संस्थाओं की ओर से चलाए जा रहे हैं। उनमें निर्बल वर्ग के छात्र, अनुसूचित जाति के छात्र रहते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सर्विस में आरक्षण में भी आप देखें। पी0सी0एस0 का कोचिंग इलाहाबाद, लखनऊ में है, जिसमें लड़के कम्पटीशन की तैयारी करते हैं। पी0एम0टी0 के लिए कानपुर, लखनऊ और मेरठ में कोचिंग की व्यवस्था है तथा इंजीनियरिंग के लिए रुड़की में कोचिंग खुली है। उसमें हरिजन छात्र तैयारी करते हैं।

मैं सदन के समक्ष अनुरोध करूंगा कि हरिजन की स्थिति इस समय जो है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है और करती रही है। इसलिए हरिजनों का रुझान कांग्रेस की तरफ रहा है चूंकि कांग्रेस ही गांधी जी के समय से हरिजनों के उत्थान का काम, उनको समाज में बराबर लाने का काम करती रही है।

मान्यवर, अब मैं प्रदेश में डकैतों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 19 दस्यु दल थे जिनमें से 10 को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया और 9 अभी जो शेष हैं, उनमें से बहुत सारे डकैत इन्काउन्टर में मार दिए गये हैं और उनकी अब धीरे-धीरे स्थिति कमजोर होती जा रही है। वर्ष 1981 में 19 दस्यु दलों से 3,997 आफिसरों की मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 1,391 डकैत मारे गये हैं और 9,447 बन्दी बनाए गये हैं और 7,230 हथियार बरामद हुए हैं। यह कार्य पुलिस ने किया है।

मान्यवर, वर्ष 1977 में जब विरोधी दल की सरकार थी तो डकैती और अपराधों की संख्या 4187 थी और वर्ष 1981 में यह संख्या घटकर 2,858 रह गयी। यह आंकड़े हैं जिनको आप लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं।

श्री मोहन सिंह—

लाइब्रेरी में किस किताब में हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आप लोग बीच-बीच में व्यवधान न करें और हमको अपनी बात कहने दें।

मान्यवर, अन्न उत्पादन के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि वर्ष 1978–79 में जब यहां पर बजट पेश हुआ था तो जो आंकड़े दिए गये थे वह यह हैं कि 208 लाख टन अन्न उत्पादन बताया गया था और वह आज 1980-81 में 244.96 लाख टन उत्पादन हुआ है। इसलिए 1977 में जब विरोधी दल की सरकार थी तो 208 लाख टन हुआ था। अतः उत्पादन की दिशा में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और हमारे प्रदेश में सूखा और अतिवृष्टि के बावजूद भी जो लक्ष्य था, उससे अधिक उत्पादन हुआ। इसका मतलब शासन ने वह सुविधाएं किसानों को दी हैं जिनसे यह अधिक पैदावार कर सकें और उससे अपनी स्थिति और प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में मदद मिली है। सामान्य प्रशासन की एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् 76 में इस राज्य के नौकरों को अशोक चक्र की श्रृंखला में राष्ट्रपति ने पुरस्कारों से विभूषित किया। राज्य सरकार ने उनको एक मुश्त धनराशि देने का फैसला किया है। अशोक चक्र वालों को 10 हजार रुपए, कीर्ति चक्र वालों को 6 हजार रुपए और शौर्य चक्र वालों को 3 हजार पांच सौ रुपए देने का शासन ने निर्णय लिया जो खुशी की बात है। 1947 के बाद जिन लोगों को इस तरह से अलंकृत किया गया है, उनको भी यह धनराशि दी जायगी। जो लोग 14–6–76 के पहले ऐसे अलंकारों से पुरस्कृत किए गये हैं, उनको भी यह धनराशि दी जायगी। अब मैं गांव विकास की बातें कहना चाहता हूं। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे 5 मिनट दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप 2, 3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिये।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, कुछ समय मुझे और दे दीजिये। हरिजन तथा निर्बल वर्ग के लोगों के लिये मकानों की कमी है। सरकार ने ग्राम विकास विभाग की ओर से योजना चलायी है। यह योजना 1979–80 से शुरू हुयी है। इसके तहत 29 हजार मकान बन कर तैयार हो गये हैं जो लाभार्थियों को दिये जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक 45 हजार मकान बन कर तैयार हो जायेंगे। तो इससे गांव में रहने वाले लोगों की मकानों की समस्या हल हो जायेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना इस प्रदेश में सन् 80 से चल रही है। इसमें 32 पंचायत उद्योग इस समय चल रहे हैं। और इन उद्योगों से लोगों को रोजी मिल रही है। यह अपेक्षा की गयी है कि इस वर्ष में 5 करोड़ रुपये का उत्पादन इन पंचायत उद्योगों के द्वारा हो। यह उत्साहवर्द्धक है, हम समझते हैं कि सरकार इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।

हरिजन पेयजल योजना शुरू की गयी है। हरिजनों को गांवों में पेय जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम यहां पर बैठकर उनकी तरफदारी करते हैं लेकिन उनको अपने कुयें से पानी भरने नहीं देते हैं और पानी के लिये झगड़े करते हैं। तो इस योजना की शुरूआत सन् 77 में हुयी थी। 29 हजार 600 गांव ऐसे थे जहां हरिजन बस्तियों में पानी नहीं था। 40,498 कूप और 5,778 हैंड पम्प इस बीच में लगाये गये हैं। आगे भी 2 करोड़ रुपये का इसके लिये प्राविधान है। पहाड़ों में भी 2,802 डिग्गियों को बनाने का प्रस्ताव था और वह बन कर तैयार हो गयी हैं। इस तरह से हरिजनों को सुविधा देने के लिये और उनकी कठिनाइयां हल करने के लिये सरकार ने यह प्रोग्राम चलाये हैं और उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है। यह सरकार हरिजनों को और दबे हुये लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। एकीकृत ग्राम विकास योजना हमारे प्रदेश में चल रही है। उसमें भी जो ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे है उनको ऊपर उठाने के लिए विकास खण्डों के माध्यम से कार्यक्रम चालू हो गये हैं। इस कार्यक्रम के तहत 5 लाख 31 हजार परिवारों को सुविधा मिली है। और यह कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। जिस से लोग ऊपर उठकर आ सकें। बस इसी बात को लेकर अपनी बात को खत्म करता हूं। मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का और समय दिया।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, कुछ कहने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि मुझे समय कितना अधिक से अधिक मिल सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

वही दस मिनट।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, 10 मिनट में क्या कुछ और इजाफा हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वाले माननीय सदस्यगण बहुत हैं और समय हमारे पास इतना नहीं है, इसीलिए 10 मिनट से अधिक दे पाना सम्भव नहीं हो सकता।

[समय 3 बजे अपराह्न]

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 आर्या जी द्वारा जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आर्या जी ने विस्तृत रूप में सरकार द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में, जैसे मुख्यतः हरिजनों के संबंध में तथा ला एण्ड आर्डर के संबंध में जो बातें अपने धन्यवाद

[श्री प्रियदर्शी जेतली]

प्रस्ताव में कहीं, वह सारी बातें निर्विवाद हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में श्री विश्वानाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो अद्वितीय कार्य किया है उससे प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके कि इस प्रदेश के शासन के सामने जहां प्राकृतिक अवरोध आए, वहीं राजनीतिक अवरोध भी आये-दिन डाले गये और और आज भी डाले जा रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इस प्रदेश शासन की बागडोर माननीय विश्वनाथ प्रतापसिंह जी को सौंपी, उस समय देश और प्रदेश की स्थिति को जो हमारे सामने बैठे साथियों ने जो हमसे पूर्व सत्ता में बैठे थे, जहां उन्होंने अपनी स्थिति तो बिल्कुल विकलांग जैसी बना दी है, वहीं उन्होंने प्रदेश की स्थिति को भी विकलांग जैसा बना दिया था। उस समय यह बागडोर हमारे हाथ में आयी थी। लेकिन आज जब हम इन सब चीजों के होते हुए भी प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं वहीं वे अपनी तस्वीर को संवारना चाहते हैं, इस कारण आये दिन विरोध पक्ष उसमें अवरोध उत्पन्न करना चाहता है। विरोध आप करिये, इसलिए नहीं कि आप विरोध पक्ष के लोग हैं, बल्कि विरोध इसलिए करिए जिससे कोई रचनात्मक स्थिति सामने आये और उससे देश और प्रदेश को कोई लाभ पहुंचे। इसलिए विरोध करें जिससे हम यदि कोई गलती करें और उससे प्रदेश को कोई लाभ न होता हो तो उसमें सुधार कर सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भारतवर्ष बंद का आवाहन किया है इस संबंध में जो इसमा जारी किया गया है आप लोग जिस इसमा का विरोध कर रहे है जिसका इस्तेमाल नवम्बर से पहले किया ही नहीं गया है। मान्यवर, जिस इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के तहत ही स्ट्राईक व लाक-आउट रोकने की ताकत शासन को प्राप्त है, वह इस विधान मण्डल द्वारा बनाई 1948 के इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत ही प्राप्त हुई है और इसी ऐक्ट की तहत आज भी सारे कार्य हो रहे है और उसका प्रयोग इनके शासन में 1981 के पूर्व नहीं किया गया था।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से अपने सामने वाले भाइयों से पूछना चाहूंगा कि क्या इसी ऐक्ट के तहत 1977 में गाजियाबाद में तमाम फैक्ट्रियां हमारे पास जिनके नाम मौजूद है, की हड़तालों को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया। यह फैक्ट्रियां यूनिवर्सल पालीगार इण्डस्ट्रियल लिमि0, दूसरी है एम0/एस0 जिन्दल एण्ड हिन्दुस्तान पाईप लाईन एण्ड एलाईड एजेन्सीज लि0, इलेक्ट्रिकल स्विच लिमिटेड तथा मेसर्स कुमार आईरन एण्ड स्टील वर्कस लि0 और ग्लोब इंजीनियरिंग वर्क्स की हड़तालें आपके ही शासनकाल में और इस ऐक्ट के तहत ही गैर कानूनी घोषित की गयी थीं। मगर आज भी हमने उस इसमा का इस्तेमाल नहीं किया है। आज की परिस्थितियों में भी श्रमिकों को जो भी सुविधायें हमने दीं वे बेमिसाल हैं जैसे उनके वेतन में 50 रु0 से 150 रु0 तक की वृद्धि, मान्यवर, आज कोई भी ऐसी स्थिति देश के सामने नहीं है कि श्रमिक आन्दोलन किया जाय और प्रदेश के उत्पादन को रोका जाय। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जहां इस वर्ष को उत्पादन का वर्ष घोषित किया है, दूसरी तरफ विरोधी दल उत्पादन पर अवरोध लगाना चाहते हैं। जबकि आज जरूरत इस बात की है कि देश की गरीबी को कम करने के लिये उत्पादन को बढ़ाना होगा।

आज विभिन्न उद्योगों में जो मजदूर काम कर रहे है, उनके वेतनों में जो वृद्धि की गयी है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा इस देश की किसी प्रदेशीय सरकार ने नहीं की है। इसके लिये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बधाई की पात्र हैं।

हिन्दोस्तान की कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें सफाई मजदूरों की सुविधा के लिये 13 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की हो जिसमें एक यह भी है कि सफाई मजदूरों का एक प्रतिनिधि प्रबन्धक समिति का सदस्य भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़कर

किसी सरकार ने इस प्रकार की घोषणा नहीं की है। इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके अलावा फारेस्ट लेबरों की समस्या के तहत, वह सबसे उपेक्षित लेबर रहा है। उसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्यवाही की है, उसका मुकाबला विभिन्न प्रदेशों की कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। यहां तक बंगाल की सरकार नहीं कर सकती है। इस प्रकार बाजार कर्मचारियों के लिये गत माह जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिनकी संख्या 70 लाख है, इस देश की किसी सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा सिनेमा कर्मचारियों के लिये ट्रियट्राई सम्मेलन किया है, वह एक नया कीर्तिमान है। पहली बार पब्लिक सेक्टर में आरबीट्रेशन की परम्परा को कायम किया है। जैसे जल संस्थान में, डाला सीमेन्ट में, टैक्सटाइल कारपोरेशन यू0 पी0 में आरबीट्रेशन को स्वीकार किया। मान्यवर, मैं अपने विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपने महामहिम के भाषण को सुना ही नहीं, तो किस तरीके से विरोध करना चाहते हैं।

इस प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वह अद्वितीय है और इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस सरकार ने उद्योग को शहरों से देहातों में ले जाने का नया नारा दिया है। अर्थात् 'मूव टु विलेजेज'। रोजी रोटी की तलाश में देहातों से शहरों की तरफ जाने वाली भीड़ से शहरों के सामने आवासीय समस्याओं के साथ-साथ और भी बहुत सी अन्य समस्यायें भी बढ़ती जा रही थीं। उद्योगों को शहरों से निकालकर गांव में लगाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, इसके लिये भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बधाई की पात्र है। मैं तो यह कहूंगा कि जो हमारे साथी विरोध पक्ष में बैठे हैं, उनको भी इसके लिये हमको सहयोग देना चाहिये, कम से कम उन बातों के लिये सहयोग देना चाहिये, जिसे इस प्रदेश का शासन सही तरीके से कर रहा हो। और जिससे कि इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने वाला हो और हो रहा हो।

हरिजनों के विषय में श्री आर्या जी ने कहा, कानून और व्यवस्था की विस्तार में बात की गयी। मैं कहना चाहता हूं कि आज वे केवल इस नियत से कार्य करना चाहते हैं कि उनकी तस्वीर जो खराब है, आपने अपने शासन काल में, अपने ढाई साल के कार्यकाल में जो गलती की या हो गई है, इस प्रकार नहीं ठीक कर सकेंगे। इस प्रदेश के अन्दर जातिवाद को, अपने कार्यकाल में जन्म दिया है वह आज देश की अखण्डता को खतरा पैदा कर रहा है।

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ विरोधी पक्ष से अनुरोध करता हूं कि आइये हम सब मिल कर इस सम्मानित सदन के सामने शपथपूर्वक संकल्प करें कि इस देश के विकास के लिये हम श्रीमती इन्दिरा गांधी व विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को सहयोग दें जिससे कि देश और प्रदेश का उत्थान हो। इन शब्दों के साथ मैं श्री बल्देव सिंह आर्य द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संशोधन जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है—

विगत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, दिन दहाड़े समूह में दस्यु गिरोह निरीह जनता की हत्या कर रहे हैं। बेहमई जामई की सामूहिक हत्या का घाव भरा भी नहीं था कि देहुली और साढ़ूपुर में गरीब हरिजनों की सामूहिक हत्या कर दी गयी, अब तो इटावा में भी इसी तरह की हत्या हुई है। इन सामूहिक हत्या को

[श्री राजेन्द्र सिंह]
बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फर्जी मुठभेड़ के नाम हजारों निर्दोष व निरीह लोगों की हत्या करने वाले पुलिस अधिकारियों को शासन की ओर से पुरस्कृत किया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ों में गरीब लोगों की हत्याओं की कोई जांच अभी तक शासन ने नहीं कराई।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों की सांठगांठ दस्यु गिरोहों से है। मंत्रि मंडल के तमाम मंत्री और उनके परिवारजन खुले रूप से समाज के अपराधी तत्वों से सांठ गांठ किये हैं। मंत्रि मंडल के सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाये गये लेकिन उनकी अभी तक कोई जांच नहीं हो सकी। जिसमें नतीजा हुआ है कि मंत्रियों की देखादेखी प्रदेश के सम्पूर्ण प्रशासन में भ्रष्टाचार घर कर गया है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मंत्रिमंडल व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच नहीं कराई गई।

उत्तर प्रदेश में किसानों ने गेहूं, गन्ने एवं आलू के वाजिब दाम के लिये संघर्ष करते हुए सड़क पर निकले। कृषि में लगने वाली सभी सामग्रियों के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ाये गये लेकिन कृषि से उत्पादित वस्तुओं के दामों में किसी तरह वृद्धि नहीं हुई जिससे किसानों की आर्थिक हालत जर्जर हो गयी है। वहीं वितरण व्यवस्था लचर होने के कारण उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर सामान नहीं मिल रहा है। आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिये सरकार की कोई सोद्देश्य नीति नहीं है नतीजा यह है कि काला बाजार बड़ी तेजी से पनप रहा है और उत्तर प्रदेश से बाहर नेपाल के रास्ते चीन तक आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की तस्करी हो रही है।

आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सत्र नियमित नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नियुक्तियों में भाई भतीजावाद और पक्षपात चल रहा है। कई जगह विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज और गोली वर्षा हुई। पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र-वृत्तियां उचित मात्रों में नहीं दी गयीं और उनकी नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा भी पूरा नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत का भीषण अकाल है जिनके चलते हुए उद्योग और कृषि दोनों का उत्पादन ठप्प हो गया है। आर्थिक प्रगति की रफ्तार मन्द पड़ गयी है और वहां दूसरी तरफ शासकीय फिजूलखर्जी आसमान छू रही है। मंत्री व प्रशासन अपनी सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रहे हैं।

यह सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने, दामों की लूट रोकने, किसानों को वाजिब दाम देने, विद्यार्थियों-मजदूरों के हितों के संरक्षण में विफल रही है साथ ही साथ इसने प्रशासकीय फिजूल खर्ची को बढ़ाया है।

अधिष्ठाता महोदय, सम्पूर्ण विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। हमने अपनी भावनाओं से महामहिम को पूर्व में अवगत करा दिया था। सभी विपक्षी दलों द्वारा लिखकर एक पत्र महामहिम राज्यपाल को भेजा था जिसे श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने रखना चाहता हूं। सेवा में, महामहिम राज्यपाल, उत्तरप्रदेश, लखनऊ। महोदय, कल दिनांक 15 जनवरी, 1982 को आपने विधान मण्डल के दोनों समवेत सदनों को सम्बोधन हेतु आहूत किया है। हम विपक्षी दल के सदस्य खेद के साथ सूचित करना चाहते हैं कि आप द्वारा आहूत कल की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके।

[× × ×]

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भारतीय संविधान के अनुसार महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से प्रदेश के प्रशासन, कानून व्यवस्था और राजकीय तंत्र के अभिभावक होते हैं। [× × ×] गढ़वाल संसदीय उपचनाव को बार-बार टाल कर प्रदेश सरकार ने इस मोर्चे पर अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया है। व्यापक पैमाने पर हरिजनों की सामूहिक हत्यायें हो रही है। देहुली, साढ़ूपुर बेहमई जामई और इटावा में दस्यु गिरोह द्वारा निरीह हरिजनों की सामूहिक हत्यायें इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन पर सरकार की कोई पकड़ नहीं रह गयी है। [× × ×] छात्र और मजदूर अपनी न्ययोचित मांगों के लिए जब भी सड़क पर निकलते है, उनका क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं और जब किसान इस हेतु आन्दोलन करते है, तो उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का अपने पद पर बने रहना जनतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। [× ×]

संविधान के अनुसार विधान मंडल का सत्र बुलाना आपका अपना दायित्व है। हमारे नियमों के अनुसार वर्ष में कम से कम 90 दिन विधान मंडल का सत्र बुलाना चाहिये। आपसे आग्रह करने के बावजूद भी विधान मण्डल का गत वर्ष का सत्र केवल 44 दिन का ही रहा।

ऐसी स्थिति में हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए आप द्वारा विधान मण्डल के समवेत दोनों सदनों के सम्बोधन को सुनने में असमर्थ हैं, और हम आपसे आशा करते है कि भविष्य में आप सरकारी प्रतिनिधि मात्र बन कर नहीं, अपितु प्रदेश को लोकतांत्रिक मशीनरी के अभिभावक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय नेता विरोधी दल, यह पत्र जो लिखा गया था महामहिम राज्यपाल को और आपने पढ़ा, हमने इजाजत तो दे दी लेकिन महामहिम राज्यपाल की आलोचना इसमें नहीं हो सकती। इसलिये इसमें जो आलोचना की बातें है प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जायेंगी।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, यह महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा गया था पर्सनल। यह सदन जनता का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है इसलिए वह पत्र भी सदन के सामने आना चाहिये। इसलिए सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से जो पत्र लिखा गया था, वह कम से कम सदन के समक्ष रख दें, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

अभी आपने जो आदेश दिये थे, उसके लिए अनुरोध है कि उसका पालन हो जाये और राज्य पाल के प्रति जो रिमार्कस आये हैं वह प्रोसीडिंग्स का भाग न बने।

श्री अधिष्ठाता---

आप उस पर कोई चर्चा न करें। आप अपनी बात कहें। मैंने वह आदेश पालन होने के लिए कह दिया है।

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषणों द्वारा प्रदेश की जनता को यह सरकार गुमराह करती रही है। वर्तमान मुख्य मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में महामहिम राज्यपाल ने तीन बार इस सदन में अपना अभिभाषण दिया है। इस बात को मैं सदन के समक्ष रखूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। महामहिम राज्यपाल ने अपना पहला अभिभाषण इस सदन में 3 जुलाई, 1980 को दिया जिसका एक अंश यह है कि "प्रदेश को एक स्वच्छ, कुशल तथा सशक्त प्रशासन प्रदान करना मेरी सरकार का मूल उद्देश्य होगा। निर्बल वर्गों के व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों तथा हरिजनों के प्रति अत्याचार को स्वीकार नहीं किया जायेगा।" लेकिन श्रीमन्, हुआ क्या, हुआ यही कि अपराध बढ़ते चले गये, और यह न कोई सशक्त प्रशासन दे पाये और न हरिजनों की रक्षा ही कर पाये।

श्रीमन्, दूसरा अभिभाषण दिया गया 27 जनवरी, 1981 को, उसमें यह कहा गया कि-- "मेरी सरकार प्रदेश के नागरिकों के जीवन व उनकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है।" यह सरकार कितनी कृत संकल्प है, अब मैं श्रीमन्, यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से यह सम्बोधन हुआ कि यह सुरक्षा की गारंटी कर रहे हैं, कृतसंकल्प है तो इस संबंध में प्रदेश की गृह मंत्री का यह बयान है कि महिलायें मंगलसूत्र पहनना छोड़ दें और उपभोक्ता सब्जी, चेक से खरीदना शुरू कर दें। यह गृह मंत्री का निरीह जनता की सुरक्षा के प्रति बयान है। तीसरा अभिभाषण है जो अभी हुआ और उसमें फिर कहा गया कि-- "निर्बल वर्ग के प्रति अत्याचार को समाप्त करने और साम्प्रदायिकता को नष्ट करने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।" यह तीन बहुत बड़ी-बड़ी घोषणायें इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल द्वारा कराई।

श्रीमन्, अभी जो नृशंस हत्याकांड हुए, चाहे वह बेहमई का हो, चाहे देहुली का हो और चाहे साढ़ूपुर का हो, वह इस बात का संकेत है कि इन घटनाओं ने इस सरकार के थोथे आश्वासनों पर करारा तमाचा दिया है। अभी आपने देखा होगा और यह सत्य भी है कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश को अच्छा शासन दे भी नहीं सकते हैं। केन्द्र सरकार के बंधुआ मजदूर की तरह से उनकी हैसियत है। वैसे इस सरकार ने बंधुआ मजदूर की प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की लेकिन इसके साथ यह अन्याय होता रहा है और हो रहा है। इन्होंने बार-बार हटने की कोशिश की और हटना भी चाहा लेकिन इनको हटने नहीं दिया गया। इस तरह से यह बंधुआ मजदूर की हैसियत से हैं।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार भी मिटाने की बात कही गई। बी0 के0 नेहरू ने हैदराबाद में एक वक्तव्य में उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के अपराध कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की बात कही। मान्यवर, इनमें से 90 प्रतिशत तो सत्ता पक्ष के है, बहुत से मंत्री हैं, जो आज इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद को सम्हालने के पहले ऐसे कृत्य कर चुके हैं और जो जेल में होने चाहिये थे। अब सत्ता पक्ष में है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जो पहले सत्ता पक्ष में थे उनके बारे में बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी नहीं, जो आज सत्ता पक्ष में हैं। वे इस समय केवल यह प्रयास कर रहे हैं, अपने सत्ता पक्ष का दुरुपयोग करके, जो कुकर्म किया है उनसे बचे रहें। एक राजनेता ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उस वाक्य को यहां पर कह दूं। उत्तर प्रदेश शासन उस लाश की तरह है जिसे श्मशान घाट ले जाने के लिये चार कंधों की आवश्यकता है। कीड़े, बिल-बिला रहे हैं, बदबू आ रही है और बीमारी फैल रही है। इस सरकार के सम्बन्ध में उस राजनेता का जो मत है, उससे मैं भी सहमत

हूं। अभी हमारे प्रदेश की औद्योगिक नगरी, कानपुर में नये युवराज श्री राजीव गांधी आये थे। वहां उनका कार्यक्रम माननीय मुख्य मंत्री की इच्छा के विपरीत बन गया था लेकिन उन्होंने स्वीकृति दे दी आने की। मुख्य मंत्री जी गये और उन्होंने जिन शब्दों में उनकी स्तुति की, मैं चाहता हूं कि वे वाक्य आगे आने वाली सन्तानों के लिये सुरक्षित रहें कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री इस तरह की स्तुति करता है—जिस तरह से धमनियों में खून का संचार होने से शरीर चुस्त हो जाता है, उसी तरह से हमारे बीच में आज माननीय राजीव गांधी जी के आने से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों में चुस्ती आ गयी है। मैं मुख्य मंत्री नहीं हूं बल्कि राजीव गांधी जी का एक सिपाही हूं और वे हमारे सेनापति हैं। हिमालय से लेकर गंगासागर तक उसे गंगा नहीं जोड़ती है बल्कि उसे राजीव गांधी ने ही जोड़ा है। नेहरू परिवार से सोना के सिवा और कुछ नहीं निकलता सोना सोना ही निकालता है। हमारी प्रार्थना है कि वे हमेशा हम सब का नेतृत्व करते रहें और शासन का मार्ग दर्शन करते रहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

आपका स्रोत क्या है? कौन सा अखबार है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

आपके पास मैं इसे भेज दूंगा। अगर आपमें हिम्मत है तो आप कह दें कि ऐसा आपने नहीं कहा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं कहेंगे। एडिटर ने लिखा है कि अपने सम्मान को ताक पर रख कर कुर्सी से चिपके रहने के लिये सबसे बड़ा मूर्ख और पागल मुख्य मंत्री ही इस तरह की बात कर सकता है और अपने मुख्य मंत्रित्व को महत्व नहीं दे सकता है। इतने बड़े प्रदेश का मुख्य मंत्री अपने सम्मान को घटायें और इस तरह की चाटुकारिता करे, इससे पूर्व इनके पूर्वज एक व्यक्ति के सिवा और कोई नहीं हुआ। अब प्रश्न आता है कि जहां अभी थोड़ी देर पहले हम सब की भावना थी शान्ति व व्यवस्था के बारे में। हमारे एक भाई जेतली जी ने कहा कि इधर कुछ सुझाव नहीं आते हैं। शायद वे चले गये।

एक सदस्य—

नहीं वे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यदि अच्छे लगें तो जरूर स्वीकार करने की कृपा करें।

श्रीमन्, दो अलग अलग समस्यायें हैं इस प्रदेश और देश के अन्दर। एक समस्या हरिजन समस्या है और दूसरी डाकू समस्या है। दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार दोनों समस्याओं को एक साथ लेकर चल रही है। हरिजन समस्या सदियों पुरानी समस्या है जो उच्च वर्ग के कुछ लोगों ने, राजेन्द्र त्रिपाठी के पूर्वजों ने, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के पूर्वजों ने एक प्रथा चलाई थी, जन्मजात बिगारी की। श्री बल्देव सिंह आर्य जी ने यह कहा कि यह बहुत पुरानी प्रथा है। इस प्रथा के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनका समाधान जरूर होना चाहिये। समस्या का समधान होना चाहिये। आज कितने लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। मैं जानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता, चौधरी साहब ने अनेक बार कहा.....(व्यवधान).....मैं बतलाऊंगा.....

एक सदस्य—

राष्ट्रीय नेता, भूषण को पार कर गये.....

श्री राजेन्द्र सिंह—

उन्होंने जो कहा है वह आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं उनका यह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को भेज दूंगा जो उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री, जवाहर लाल जी को भेजा था कि प्रथा को मिटाने के लिये। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर माननीय

[श्री राजेन्द्र सिंह—]
मुख्य मंत्री जी जाति प्रथा को मिटाने के लिये प्रयास करें तो एक सुझाव यह है कि जितनी गजेटड नौकरियां है.—नान गजेटेड की संख्या अधिक है, जबकि गजेटेड की संख्या पांच होती है—उन में ही लोग जायेंगे जो इन्टरकास्ट मैरिज करेंगे। श्रीमन्, यह मेरा सुझाव है ..... (व्यवधान) यह वही उच्च वर्ग के लोग बोल रहे है जिनके पूर्वजों ने हरिजन समस्या को पैदा किया।

श्रीमन्, हरिजनों के बारे में यह सरकार क्या कर रही है। दो तीन बातें कहना चाहूंगा। इस माननीय सदन ने समाज कल्याण के बजट में 95 करोड़ रुपये का प्राविधान किया। माननीय गुलाम सेहरा जी का दफ्तर सिर्फ 9 करोड़ रुपया खर्च कर पाया है। यह प्रगति इस सरकार की है। यह मानसिक स्थिति इस सरकार की हरिजन कल्याण के लिए है। केन्द्र सरकार से भी ग्रामीण एकीकरण विकास योजना के अन्तर्गत सहायता मिलती है वहां भी 30 करोड़ में से 4 करोड़ रुपये खर्च कर पाये।

भूमिहीनों के बारे में बल्देव सिंह आर्य जी ने कहा कि जनता पार्टी ने जो काबिज लोग थे, जिनको पट्टे दिये गये, उनसे पट्टे छीन लिये गये। मैं अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के सामने कहना चाहता हूं कि माननीय बल्देव सिंह आर्य जी सत्ता पक्ष के हैं, कुछ मिसालें ले लें। खाली अनर्गल बातें कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी भी इच्छा है। आप की इच्छा देख ली है। हमारी भी इच्छा है कि कुछ केसेज निकालें कि जनता सरकार कौन से पट्टे वापस करा दिये। मैं तैयार हूं इस सदन के सामने क्षमा मांगने के लिये। अनर्गल बात कह कर दूसरे पक्ष को लांछन लगा कर हरिजनों का कल्याण नहीं कर पायेंगे।

अभी-अभी एक बयान है माननीय राजस्व मंत्री का कि 2382 केसेज अभी पेंडिंग हैं। मैंने पिछली बार भी इस सदन में कहा था, फिर कहता हूं कि मैं इस बात के लिये तैयार हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करें, अधिष्ठाता महोदय, आपसे हमारा निवेदन है कि सदन की एक कमेटी बना दी जाय और वह कमेटी एटरेन्डम किसी गांव में चली जाय। मैं तैयार हूं। मैं कहता हूं कि हरिजनों को जमीन नहीं मिली है खाली कागजों में दर्ज है। मेरा एलीगेशन है और मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी गांव या किसी ब्लाक को आप छांट लें, आपको यह समस्यायें अभी भी मिलेंगी। झूठे सर्टिफिकेट दिये गये हैं। पट्टे के बारे में एक बात और है। सन् 1981 के अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने कहा था, "अभी हाल ही में मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक प्रख्यापित किया।" तराई क्षेत्र में एक अध्यादेश जारी किया लेकिन वहां पर जो भूमि थी वह सवर्णों ने डंडे के बल पर उसे काबिज किया है। इस सरकार ने उस अध्यादेश को बड़े लोगों के कहने पर वापस लिया है। जो लोग पैसे वाले थे और ताकत वाले थे, उनके कहने पर उस अध्यादेश को वापस लिया गया है। यह सरकार पैसे और ताकतवालों की ही है, हरिजनों की हिमायती बनती है। अगर आप हरिजनों के हितैषी हैं और चाहते हैं कि आपने जो 24 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है और अब 20 सूत्री कार्यक्रम भी आ रहा है तो जो जमीन सीलिंग से निकली है उसको वितरित कर दें। अभी आपने पूर्णरूप से सीलिंग नहीं लगायी है। मुख्य मंत्री जी, अगर आप में कोई नैतिकता बची है तो विशारद कमेटी की रिपोर्ट को लागू कीजिये, जिसमें आपके परिवार ने हजारों एकड़ जमीन दबा रखी है। खाली नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। हरिजनों की समस्या का समाधान, डाकू समस्या के समाधान से अलग है। वैसे हम इस बात को अच्छा से नहीं चाहते थे लेकिन आज सत्ता पक्ष के प्रस्तावक महोदय ने कह दिया कि देहुली और साढ़पुर में जो कांड हुये हैं वे कास्ट प्रेजुडिस से हुये हैं। जब आपके प्रस्तावक यह कहते हैं तो आपको ही इस बात का भी जवाब देना है।

अब मैं डाकू समस्या पर आता हूं। श्रीमन्, यह समस्या इस प्रदेश की बहुत पुरानी समस्या रही है और वह लगभग 100–200 साल की है, इसका समाधान भी होना नितान्त आवश्यक है। किसी भी चीज के निदान करने से पहले अच्छा हो कि यह देख लिया जाय कि वे समस्यायें किन कारणों से हुई हैं, उनका समाधान कर लिया जाय। मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद में जो मुख्य कारण हैं वह वहां पर भूमि सम्बन्धी सुधारों का न होना तथा बेरोजगारी है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि जी0टी0 रोड से लगी हुई हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से एटा, जालौन, आगरा तथा बांदा में बीहड़ डाकुओं की सुन्दर स्थली है। वैसे तो और जिले भी हैं लेकिन ये जिले ज्यादा कंसेंट्रेटेड हैं। इन बीहड़ जंगलों को समतल करके उनमें बागात लगवाये जायं, साइट्रस लगाये जायं तो वह ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। भूमि संरक्षण विभाग से यह काम करायें और थोड़े-थोड़े करके किये जायं तो ज्यादा लाभकर सिद्ध हो सकते हैं। सरकारी मशीनरी से आप यह काम करायें। हमने कोशिश की थी और भूमि सेना बनायी थी लेकिन आपने इसे करीब-करीब समाप्त कर रखा है। वह सेना इसीलिए थी कि लोग जंगलों में जाकर कार्य करें और जमीन को उपजाऊ बनायें जो बाद में किसानों को दी जा सके।

तीसरी बात है प्रशासनिक ढांचे में सुधार की। आज पुलिस द्वारा अपने कुछ दलालों के सहयोग से भोले भाले व्यक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। जो कतई उचित नहीं है। इसमें भी शांति से सोचने की बात है कोई व्यक्ति डकैत क्यों हो जाता है। यह सोचने कि बात है कि किन कारणों से वह डकैत हो जाता है। जैसे एक पान सिंह डकैत है और मलखान सिंह है वह क्यों डकैत हो गये। उनके परिवार के कुछ लोगों को गांव के लोगों ने झूठे मुकदमों में फंसाया और उनकी जमीन हड़प ली उनको प्रशासनिक स्तर पर न्याय नहीं मिला। जिससे वह डाकू हो गये। तो इन चारों कारणों का निदान भी होना चाहिये।

अभी हाल में दो घटनायें हुई साढ़पुर और देहुली, बेहमयी के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। देहुली में किन कारणों से यह घटना हुई यह सब को मालूम है। तो प्रश्न यही आता है कि इसको किस प्रकार रोका जाय। अभी एक प्रश्न सुबह कार्यस्थगन का हुआ था जो हमारे माननीय मोहन सिंह जी ने रखा था। पलिस किस तरह से छोटे छोटे आदमियों को, गरीब आदमियों को परेशान करती है लेकिन जिसने इतना बड़ा अपराध किया उसकी किस तरह से तस्वीर पेश की जाती है। तो पूरे प्रदेश में एक शंका व्याप्त हो गयी है। 18 तारीख को 4 बजे यह घटना घटी। हम गांव के रहने वाले हैं जानते हैं कि अगर यह घटना 6 बजे घटित होती तो बहुत भयंकर हो सकती थी क्योंकि 4 बजे गांव के लोग घर से बाहर जंगल में होते हैं तो 24 आदमी मार दिये गये। इस मामले में पुलिस ने कितनी तत्परता दिखाई, थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं, माननीय बल्देव सिंह जी जरा अपनी सरकार की कारगुजारी सुन लें। 18 तारीख की शाम को नृशंस हत्या होती है और 20 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी और ज्ञानी जैल सिंह जी का वहां जाने का प्रोग्राम बनता है। जब मैनपुरी के प्रशासन को उनके आने का पता चलता है तो 19 तारीख की रात को लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी अपने घर में लाश को कितने दिन रख सकता है। 20 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री और ज्ञानी जैल सिंह जी देहली गये तो क्या उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि 15 लाशों का पोस्ट मार्टम 20 तारीख की शाम को हुआ और जिसका दाहसंस्कार 20 तारीख की रात को किया गया और 9 लाशों का दाहसंस्कार 21 तारीख की रात को किया गया। यानी 72 घंटे बाद दाहसंस्कार हुआ, यह आपके प्रशासन की कार्यकुशलता है। यह आपका स्वच्छ और दृढ़ प्रशासन है जिसका हरिजनों से प्रेम है। हमारे पुराने संस्कार हैं, यह मानव देह है, इससे हमारा मोह रहता है तो 72 घंटे तक लाशें सड़ती रहीं। मैं जानना चाहता हूं

[श्री राजेन्द्र सिंह]
कि क्या आपने इस बात को जानने की कोशिश की और उन लोगों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया कि क्यों 72 घंटों तक लाशें रखी रहीं ? मैं चाहूंगा कि वह सदन में बताने की कृपा करेंगे।

फिर मैं एक बात पर आता हूं मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी की एक मजबूरी भी है . . . .

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री जी अपने गृह मंत्री को अपने नियंत्रण में नहीं रख सके हैं। इसलिए इस तरह की बातें हमेशा क्रियेट होंगी। एक पत्रिका ने ऐसी स्थिति के बारे में मुझ से पूछा तो मैंने कहा कि जब उनके पति उनको अपने नियंत्रण में नहीं रख सके तो मुख्य मंत्री क्या रखेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जो निजी रिमार्क हैं उनको न रखें, मेरा निवेदन है, यह शोभा नहीं देता है।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसी बात न कहें तो अच्छा है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं आपकी भावना से अवगत हुआ। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा इन्टेंशन यह नहीं था जो आप ले रहे हैं। मैं तो चाहता था कि बारीकी से उनके बारे में देखा जाय जो कन्ट्राडेक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं, उनको आपने पढ़ा। कोई कहता है कि सन्तोषा को पेट्रोल पम्प पर पकड़ा गया और दूसरे बयान में पहले वाले को बदलकर जिसमें समय लगा है कहा जाता है कि वह पेट्रोल पम्प पर नहीं, उसके पहले पकड़ा गया है। प्रश्न उठता है अगर मोटर साइकिल पर कोई व्यक्ति था, साथ में कोई था तो वह कैसे निकल गया और यह भी प्रश्न है कि इतनी बड़ी शान्ति से इतने बड़े खुंखार व्यक्ति को, जिसका इतिहास भी खराब है और एक ही दिन में 24 हत्याओं का अभियुक्त है, कैसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय उस सन्तोषा के पास कोई हथियार नहीं था, उसके पास कोई चाकू तक नहीं मिला। ऐसी बात मालूम होती है कि आपने अपनी इज्जत चूंकि दांव पर लगा रखी थी, इसलिए यह कर दिया गया कि आ जाने दें, पकड़ लिया जायगा।

इस सम्बन्ध में फिर दो बातें आती हैं। एक कहा जाता है कि उसे कानपुर की पुलिस ने पकड़ा और एक कहा गया कि उसे मैनपुरी की पुलिस ने पकड़ा है। बयान आया पहले कि उसे कानपुर की पुलिस ने पकड़ा है, फिर बाद में गृह सचिव का बयान आता है कि मैनपुरी की पुलिस ने ही पकड़ा है। तो यह भ्रम क्यों क्रियेट हुआ। सत्यता यह है कि सन्तोषा के साथ जो व्यक्ति था उसका सम्बन्ध सत्ता पक्ष से है और यही कारण है कि उस बयान को बदला गया कि वह पेट्रोल पम्प पर पकड़ा गया और कहा गया कि वह पेट्रोल पम्प पर नहीं था उसके करीब 100 गज उरली तरफ से पकड़ा गया था और अकेला था, कोई उसके साथ नहीं था। (व्यवधान) मेरी आंखें आपके कुकर्मों को देखने के लिये बनी हैं, और वह तुरन्त और सीधे वहीं पहुंच जाती हैं। इसी तरह से राधे की अरेस्ट हुई और कहा गया कि कुरावली के पास जब वह अपनी ससुराल जा रहा था, होटल में बहुत मजे से खाना खा रहा था, तो उस समय उसकी अरेस्ट हुई। बड़ा आश्चर्य होता है जिसके लिए इतनी बटालियनें पी0 ए0 सी0 लगी हो, आई0 जी0 व डी0 आई0 जी0 और तमाम पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पीछे पड़े हों वह बड़ी शांति से आता है और भोजन करता है होटल में बैठ कर। हो सकता है कि आप स्थिति ज्यादा अच्छी तरह से जानते हों, क्योंकि मेरा तो उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके साथ दो बातें और कह दूं, यह कहा गया और पेपर में भी हमने पढ़ा है, सत्यता यह जानें, वैसे मुख्य मंत्री जी के साथ मुलाकात में मैंने इस बारे में कह दिया था।

एक भूरा के बारे में मैंने कहा था। भूरा-महावीरा और सुरेश पकड़े गये। ये अरेस्ट हुए या उन्होंने सरेन्डर किया, यह डिस्प्यूटेड है। इनके एक सी0 आई0 डी0 के डी0 वाई0 एस0 पी0 ने, जो उस गांव का रहने वाला है, उसका सरेन्डर कराया है। क्योंकि एडिशनल आई0 जी0 को यह पता चल गया था कि डकैती का माल तो यही आदमी रखा करता था। जब उस पर दबोच पड़ी तो उसने पेश कर दिया भूरा को। भूरा तो पेश हो गया लेकिन डी0 एस0 पी0 का एक साला श्याम लाल है जो एक्स मिलिटरीमैन है और बड़ा ही खूंखार है। प्रयास कीजिए कि डी0 एस0 पी0 उसे भी थाने में पेश कर दें और वहां की समस्या हल हो जाये। एडिशनल डी0 आई0 जी0 ने 15 जनवरी को बयान दिया। उनका कहना है कि राधे बदायूं और अलीगढ़ में अपने रिश्तेदारों के यहां रहता है। संतोषा कानपुर में एक जगह या कहीं ठहरता था, ठहरा। क्या आपने उन लोगों के खिलाफ धारा 216 का प्रयोग किया? यदि हां, तो उनके नाम आने चाहिये जिन्होंने उसे संरक्षण दिया, उनको तुरन्त एरेस्ट करना चाहिये था? लेकिन मैं जानता हूं कि आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। यह तो आपकी इज्जत को, जिसको आपने दांव पर लगा दिया था, बचाने के लिए किया गया।

श्रीमन्, अब साढ़ूपुर का प्रश्न आता है। यह प्रश्न बहुत अहम हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें तरह-तरह की बातें आयी हैं। यह घटना 30 दिसम्बर, 1981 को हुयी। इसको प्रशासन द्वारा लिंक किया गया, इत्तिफाक से वह सच हो गयी। जिस समय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गुड कन्डक्ट का सार्टिफिकेट लखनऊ में दे रही थीं, वहीं पर कुछ डकैत लोग इनको यह सर्टिफिकेट दे रहे थे। वहां उन्होंने टाइम से लिंक किया। पहले प्रधान मंत्री का समय लखनऊ में 4 बजे आने का था। मेरी प्रार्थना है कि यह बात भी साफ होनी चाहिए। माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी दूसरे ही दिन वहां पर जाते हैं, उनका बयान निकला कि यह कांड राजनीति से प्रेरित है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि क्या इस बात की इन्क्वायरी हो रही है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ है। आपके पास पूरी इन्क्वायरिंग एजेन्सी है। सत्ता भी आपके हाथ में है, उसका मिसयूज भी आप जानते हैं। यह सत्ता के मिसयूज कराने का ही प्रयास हो रहा है। जब माननीय मुख्य मंत्री का बयान निकला तो हमने कहा कि वह वास्तविकता नहीं है। हम चाहते हैं कि एनाउन्स होना चाहिए। यह घटना कैसे घटी, इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये। मैं भी वहां पर गया था। वहां पर एक पत्र मिला। वहां पर इस पत्र का प्रसार और प्रचार मैंने अपनी आंखों से देखा था। वहां पर पुलिस टेन्ट में उसकी कापियां हो रही थीं और वह सब को बांटी गयीं। मैंने राइटिंग नहीं देखा, सुना है, वह पढ़ा लिखा नहीं था.....

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इतना तो जानते हैं आप कि वह पढ़ा लिखा नहीं था।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आप जानते हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपसे जानकारी पा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह चाहता हूं कि वह पत्र यहां सदन की कार्यवाही में आ जाये। वह सदन में रखा जाये। इस पत्र में ऐसे-ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक राजनैतिक व्यक्ति ही कर सकता है।

(व्यवधान)

[श्री राजेन्द्र सिंह]

मान्यवर, इस संबंध में एक तो माननीय टकरू साहब का बयान आया वह देखा। एक माननीय गृह मंत्री जी का भी आया। माननीय मुख्य मंत्री जी का भी बयान आया। उनमें यह बात कही गयी है कि इसमें राजनैतिक दल का हाथ है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बात साफ होनी चाहिये। इस तरह से राजनैतिक दल पर लांछन लगाकर आप हरिजनों का भला नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट के किसी जज से आप इसकी जांच करवायें कि किस राजनैतिक दल का इसमें हाथ है। जुडिशियरी में अब भी विश्वास है। आप इसकी जांच करवायें। सत्ता के बल पर अगर आप विरोध पक्ष को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आप बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पायेंगे।

एक बात यह भी सुनने में आयी है श्रीमन्, कि देहुली में लटूरी के लड़के कुंवर प्रसाद का राधे की बहन के साथ नाजायज संबंध था और उसने उसे 15-20 दिन तक रखा था। यह मेरी सूचना है, माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इसकी जांच करवा लें और अगर गलत हो तो वे बतायें। आप अपनी एजेन्सी से इसकी जानकारी करें। वह नारायणी देवी थी और को छोड़ दिया गया। (व्यवधान) इसकी भी जानकारी आप कृपया करा लें।

श्रीमन्, इसके बाद मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के एक एम0 एल0 ए0 के क्षेत्र का, पड़ोस का, एक गांव है भदान। वहां के रामसहाय खटिक का अपहरण हुआ। मेरा एलीगेशन्स यह है कि उसकी फिरौती के लिये डेढ़ लाख रुपया माननीय विधायक ने स्वयं अपने घर पर लिया। यह मेरा एलीगेशन है, आप इसकी जांच अपनी एजेन्सी से करा कर मुझे बतायें अगर यह गलत हो तो। अगर गलत होगी यह सूचना तो मैं सदन के सामने क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी एलीगेशन है, ऐसा हुआ, श्रीमन्। श्रीमन्, एक बात इसी के साथ आती है कि पप्पू के बारे में कि वह भी अरेस्ट हुआ या सरेन्डर हुआ मेरा कहना यह है कि उसको सरेन्डर कराया एक पुलिस इन्सपेक्टर ने, जब उस पर दबाव पड़ा, तो थोड़ी सी आप इन्क्वायरी करा लीजिये, शंका सामने आती है। जो तरीका आपने एडाप्ट किया है, उसमें कभी-कभी शंकायें हो जाती हैं। श्रीमन्, अब आती है बात यह कि डकैतों का एक बहुत जोरो से आपने अभियान चलाया। मैं एक दो प्रश्न उसके बारे में कहना चाहूंगा। अभी एक समाचार दैनिक जागरण में निकला कि 5 हजार मुठभेड़ों में से 1700 से अधिक डाकू मारे गये, 14 हजार गिरफ्तार हुए इस अभियान के अन्दर। यह 4 जनवरी, 1982 का "आज" है। सरकारी प्रवक्ता के माध्यम से यह बयान है कि यह जो कुछ डकैत मारे गये या पकड़े गये उसमें से सिर्फ 19 सूचीबद्ध थे, बाकी जो 17 मारे गये, वह सूची बद्ध नहीं थे। वैसे इस थोड़े से पीरियड में आपने दांवपर लगा दिया था अपने सम्मान को। [* * *]

(व्यवधान)

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

[* * *]

(समय 4 बजकर 2 मिनट)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, एक दो चीज मेरी और नोट कर लें। यह "आज" है, 22 दिसम्बर, 1981 का है, श्रीमन्, उसमें दो जगह पर दिया गया है चन्द्र प्रकाश गिरोह के डकैत के बारे में, एक इटावा का समाचार दिया है कि दो डकैत मारे गये। श्रीमन्, इसमें एक का स्थान तो दिखाया जाता है और थाने के अन्दर कोत वाली के अन्दर दो आदमी मारे गये, लेकिन प्रवक्ताओं के माध्यम से ये दो जिलों पर डिफ रेंट एक ही दिन में दिखा दिया गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो

नोट—[* * *]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सकता है। यह हमारे गृह मंत्री की करामात है। अब श्रीमन्, बहुत बड़ा आपका अभियान चला और अभी उन्होंने कहा कि 10 लिक्यूडेट हो गये। लेकिन हमें तो पता है कि अभी नहीं हो पा रहे हैं। यह "जागरण" है 16 नवम्बर, का एक मंदिर में नेता छविराम घंटा चढ़ाने के लिये आता है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से दो बार यह निवेदन किया कि डाकू छविराम ने असेम्बली के सन् 1980 के चुनाव में कुछ एम0एल0एज0 कैंडीडेट्स का समर्थन किया था। मैं चाहूंगा कि आप अपनी एजेंसीज के माध्यम से इसका पता लगावें। श्रीमन्, राजेन्द्र त्रिपाठी जी अभी नहीं हैं। यू0पी0 निवास में हमें मिल गये हमने पूछा पता लगा लिया, उन्होंने कहा पता तो सब है यह हमारी प्राइवेट बातें हैं, इसको आप गलत समझ सकते हैं। आप सदन को इसको बतायें।

एक सदस्य--

उसकी फ्रेन्चाइज नहीं ली गई है वह वोट दे सकता है और समर्थन कर सकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बात साफ हो गई। यह ढोंग क्यों? यह सब सदन के सामने आना चाहिये कुछ तथ्य तो जनता को बताइये। छविराम मेले में जाता है और घटा चढ़ाता है और पुलिस चली जाती है।

एक सदस्य--

इटावा की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की पोलिटिक्स की बात आप करें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं बोल रहा हूं अगर इसमें कोई बात गलत है तो आप कहें कि गलत है। मैं तो कह रहा हूं इन्क्वायरी के माध्यम से आप कहें कि गलत है। पुलिस की वर्दी छीनी जा रही है इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डकैतियां क्यों हो रही हैं। मैंने कहा था कि इसके कुछ कारण हैं। मैं फिर कहता हूं राजनीतिक संरक्षण। पता लगाइये अगर विपक्ष का कोई है तो आप कहें। मेरी भावना है कि डकैतों को मारा जाय, डकैती बन्द हो और जो गरीबों पर जुल्म हो रहा है, वह नहीं होना चाहिये। जो मारे जा रहे हैं, वह नहीं मारे जाने चाहिये, यह मेरी भावना है।

एक एनाउन्समेंट हुआ है गृह मंत्री जी कोई लिस्ट बना रही हैं। मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट में इन सबको जोड़ दें तो मुख्य मंत्री जी प्रदेश को जो स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। इस प्रदेश की गृह मंत्री स्कूटर चोरों का संरक्षण करती हैं। मैंने कहा मेरे खिलाफ अगर कोई एलीगेशन हो तो आप कहें। प्रदेश की जनता को प्रेस के माध्यम से जो सूचना मिल रही है अगर वह गलत है तो मुख्य मंत्री तो कहें कि गलत है अगर सही है तो कहें सही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो फिर से इंक्वायरी करा कर बतायें अभी तो सदन 3 महीने तक चलेगा। विद्याभूषण जी का पत्र मिला समझ का उसमें क्या हुआ? मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुशवाहा का पत्र श्री शिवराज के पास मिला। मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता के सामने जो आ रहा है या तो उसको आप मानें या उसका खंडन करें। ब्रह्मपाठक मंत्री बनने के बाद जब लिया गये तो अपने एक मित्र के घर खाना खाया और पुलिस और डी0एम0 से कहा इनका ध्यान रखना। जब वह लखनऊ लौट कर आये तो रास्ते में डकैती पड़ी और गांव वालों ने उसको मार डाला।

श्री मोहन सिंह--

इसको एम0पी0 बलिया ने कहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

आपके एक सदस्य मथुरा के विधायक के साहबजादे ने दो डकैतों को, जब पुलिस उनको रिमान्ड पर जेल ले जा रही थी तो रास्ते में छुड़ा दिया, इस पर पुलिस की एफ0 आई0 आर0 है कि छुड़ा कर ले गये। आपकी सरकार है, आप इसकी जांच करायें जिससे तथ्य सामने आ जायेंगे।

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अभी श्री गुप्त जी ने जिक्र किया था कि बहराइच में डकैती पड़ी जिसमें पुलिस का कहना है कि वह डकैत सीतापुर के थे। वह वहां के मंत्री जी के रिश्तेदार थे जिनको मंत्री जी ने बंदूक दिलाई लेकिन वह लाइसेंस कैंसिल किया गया दरोगा के कहने पर परन्तु फिर उसको रिन्यु कराया गया। आप इसकी जांच करायें।

इसके साथ ही मान्यवर, बदायूं में कवि सम्मेलन हुआ, कैबिनेट स्तर के मंत्री वहां मौजूद थे लेकिन वहां कवियों की पिटाई हुई। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ, इसकी जांच करायें और तथ्य सामने आना चाहिये।

मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री का बयान हुआ है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगायें तो उनको लोक आयुक्त को क्यों नहीं देते हैं। तो लोक आयुक्त की भी इज्जत कितनी यह करते हैं वह मैं बताना चाहता हूं। आपके विधायक हैं, सत्ता पक्ष के, फर्रुखाबाद के श्री राजेन्द्र सिंह यादव, मेरे नामाराशी हैं, उनके खिलाफ डकैतों को संरक्षण देने की शिकायत की गयी लोक आयुक्त के यहां। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स मुख्य मंत्री के पास सितम्बर में भेज दिया है। तीन महीने में कोई ऐक्शन होना चाहिये था। लेकिन मालूम पड़ता है कि फाइल दबी पड़ी है इसलिये उसको देखें। प्रोवीजन है कि 3 महीने में ऐक्शन होना चाहिये। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी कोई नीयत नहीं है और न जांच को सामने लाने की इच्छा है।

मान्यवर, अभी श्री यदुनाथ सिंह तोमर, जो हमारे दल के कार्यकर्त्ता हैं, इटावा से टिकट मिला था चुनाव लड़ने का, उनको आपने एरेस्ट किया है दफा 216 में। मैं उसमें कुछ तथ्य आपके सामने सदन में रखना चाहता हूं। यह सब विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने और बदनाम करने के लिये किया जा रहा है। कहा जाता है कि दो व्यक्ति थे---उमेश और नरेन्द्र। इन दो डकैतों को पुलिस ने 7 जनवरी को पकड़ा। मान्यवर, यह भी बहुत बड़ी मिस्टरी है। राजा के जमाने जैसे बहुत मिस्टरी चल रही है उनमें यह भी एक मिस्टरी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

पकड़ा जाय तो मिस्टरी हो गयी और मारा जाय तो इन्काउन्टर।

श्री राजेन्द्र सिंह---

जो हमारे नालेज में है उसको मैंने सदन के सामने रखा है लेकिन इसमें निर्णय तो आप का होगा। मेरा कर्त्तव्य है कि जो तथ्य है, मेरे नालेज में आये हैं, सही हैं या गलत हैं वह माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं सदन के सामने रखूं। श्रीमन्, यह दोनों व्यक्ति एक बस से आ रहे थे। बस रोडवेज की थी। बस के अन्दर केवल 6 लोग थे। अगर यह गलत हो तो अपने भाषण में कह दीजियेगा कि गलत है। बस में सिर्फ 6 व्यक्ति आये थे। यह भी एक सरेन्डर था अरेस्ट नहीं था। यह लोग पकड़े गये और बहुत कुछ इस संबंध में कहा गया तो जो केमोफ्लेज हो रहा है उससे तकलीफ होती है। जो लोग पकड़े गये उन्होंने कहा कि हमारे हथियार यदुनाथ सिंह तोमर के यहां हैं। उनकी सर्च हुयी लेकिन उनके यहां पर कोई चीज नहीं मिली। लेकिन पुलिस को तो पकड़ना था इसलिये उसने श्री तोमर को पकड़ लिया। मैं कहना चाहता हूं कि हथियार कहां मिले, हथियार मिलें

नरेन्द्र के चाचा राम बहादुर सिंह के यहां। जिसके यहां हथियार नहीं मिले उसको तो पकड़ लिया गया लेकिन जिसके यहां हथियार मिले उनको आप पकड़ नहीं पाये हैं। यदुनाथ सिंह तोमर नगला राम सुन्दर के रहने वाले हैं। जय नरेन्द्र गोपाल सिंह और चक्रम सिंह कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ता हैं। श्री चक्रम सिंह तो किसान सेल जसवन्त नगर ब्लाक के अध्यक्ष हैं। यदुनाथ सिंह तोमर और श्री जय नरेन्द्र गोपाल सिंह में पार्टी बंदी चल चुकी है। 107/117 की पार्टी बंदी भी दोनों लोगों के बीच में चली थी।

श्रीमन्, नरेन्द्र सिंह के चाचा, राम बहादुर सिंह हैं, यह गड़िया जैन के रहने वाले हैं। जय नरेन्द्र गोपाल सिंह, श्री राम बहादुर सिंह के साले हैं। नरेन्द्र सिंह के चाचा जिनके यहां हथियार मिले हैं, वह दूसरी पार्टी में ब्याहे हैं, लेकिन रिश्ता दिखाया जाता है दूसरी जगह तो यह है न्याय और सत्यता। इसके साथ-साथ जो उमेश मिश्रा हैं जो पकड़े गये हैं, वह भगवतीपुर थाना करहल के रहने वाले हैं। इनकी शादी नगला सलेदही में कांग्रेस (आई) के प्रमुख कार्यकर्त्ता, श्री राम चन्द्र बौहरे के यहां हुयी है। तो उमेश मिश्रा और नरेन्द्र सिंह जो पकड़े गए हैं, उनका संबंध कांग्रेस (आई) से है लेकिन नजला लोकदल के ऊपर गिरता है। मैं यह कह रहा हूं अगर यह गलत हो तो आप अपने भाषण में कह दीजियेगा कि गलत है। श्रीमन्, एक बात और है, मेरी सूचना है कि नरेन्द्र और उमेश को जब पकड़ा गया या जो सरेन्डर हुआ है। तो यह जो सरेण्डर हुए और उन लोगों ने जहां पर अपने हथियार बताए हैं। वहीं पर मिले और यह नहीं, उन लोगों ने यह भी बताया कि यह हथियार किस प्रकार के हैं और कहां से आए, मैं उन माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह यहां पर मौजूद नहीं हैं लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि उन महाशय की दुकान इटावा के सिंधी मारकेट में है और वह सरदार जी हैं। मैं चाहता हूं कि यह डाकू समस्या सुलझनी चाहिये और बिल्कुल खत्म होनी ही चाहिए, इसलिये जो सूचना मैं सदन को दे रहा हूं उनको आप देखिए, उन पर गौर करके आगे कदम बढ़ाइये। यह आटोमेटिक गन जो प्राप्त हुयी है, यह शाहजहांपुर से यह मिस्टर सरदार जी के माध्यम से खरीदी गयी है, क्योंकि इनके कार्य इसी प्रकार के हुआ करते हैं आप यदि निष्पक्षता से देखेंगे तो सही पायेंगे।

दूसरे श्रीमन्, जनकपुर थाने में दुलारे नाम के एक लड़के का अपहरण हुआ। कोप सिंह चौहान कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ता हैं और इनके भाई देश बहादुर सिंह जो नरेन्द्र सिंह के परिवार के लोग हैं, अब आप को देखना है कि इस अपहरण में किन लोगों का हाथ है। वैसे श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि किसी दिन एक निश्चित तिथि तय कर ली जाए इन चीजों के बहस के वास्ते ताकि जनता इन चीजों को अपनी आंखों से देखें और हमारी और आपकी नीयत को समझे। क्योंकि जो आपने अपने कर्त्तव्यों में कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो हरिजनों की हत्याओं का षड़यंत्र है, वह राजनीतिक षड़यंत्र है। यह बिल्कुल गलत बात कही गयी है, इस प्रकार के वक्तव्यों से जनता को गुमराह करना है, इसलिये चाहूंगा कि इस पर एक दिन की बहस अवश्य रख दी जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। पहले यह समस्या एक दो गांव की ही थी परन्तु अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है। वैसे मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री केवल विरोधी दलों को प्रताड़ित और बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं और उसमें यह भी कहा गया कि गोरखपुर के जिलाधिकारी व बनारस के डी0 आई0 जी0 से सूचना मिली है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस चर्चा के दिन पूरी करेस्पांडेंस इस संबंध में सदन के पटल पर रख दें और यदि उसमें जो कोई चीज ऐसी हो जो गोपनीय कही जा सकती है, तो उससे संबंधित फाईल आप मंगाकर स्वयं देख लें तो सारी स्थिति आपके सामने आ जायगी। मैं तो यह कहता हूं कि आपने जो एनाउन्समेंट किये आपको कब सूचनायें मिलीं, कब एनाउन्समेंट किया, उसके बारे में क्या कोई राजाज्ञा भेजी गयी? यदि भेजी गयी तो

[श्री राजेन्द्र सिंह]
कब भेजी गयी। हम यह जानना चाहते हैं और उसी से आपकी नीयत को समझ पायेंगे। मैं मांग करता हूं कि वह जितनी भी फाइल है, अगर सदन में रखी जा सकती है तो पहले प्रिफ़रेन्स अगर गोपनीय है, पब्लिक इन्टरेस्ट की चीजें हैं तो आप अपने यहां मंगा लें, अगर आप यह समझते हैं कि देखा जा सकता है तो हम देख लेंगे।

मैं फिर कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एलीगेशन लगाया है। माढ़पुर से शुरू किया है और पूर्वी प्रदेश तक चला आया है। यहां राजनीतिक लोग हैं, आप भी हैं और मैं भी हूं। अगर आपकी नीयत वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने की है तो मैं.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--
तथ्य तो मेरे सामने हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--
तो मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी नियुक्त कर दें ताकि जो एलीगेशन आया है, उसमें तथ्य पता चल जायं, उसकी वास्तविकता प्रदेश की जनता के सामने आ जाय।

फर्जी मुठभेड़ के बारे में--मैं चाहता हूं और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बोलने से पहले कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन की कोई कमेटी बना दें इन फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने के लिये, हाईकोर्ट के जज की कमेटी बना दें। मैं जितने नाम लूंगा, मैं चाहूंगा कि आप उनमें से किसी 10 को सेलेक्ट कर लें और उन 10 नामों पर हाईकोर्ट के जज का डिसीजन आ जाना चाहिये। अगर निष्पक्षता आप चाहें।

इलाहाबाद में 3 हरिजनों की हत्या हुई। 18-12-81 को थरवई में हरिजन एनकाउन्टर किया गया। कुछ बातों पर विपक्ष और आप एक जगह पर आकर हो सकते हैं, अगर ईमानदारी से निष्ठा से आपका भी मन हो। इलाहाबाद में एक ही व्यक्ति किसी तरह से बच गया, उन्होंने समझा चारों मारे गये। आपके सामने प्रदर्शन भी हो चुका है। इसी तरह से ननकऊ में मुठभेड़ हुई, जो कि गोंडा में है, फर्जी मुठभेड़ हुई।

शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या हुई

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय तो आपके जनपद का है जहां श्री विनोद कुमार पांडे की हत्या हुई है और उसमें दो आदमियों का पकड़ा जाना दिखाया है। मुझे जो सूचना है वह यह है कि 9-12-81 को, विनोद पांडे, जो कि टी0 बी0 का पेशेन्ट था और लुधियाना में जिसका बाप मामूली चपरासीगिरी करता है, अभी 10-15 दिन पहले आया था। यह एक गांव है श्रीमन्, दरियापुर जहां उसका एक रिश्तेदार है कोई छेदीलाल शुक्ल, वह उसके यहां गया हुआ था, कोई गौना वगैरह था उसमें। बाहर से पुलिस आयी एक भुलई नाम के आदमी को पकड़ने के लिये। उस बदमाश भुलई को पकड़ने के लिये पुलिस आयी थी, वह भाग गया और पुलिस ने दो अन्य को पकड़ लिया और उनके पास बन्दूकें दिखा दीं। बन्दूकें किसी के पास नहीं थीं। बन्दूक उनके घरों से लाकर जबरदस्ती उनके पास रख दीं। कभी ऐसा भी होता है, पुलिस किसी का इस तरह से भी इनकाउन्टर करती है।

एक घटना है फतेहपुर की, एक आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गयी उस पर तीन राउण्ड गोली चलाई पर वह बच गया तो पुलिस इन्सपेक्टर ने कहा कि अब चौथा राउन्ड नहीं चलायेंगे क्योंकि अभी इसका जीवन बाकी है। कानपुर के दो आदमियों को भी पुलिस इसी तरह से पकड़ कर ले गयी। श्रीमन्, इसके बाद मैनपुरी का हत्याकाण्ड है। वहां शिवपाल सिंह नाम के एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट थे। मैं मानता हूं कि उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के आदेश हों या पुलिस प्रशासन ने खुद किया हो, ट्रांसफर्स हुए हैं। ट्रांसफर करने से जुर्म समाप्त नहीं होगा। पुलिस बराबर फर्जी इनकाउन्टर दिखाती है। शिवपाल सिंह का इनकाउण्टर किया गया।

उसके दोनों लड़कों को पुलिस ने पकड़ कर मारा। एक लड़के को पकड़ने के लिये शीलचन्द्र द्विवेदी बौखलाये हुये थे, उसको उसके रिश्तेदार के यहां से पकड़ कर लाये और उसको मार दिया। एक और इनकाउन्टर हुआ रमाकान्त पाठक का। यह भी मैनपुरी का ही लड़का है। 17–18 साल की इसकी आयु थी। हाईस्कूल फर्स्ट क्लास और इण्टरमीडिएट फर्स्ट क्लास और बी0 ए0 की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वही डी0 वाई0 एस0 पी0 जिसका कि मैंने नाम लिया है शील चन्द्र द्विवेदी वह उसकी बहन के साथ इल्लीगल रिलेशन रखना चाहता था। उस लड़की के अभिभावकों ने और घर के लड़कों ने इसका प्रतिरोध किया जिसके फलस्वरुप नौजवान लड़के को गोली का निशाना बना दिया। यह रमाकान्त पाठक नाम का लड़का एक पुलिस इन्सपेक्टर का लड़का था जिसका पिता बिहार में पुलिस का इंस-पेक्टर है। एक पुलिस कर्मचारी ने एक पुलिस कर्मचारी के लड़के की हत्या कर दी और यह हत्या सिर्फ इसलिये की कि उसकी बहन पर डी0 वाई0 एस0 पी0 की निगाह थी, उसकी कामना पूरी नहीं हो पायी और भाई को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो यह काण्ड है राजा साहब के जमाने के।

श्रीमन, पहले हमने यहां पर हा था, पिछले बजट सत्र के अन्दर, इटावा में ऊदल का इंनकाउन्टर किया गया था। मुख्य मन्त्री जी ने सी0आई0डी0 से इंक्वायरी कराई थी, मैं चाहता हूं कि वह सदन के सामने आ जायें। यह पहला मौका था उत्तर प्रदेश में जब उसके भाई को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे थे, उसने मुझे और यहां के नेताओं को सूचित किया और उसी के बाद उसका एनकान्टर किया गया था। आपकी इजाजत से यह मामला उठाया था। इसी तरह मे एक लिस्ट है 37 लोगों की। इसी तरह से एक मुस्लिम था साइकिल मिस्त्री, खानपुर, औरया का। इटावा में एक प्रदर्शनी लगी थी, इसमें वह टेम्परेरी साइकिल स्टैंड पर काम कर रहा था। पुलिस उसको पकड़ ले गयी और एनकाउन्टर कर दिया, इसका भी पता लगायें। कहते हैं बादशाह गिरोह का था। उसके होने के बावजूद भी जब तक यहां कानून का राज्य है देश और प्रदेश में, तब तक पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। प्राग गड़रिया, सरनाम सिंह, तुला राम, नाहर सिंह, इस तरह के 37 हैं, मैं लिस्ट भेज दूंगा। इनमें से किन्हीं 10 को छांट लें लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके बाद असगर आता है। फैजाबाद जिले में पुलिस उसका इनकाउन्टर करती है। सत्ता पक्ष के एक विधायक थे, माधव प्रसाद जी, वह भी उसमें गये थे, उन्होंने भी पता लगाया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, मैं चाहता हूं कि वह कह दें कि मेरा कहना गलत है या सही है. . . . .

(व्यवधान)

इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पुलिस ने एनकाउन्टर कर दिया, वह भी रूटीन वे में, लेकिन उसके बाद आर0बी0 11 नम्बर की बन्दूक दिखायी गयी। यह बन्दूक जो थी वह छतई के पुरवा में एक डकैती पड़ी थी, उसमें गांव वालों ने या पुलिस वालों ने छुड़ा ली थी, इसको पुलिस को दे दिया था और थाने में जमा बन्दूक वहां पकड़ी गयी, पुलिस दिखाती है। उसके बाद, माननीय मुख्य मन्त्री जी, मेरे क्षेत्र मे 6 इनकाउन्टर हुए थे। वह हमारे यहां के नहीं थे, बाहर के लोग मारे गये थे। मैंने तीन–तीन रिमाइ-ण्डर भेजे और मांग की कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए लेकिन आज तक मुझे उससे अवगत नहीं कराया। वैसे इंक्वायरी मेरे प्रजेंस में होनी चाहिए मुझे सबूत देने का मौका मिलना चाहिए था क्योंकि मैंने चैलेंज किया था। मुरादाबाद, मथुरा से लोगों को ला कर मारा गया था। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि सुरेन्द्र सिंह जी चौहान, मा0 सदस्य हैं, उनके क्षेत्र में भी कुछ एनकाउन्टर हुए थे और मैंने कहा था कि उनसे पूछ लीजिए कि सही है या गलत है। अभी रीसेन्टली 8–9 तारीख को नरेन्द्र सिंह, जो अलीगढ़ के अन्दर एल0एल0बी0 फाइनल का छात्र था, वह एक ग्रामीण चेतना का, उसने एक संघ बना रखा था और उसका वह सेक्रेटरी था। एक दूसरा आदमी था समन्दर सिंह जो

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इटावा का रहने वाला था, समन्दर सिंह की दुश्मनी थी वर्तमान डी0एस0पी0 से, जो अभी आए हैं, उनका एक मुखबिर था, पालतू कुत्ता था महेन्दर सिंह, उसकी और समन्दर सिंह की दुश्मनी थी। अलीगढ़ के एस0पी0 ने टैक्सी कार भेजकर एक एस0आई0 और कांस्टेबल को भेजकर महेन्दर सिंह को करनैल से और समन्दर सिंह को पकड़कर मंगाया और इस नरेन्द्र सिंह और एक और को चारों का इनकाउन्टर कर दिया गया। कहीं पर भी मुख्य मन्त्री जी न्याय के लिए तैयार हों, किसी भी तरह से इंक्वायरी कराने की बात जैसा आप उचित समझें लेकिन पूर्ण रूप से रक्षा होनी चाहिए।

इमरजेंसी के जमाने में जैसे नसबन्दी पर जोर दिया जा रहा था उसका रूप अब आपने गर्द बन्दी दे दिया है, एनकाउन्टर। यह मामूली चीज नहीं है। आप इंक्वायरी करायें तो सही, किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचिए। मा0 मुख्य मन्त्री जी भूतपूर्व मन्त्री, श्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार से एक पत्र लिखा था 20-6-81 को, मुझे भी उन्होंने पत्र लिखा था। मैंने उसी सन्दर्भ में आपको पत्र लिखा था तो इतना तो आपस की कटेसी होनी चाहिए कि आपके पद के समक्ष एक व्यक्ति आपको पत्र लिखे जून, 81 में, उसका जवाब तो कम से कम मिलना चाहिए। हो सकता है कि राजाओं का तरीका कोई दूसरा हो, हम उसके जानकार नहीं हैं लेकिन आप इसकी सत्यता को भी उजागर नहीं कर पाए कि वह सही है या नहीं।

इसी तरह से एक मामला तरहा सुजान यादव का है। इसको भी आप देखिएगा। मैं मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से इस सदन का सूचित करना चाहता हूं कि ऊदल के टेलीग्राम के बाद जब भी पुलिस कहीं किसी को पकड़कर ले जाती है, अक्सर प्रति दिन मेरे पास भी एक-दो टेलीग्राम इस तरह के आते हैं, उसकी जानकारी आपके पास भेज देता हूं।

मैंने अनेकों पत्र आपके पास भेज दिए हैं। उनमें से एक पत्र मैं आपके पास भेज दूंगा जो इस प्रकार है "पुलिस हैज अरेस्टेड माई ब्रदर रामलखन सिंह फ्राम माई हाउस शोइंग इंकाउन्टर एण्ड फाल्स इम्पलिकेशन।" अक्सर यही सैन्टेंस आता है हर जगह से। मैंने भी एक पत्र आपके पास भेजा है। एक-दो चीज और है। इसे मैं आपके पास भेज दूंगा और उसका जवाब भी आपसे चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आपने और आपकी सरकार ने क्या निर्देश किया? अब मैं आता हूं इनकाउन्टर और डकैती समस्या के ऊपर। मुख्य मन्त्री जी, जिस रफ्तार से पुलिस ने जो रवैया अपनाए हुए है, जनता का विश्वास उस पुलिस पर से हटता जा रहा है। अब छोटा से छोटा अपराधी भी पुलिस के सामने आकर सरेंडर नहीं करता। वह कोर्ट में जाना पसन्द करता है। आज पुलिस की छवि बहुत बिगड़ गई है जिसको सुधारने की जरूरत है। मैं पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम नहीं करना चाहता। पुलिस में सब बुरे ही बुरे नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों ने छवि खराब कर रखी है जिससे कोई सरेंडर करने के लिए पुलिस के पास आना नहीं चाहता। क्योंकि वह समझता है कि कम से कम इंकाउन्टर में तो नहीं दिखलाया जाएगा और इस तरह से जान तो बची रहेगी।

एक मिसाल मैं और देना चाहता हूं। सन् 54 में मान सिंह डाकू के साथ इटावा की पुलिस का इनकाउन्टर हुआ। उस समय तहसीलदार सिंह एक बड़ा ही दुर्दान्त डाकू माना जाता था, वह घायल होकर पुलिस के हाथ में पड़ गया। अगर पुलिस चाहती और उस समय की सरकार का निर्देश होता तो तहसीलदार सिंह को गोली से मार डालती लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहां थाने पर दौलतराम नाम का एक सिपाही था जिसने कहा कि अगर कोई पुलिस के शरण में आ जाय तो उसका कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा करे और इस तरह से उसे गोली नहीं मारी गयी। उसी डाकू तहसीलदार सिंह ने बाद में अनेकों डाकुओं से सरेंडर कराने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप किसी तरह से पुलिस

की प्रतिष्ठा को पुनः पुरस्थापित करने की कृपा करें। और पुनः यह प्रयास करें कि डकैत में इनकाउन्टर की भावना को रोकने का काम करें तो सही रूप में यह समस्या बहुत कुछ सुलझाई जा सकती है।

अब मैं पुलिस की बाहादुरी से सम्बन्धित भी एक घटना बतला देना चाहता हूं। यह बात सही है कि जहां बहुत से इनकाउन्टर की बात होती रही है, निश्चित रूप से मेरी जानकारी है कि पुलिस के कई कांस्टेबिल्स और सब इंसपेक्टर मारे गये हैं। उनके भी बालबच्चे हैं। उनको चाहें आप कितना भी पैसे दे दें लेकिन परिवार पैसे से नहीं बल्कि प्यार से चलता है। एक इंसपेक्टर, राजपाल सिंह ने बहुत बहादुरी की जो इनकाउन्टर में मार डाला गया। कुछ दिन वह मेरे थाने में भी रहा था। पिछले सत्र के समय भी मैंने यह घटना सदन में बतलाई थी और सरकार से इसका जवाब मांगा था लेकिन उस समय हम लोग बाहर थे। अब मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं 6 तारीख को मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक ने एटा के पुलिस अधीक्षक को यह सूचना भेजी थी कि छविराम काली नदी क्रास करके इटावा में पहुंच चुका है। इटावा का एस0पी0 6 तारीख को कोई कार्यवाही नहीं करता है। शाम को सराय एहद में जहां पुलिस की चौकी मौजूद है, एक जैन के यहां छविराम पांच लाख की डकैती करता है। हर जगह वायरलेस स्टेशन मौजूद हैं। कोई पुलिस मदद नहीं पहुंचती। यही बाहदुर इंसपेक्टर तीन सिपाही लेकर जाता है। पता लगता है कि छविराम पास के गांव में रुका हुआ है। 7 तारीख को गोली चलती है। दोनों में आदान प्रदान होता है। पुलिस तीन डकैतों को मार देती है। लेकिन एम्यूनिशन समाप्त हो जाती है। हमारे 9 बहादुर पुलिस के कर्मचारी/अधिकारी मारे जाते हैं। आपका डी0एस0पी0 थाने पर बैठा रहता है। आपके पास तो सब कुछ है। क्यों नहीं पहुंचा ? मैं जानना चाहता हूं इस सदन के अन्दर कि डी0एस0पी0 के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया ? राजपाल इनकाउन्टर कर रहा है और आपके डी0एस0पी0 बैठा है। दूसरी तरफ छविराम क्या करता है। अपने तीन साथी जो मारे गये उनका दाह संस्कार दो घंटे के अन्दर वहीं कर देता है और हमारे अधिकारी और पुलिस के जवानों को लेने के लिए आप की पुलिस की कार रात 9 बजे तक नहीं पहुंची डर के कारण। ज्यादा शर्म की बात है, मुख्य मन्त्री जी।

इस प्रदेश का एडिशनल आई0जी0 और हमारे गृह मन्त्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी इटावा की पुलिस लाइन्स में प्रेस कांफ्रेंस करके चले आते है और स्थल तक नहीं जाते क्योंकि मालूम है कि छविराम वहीं रूका है। यह पुलिस की बहादुरी के कारनामे हैं। मैं मांग करता हूं क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने लाशें क्यों नहीं उठयीं टाइम से। दूसरे दिन हाईएस्ट पुलिस आफिसर पहुंचे तो क्यों उस स्पाट पर नहीं गये जहां 9 आदमी मारे गये ? यह बहादुरी के कारनामे हैं जो पुलिस कर रही है।

श्रीमन, पुलिस की बहादुरी देखिए। सौ साल में इंकाउन्टर में इतने लोग नहीं मारे गये होंगे जितने डेढ़ साल में मारे गये हैं। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए। फाल्स इनकाउन्टर हैं। इसका क्या कारण है। आपके उच्च अधिकारियों का वायरलेस जाता है कि हमें रिजल्ट चाहिए। जैसे नसबन्दी केसेज किए थे वैसे ही इनकाउन्टर के केसेज दीजिए। थानों में चार्ज लेने के लिए कोटा फिक्स है कि कितने इनकाउन्टर करोगे। प्रशासन को आखिर क्या हो गया है।

श्रीमन, हमारे सामने हत्याओं, सामूहिक हत्याओं की बात भी आती है। इनके बारे में भी कुछ बता दूं। बेहमई में 21, खेड़िया--4, जयमई--11, दलेरपुर--3, फजिलपुर--9, उरावर--8, जिनमें एक इंसपेक्टर कांस्टेबिल भी था। कमरपुर--11, फकीरपुर--12, फांसी--5, साढूपुर--10, शाहजहांपुर--10, इटावा--5, उरैय्या-बसीपुर--11। मान्यवर, सेंचुरी पूरी कर दी है। केवल जनपद मैनपुरी के अन्दर सेंचुरी पूरी कर चुके हैं।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि पुलिस महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करती है। बागपत काण्ड आपके सामने है। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और मुख्य मन्त्री जी, वह बंट भी चुकी है। दोषी पाए गये व्यक्तियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है, यह आप सदन में बतायें। श्रीमन्, इसी तरह का एक केस अभी लखनऊ में हुआ है—उसी तरह का शर्मनाक केस जैसाकि बागपत में हुआ था। माननीय गृह मन्त्री के गृह जनपद में पाट नाला, थाना चौक के अन्तर्गत एक सरोजदेवी महिला जो कि 10 वर्षीय बच्चे के साथ एक कमरे में रह रही थी, एक शौकीन मनचले इंसपेक्टर महोदय ने एक बदमाश के साथ. . . .

श्री अध्यक्ष—

कितना समय आप और लेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, एक घंटा ।

श्री अध्यक्ष—

फिर आज हम और काम कर लें और आप कल बोल लें। वैसे अभी पांच मिनट है यदि पूरा करना चाहें तो कर लें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, आज पूरा नहीं हो पायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

[समय 4 बजकर 55 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 की पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री रियासत हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरीशंकर भैय्या, श्री राम गोविन्द तथा श्री अकबर हुसैन की सूचना जो कि प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से प्रदेश व्यापी हड़ताल एवं किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, स्वीकार की गयी है। इसपर पर मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी, कब आप वक्तव्य दे देंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—)

परसों के लिए रख दें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, परसों वक्तव्य इस पर हो जायगा। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुयीं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कल क्या है। क्या कल बन्द है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बताता हूं कि कल क्या है। अब हम उठते हैं कल हम 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
18 जनवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

क्रम-सं0	विकास खण्ड		पवन ग्रामोद्योग दातागंज		सहसवान ग्राम विकास संस्थान बिल्सी		कृषि यन्त्र निर्माण औद्योगिक उत्पादन सं0 समिति आंवला	
			डनलप	तांगा	डनलप	तांगा	डनलप	तांगा
1	जगत	..	4	9	—	—	—	—
2	सालारपुर	..	2	4	26	2	—	—
3	बिसौली	..	—	—	—	—	21	—
4	वजीरगंज	..	—	—	—	—	138	5
5	इस्लामनगर	..	—	—	1	—	—	—
6	आसफपुर	..	—	—	—	—	13	—
7	सहसवान	..	—	—	157	—	—	—
8	अम्बियापुर	..	—	—	4	—	—	—
9	दहगवां	..	—	—	6	—	—	—
10	गुन्नौर	..	—	—	2	—	—	—
11	समरेड़	..	—	—	—	—	4	2
	योग	..	6	13	196	2	176	7

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

बीज भण्डार का नाम	प्रारम्भिक अवशेष 30-6-80	प्राप्त स्टाक 7/80 से 1/81 तक	वितरण 7/80 से 31-1-81
	यूरिया		
जलालपुर	59-834-000	91-468-700	36- 83-000
गोसपुर	10-011-435	58-292-000	78-141-52
नेवादा	60-510-710	146-779-484	192-824-710
रफीगंज	66-135-310	49-919-790	113-710-115
योग	206-571-485	346-459-974	520-759-345
	डी0ए0पी0		
जलालपुर	64-432-000	23-000-000	59-740-000
गोसपुर	20-347-990	28-750-000	42-363-040
नेवादा	51-564-997	62-000-000	101-464-325
रफीगंज	63-301-000	5-000-000	60-476-000
योग	199-645-987	118-750-000	264-043-365
	एम0ओ0पी0		
जलालपुर	14-335-000	36-000-000	39-585-000
गोसपुर	13-729-1000	15-750-000	27-009-000
नेवादा	6-071-500	2-000-000	13-512-000
रफीगंज	15-314-000	7-000-000	11-745-000
	जिंक सल्फेट		
नेवादा	2-552-530	..	1-901-430
रफीगंज	..	0-432-900	0-160-000
योग	2-552-530	0-432-900	2-061-430

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर।)

रूप-पत्र

वर्ष 1980-81 में पेयजल कूपों का विवरण जिनमें सफाई व मरम्मत कार्य करवाया गया, विकास खंड बड़ोखर खुर्द (तहसील व जिला बाँदा)।

क्रम संख्या	न्याय पंचायत का नाम	गांव सभा का नाम	संख्या, सूखे कूपों की जिनमें सफाई व मरम्मत कार्य कराया गया
1	2	3	4
1	बड़ोखर खुर्द ..	बड़ोखर खुर्द	4
		पल्हरी ..	2
		लड़ाका का पुरवा ..	3
		भवानी पुरवा ..	3
		गुरैह ..	6
2	तिन्दवारा ..	तिन्दवारा ..	7
		जमुनी पुरवा ..	4
		गन्छा ..	5
		हटैटी पुरवा ..	2
		पडुई ..	2
3	करवई ..	करवई ..	1
4	गोखरहो	गोखरहो	3
		पचनेहो	7
		महुई	4
		बरगहनी	2
		लामा	2
5	करवई	अरवई	1
		छनेहरा	7
		कतरावल	4
		कुरौली	4
		डिगवाहो	5
		मरखरी	2
		कुलकुम्हारो ..	3
		रेउना ..	1
		हथौवरा ..	3
		विलवई	3
		मौदहा	3

1	2	3	4
6	जारो ..	जोरही ..	6
		चिल्ली ..	5
		महोखर ..	2
		ददरिया ..	3
		सेमुरा ..	1
		दाहा ..	3
		बड़ेहा ..	1
		फलपुरवा ..	3
		जारो ..	5
7	लुकतरा ..	लुकतरा ..	3
		कनवारा ..	4
		चहितारा ..	4
		चकचकगन ..	3
		चटगन ..	1
		मवई बुजुर्ग ..	3
		पिपरी ..	2
		छेहरांव ..	6
		पथरी ..	2
		पचुल्ला ..	1
8	मोहनपुरवा ..	मोहन पुरवा ..	3
		अछरौड ..	2
		मरोली ..	3
		उजरेहटा ..	1
		भूरागढ़ ..	3
		त्रिवेनी ..	1
		गोयरमुगली ..	3
		खैराडा ..	1
9	मटोथ रूरल ..	मटोथ रूरल ..	8
		बसहरी ..	2
		दुरेडी ..	3
		इटवा ..	2
		जखौरा ..	3
		चमरहा ..	3
		करछा ..	1

विधान सभा बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विसन्डा विकास खंड के ग्रामों की सूची व पेय जलकूपों के सफाई का विवरण।

क्रम संख्या	न्याय पंचायतों के नाम	ग्रामों के नाम	कूपों की संख्या
1	विसन्डा ..	विसन्डा ..	25
		कोनों ..	1
		पवई ..	9
		कैरो ..	12
		लौली टोकामऊ ..	4
		उमरेहड़ा ..	1
		धूरो ..	3
2	चन्द्रायल ..	पुनाहुर ..	5
		कुसुमा ..	5
		खटौरा ..	2
		पिन्डखर ..	3
		चन्द्रायल ..	1
3	चौसड़ ..	सेन्दुरा ..	5
		नादानमऊ ..	2
		लमेहटा ..	3
		गड़ांव ..	2
4	कौरहो ..	पारा ..	2
		डमनी ..	1
		बछौहा ..	3
		अमवा ..	2
		कौरहो ..	7

विधान सभा बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बबेरू विकास खंड के ग्रामों की सूची व पेय-जल कूपों की सफाई का विवरण—

क्रम सं0	बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का नाम	कूपों में सफाई किये गये गांवों का नाम	कूपों की सफाई की गई संख्या
1	बड़ा गांव	बड़ा गांव	3
2	अलिहा	अलिहा	2
3	मिलाथू	मिलाथू	3
4	निलाथू	—	—
5	शिव	शिव	1
6	पारा बिहारी	पारा बिहारी	2
7	पैष्टा	पैष्टा	1
8	थनसौल	—	—
9	पल्हरी	पल्हरी	2
10	कोरारी	कोरारी	1
11	बैनी मवई	—	—
12	मथई	—	—

रूप-पत्र

वर्ष 1980-81 में पेयजल कूपों का विवरण जिनमें सफाई व मरम्मत कार्य करवाया गया, विकास खंड महुआ तहसील नरैनी जनपद बांदा

क्रम-संख्या	न्याय पंचायत का नाम	गांव सभा का नाम	कूपों की संख्या
1	सुरहण्ड	महुआ	8
		नखनी	3
		बरसड़ा बुजुर्ग	4
		वनसंखा	3
		सोता स्योढ़ा	7
		बरसड़ा खुर्द	1
		खुरहण्ड	2
		करगेहना	3
		इटरा	2
		मकरी	1
		छिवांव	2
		बलखेड़ा	2
2	अर्जुनाह	अर्जीतपुर	2
		पसौरा	3
		अर्जुनाह	5
		मुर्गुसा	1
		तेरा	2
		मसुरी	2
		शिवहद	2
3	बिलगांव	बिलगांव	7
		बहौरा पुरवा	2
		नमरैहो	2
		सहेवा	6
		धुसैड़ा	2
		निनमतपुरवा	2
		नाई	4
		दुरईयाको	5
		विगहना	3
		तमुली	4
4	बड़ोखर बुजुर्ग	बड़ोखर बुजुर्ग	4
		मनोपुर	3
		माधोपुर	1
		गोविन्दपुर	1

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

तालिका–1

नियमित पुलिस द्वारा–आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये मामले।

क्रमांक	नाम पता	कहां-कहां पकड़े गये	कृत कार्यवाही का विवरण
1–(1)	मोहन लाल बोहरा पुत्र जगदीश लाल जाखन देवी अल्मोड़ा।	जाखन देवी अल्मोड़ा	विवेचना थानाध्यक्ष अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है। दोनों अभियुक्त जमानत पर हैं।
(2)	रतन कुमार धवन पुत्र श्री फकीर चन्द अब्दुल्ला बिल्डिंग, अल्मोड़ा।		
2–(1)	ललित मोहन अग्रवाल पुत्र श्याम लाल अग्रवाल जरूरी बाजार, रानीखेत।	फतरोजखान थाना क्षेत्र रानीखेत	विवेचना थानाध्यक्ष रानीखेत द्वारा की जा रही है। अभियुक्त जमानत पर है।
3–(1)	दुर्गासिंह (ड्राइवर जीप सं0– यू0 टी0 एफ0 3069) पुत्र श्री कुंवर सिंह डीनापाही जिला पिथौरागढ़।	कोसीपुल पर थाना थाना क्षेत्र अल्मोड़ा	इस मामले में आरोप पत्र दिनांक 2–1–82 को प्रेषित किया गया। दोनों अभियुक्त जमानत पर हैं।
(2)	रमेश चन्द्र जोशी, पुत्र मोतीराम, मल्ला कत्यूर, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा।		

टिप्पणी—उप पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, अल्मोड़ा द्वारा सूचित किया गया है कि क्रमांक 1 तथा 2 पर अंकित मामलों में चार्जशीट इस मास में न्यायालय में प्रेषित कर दी जायेगी।

तालिका–2

2—राजस्व पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये मामले।

क्रमांक	नाम पता	कहां-कहां-पकड़े गये	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1–(1)	अवनी कुमार जोशी पुत्र बद्री प्रसाद जोशी, गर्ग मेडिकल स्टोर, रानीखेत।	चौखुटिया	अनुसंधान किया गया, जुर्म साबित न होने से अंतिम रिपोर्ट लगाई गई और मुकदमाती माल न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रानीखेत के आदेश दिनांक 18–9–1981 के अन्तर्गत वापस किया गया।
2—	बहादुर सिंह पुत्र लाल सिंह, ग्राम बधाण चिलियानौला, रानीखेत।	बधाण चिलियानौला	अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट कायम कर प्रेषित की गई।
2–(1)	भूपाल सिंह रावत पुत्र बची सिंह रावत, स्थान रावल-गांव, गंगोलीघाट, जिला पिथौरागढ़।	धौलाछीना तहसील, अल्मोड़ा	
(2)	प्रकाश चन्द्र, मोहल्ला साबुनगोदाम मेरठ।		
(3)	शेख चन्द्र जोशी पुत्र रामदत्त जोशी, मोहल्ला पातलीगढ़, अल्मोड़ा।		इस मामले में चारों अभियुक्त जमानत पर रिहा हैं। विवेचना समाप्त हो चुकी है। आबकारी निरीक्षक, अल्मोड़ा से जांच आख्या अपेक्षित है। उनसे जांच अख्या प्राप्त होते ही चार्ज शीट प्रेषित की जायेगी।
(4)	बिरान सिंह पुत्र मदन सिंह सुनीला, स्यातीधार, अल्मोड़ा।		
सभी	द्वारा ठेका देशी शराब, अल्मोड़ा		

तालिका–3]

माह जनवरी, 1981 से अगस्त, 1981 तक जनपद अल्मोड़ा में आबकारी विभाग द्वारा पकड़े गये अवैध शराब बिक्रेताओं के विषय में वांछित विवरण पत्र ।

क्रमांक	नाम–पता	कहां कहां पकड़े गये	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1	खुशाल सिंह पुत्र बिशन सिंह, ग्राम मनखाली (रियनी) जिला अल्मोड़ा।	मनखाली बाजार	चार्जशीट न्यायालय को भेज दी गई है।
2	नन्दकिशोर गर्ग पुत्र राधाकिशन गर्ग, सदर बाजार रानीखेत, अल्मोड़ा।	रानीखेत	चार्जशीट न्यायालय को भेज दी गई।
3	हरक सिंह पुत्र जयसिंह, लालकुर्ती थाना रानीखेत, अल्मोड़ा।	लालकुर्ती, अल्मोड़ा	विवेचना जारी है शीघ्र ही चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत कर दी जायेगी।
4	भगवत प्रसाद गोयल पुत्र शरमराज, गोयल, लालकुर्ती थाना रानीखेत, जिला अल्मोड़ा।	सदर बाजार रानीखेत	अभियुक्त का माल परीक्षण हेतु रसायन परीक्षण हेतु आगरा को भेजा गया है। परीक्षण प्राप्त होते ही चार्जशीट दी जायेगी।
5	भगवत सिंह पुत्र खीम सिंह, ग्राम नटोला, पट्टी, खरही, जिला अल्मोड़ा।	झिरौली मैगनासाइट के गेट पर स्थित दुकान में।	चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।
6	दीप नारायण सिंह पुत्र नैन सिंह (दुकानदार ताकुला बाजार) ताकुला बाजार पट्टी अनखोली, जिला अल्मोड़ा।	ताकुला बाजार, दुकानदार कपड़ा	चार्जशीट प्रस्तुत की जा रही है।
7	हरीशचन्द जोशी पुत्र गोपालदास मोरनौला चौक जोशी (दुकान दार मोरनौला) हाल दुकानदार मोरनौला खास नया सिगरौली पट्टी तल्ली सालम तहसील व जिला अल्मोड़ा।	मोरनौला चौक बाजार	चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।
8	जानकी नन्दन जोशी पुत्र चन्ददत्त जोशी (दुकानदार मोरनौला) ग्राम नया सिगरौली पट्टी तहसील सालम तहसील व जिला अल्मोड़ा।	मोरनौला चौक बाजार	न्यायालय को चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है।
9	बचीसिंह पुत्र मदन सिंह हाल दुकानदार लमगड़ा, लमगड़ा बाजार पट्टी मो0 लखनपुर तहसील व जिला अल्मोड़ा।	लमगड़ा बाजार	अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी जा चुकी है।

1	2	3	4
10	किशोर कुमार नजौन पुत्र स्व0 दर्शन लाल हाल दुकानदार अल्मोड़ा बाजार मुहल्ला कसुन जाखनदेवी, अल्मोड़ा।	अल्मोड़ा	अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी जा चुकी है।
11	गिरीश चन्द्र कान्डपाल पुत्र किशन दत्त कान्डपाल हाल दुकानदार, कठपुड़िया, ग्राम बेमसर, पट्टी म0 तिखुन जिला अल्मोड़ा।	कठपुतिया	अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय को चार्जशीट भेजी जा चुकी है।
12	मोहन चन्द्र बाराकोटी पुत्र त्रिलोचन, बाराकोटी, दुकानदार एन0 टी0 डी0 अल्मोड़ा नरायनतेवाडी देवाल, अल्मोड़ा	एन0 टी0 डी0 अल्मोड़ा	अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी जा चुकी है।
13	बिशुनसिंह पुत्र कुशल सिंह; दुकानदार आई0 बी0 आई0 अल्मोड़ा ग्राम फलसीमा पट्टी खासपर्जा, अल्मोड़ा।	आई0 टी0 आई0 अल्मोड़ा के पास	अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय को भेजी जा चकी है।
14	गोविन्द सिंह पुत्र रामसिंह दुकानदार मंगलता, ग्राम मंगलता पट्टी, रीठागढ़, पटवारी क्षेत्र लिगुड़ता, जिला अल्मोड़ा।	मंगलता बाजार दुकानदार	अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय को भेजी जा चुकी है।
15	सुनील साह पुत्र रतनलाल साह देवलीखेत, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा।	अनुज्ञापी एफ0 एल0 5 अंग्रेजी शराब बागेश्वर, अल्मोड़ा	अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय को भेजी जा चुकी है।
16	लक्ष्मीदत्त जोशी पुत्र नन्दा बल्लभ जोशी, हाल दुकानदार छोटी काशी अल्मोड़ा ग्राम विमला पट्टी मल्ला तिखुन, जिला अल्मोड़ा।	छोटी कोशी, दुकानदार किराना जिला अल्मोड़ा	चार्जशीट भेज दी गई।
17	जोशीसिंह पुत्र उमेद सिंह, दुकानदार हवालबाग ग्राम हवाल बाग पट्टी त0 स्युनरा जिला अल्मोड़ा।	हवालबाग दुकान किराना जिला अल्मोड़ा	चार्जशीट न्यायालय को भेजी गई। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 150 अर्थ दण्ड हुआ।
18	बचीसिंह पुत्र प्रेम सिंह दुकानदार बाड़ेछीना, ग्राम सुपई, पट्टी चिराला, जिला अल्मोड़ा।	छीनाबाड़े दुकानदार किराना	तफतीस जारी है। शीघ्र ही चार्जशीट भेजी जायेगी।
19	मुहम्मद कंवर खां पुत्र मुहम्मद उमर खां, हाल दुकानदार पुनवानौला अल्मोड़ा, मुहल्ला नियाजगंज, अल्मोड़ा।	हाल दुकानदार पुनवानौला	विवेचना हो रही है शीघ्र ही चार्जशीट न्यायालय को भेजी जावेंगी।

1	2	3	4
20—धनबहादुर भाना विक्रेता एफ0 एल-5 दुकान नं 01 रानीखेत सेल्समैन जगत सिंह विष्ट अनुज्ञापी एफ0 एल0 5 दुकान नं0 1 रानीखेत, अल्मोड़ा ।	एफ0-एल0-5 दूकान नं0 1 रानीखेत जिला अल्मोड़ा	विवेचना जारी है। शीघ्र ही चार्जशीट न्यायालय को भेजी जावेगी	
21—सुरेन्द्रलाल साह पुत्र स्व0 रतन लाल साह, अनुज्ञापी एफ0 एल0-5 दुकान नं0 3 रानीखेत देवलीखेत, रानीखेत	एफ0एल0 5 दुकान नं0 3-सदर बाजार रानीखेत अल्मोड़ा ।	विवेचना जारी है। शीघ्र ही चार्जशीट कोर्ट भेजी दी जावेगी।	
22—उपरोक्त	देवलीखेत रानीखेत अल्मोड़ा।	विवेचना जारी है। शीघ्र ही चार्जशीट भेजी जावेगी।	

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बरहज बाजार, देवरिया के अन्तर्गत उप मण्डी स्थल सलेमपुर भाटपाररानी एवं देवरिया में वर्ष 1980–81 से लेकर नवम्बर, 81 तक व्यापारियों पर, बकाया धनराशि एवं जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल की जा रही धनराशि का विवरण :—

उप मण्डीस्थल का नाम	क्र0 सं0 फर्म का नाम	30–11–81को कुल बकाया धनराशि (रु0 में)	जिलाधिकारी के माध्यम से वसूल की जा रही (धनराशि रुपये में)
1	2	3	4	5
1–सलेमपुर	1–कालीप्रसाद वीरेन्द्र कुमार	1,620.16	..
	2–फूड ग्रेन एजेन्सी	5,877.45	..
	योग ..	7,497.61	
2–भाटपाररानी	1–संगमराम शारदाप्रसाद	50,906.35	50,906,35
	2–कन्हैयालाल जायसवाल	27,868.92	18,216,00
	3–अशोक कुमार संजय कुमार	13,672.50	11,567.50
	4–जैसवाल ग्रेन एजेन्सी	20,881.52	16,752.85
	5–विभूति प्रसाद जैसवाल	18,851.00	18,551.00
	6–गुलाब चन्द्र राजेश कुमार	9,930.45	8,247.80
	7–प्रभुशंकर गुप्ता	11,564.00	6,764.00
	8–जग्गीलाल गुप्ता	1,572.00	
	योग	1,55,246.74	1,29,005.50
	पृथ्वी चन्द्र कन्हैयालाल—इसफर्म पर रु0 70,000 की बकाया की सूचना संदिग्ध ह जिसको पुष्टि करायी जा रही है।		
3–देवरिया	1–मन्नीराम रामपतराम	1,06,115.00	1,06,115.00
	2–रामवचन शिववचन	47,713.63	..
	3–लक्ष्मी प्रसाद आयल ऐंड दाल मिल।	9,288.22	..
	4–मंगल दाल एण्ड फ्लावर मिल।	2,382.00	2,382.00
	5–राम औतार कोडिया	2,500.00	..
	6–सत्यनरायन रामनरायन	5,907.00	..
	योग ..	1,73,903.85	1,08,497.00
	कुल योग ..	3,36,648.20	2,37,502.50

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

कार्यालय अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, इलाहाबाद–प्राइमरी पाठशाला भवनों/जूनियर हाई स्कूल भवनों की स्थिति माह जनवरी, 1982

क्रम सं0	वर्ष	स्वीकृत प्रा0 पा0 भवन/जूनियर हाई स्कूल भवनों का विवरण		पूर्ण भवनों का का विवरण	प्रगति में	अपूर्ण भवनों का विवरण	विशेष विवरण
1	1980–81	खुदायपुर भवन	प्रा0 पा0	—	—		सीमेन्ट के अभाव के के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।
2	,,	ऊंचाडीह	,,	—	—		,,
3	,,	घरवारा	,,	—	—		,,
4	,,	कपारी	,,	—	—		,,
5	,,	गधियावाँ	,,	—	—		,,
6	,,	अजवइया	,,	—	—		,,
7	,,	नेवादा जंघई	,,	—	—		,,
8	,,	शेखपुर	,,	—	—		,,
9	,,	करन	,,	—	—		,,
10	,,	कोसपरः	,,	—	—		,,
11	,,	बीबीपुर	,,	—	—		,,
12	,,	बमनकटी	,,	—	—		,,
13	,,	अजरौली	,,	—	—		,,
14	,,	रुकुनपुर	,,	—	—		,,
15	,,	उजहिनी गोदाम	,,	—	—		,,
16	,,	लोटाढ़	,,	—	—		,,

17	,,	कुरहरा (जू0हा0 भवन)	..	—		—	,,
18	,,	टीकरडीह	..	—	—	—	,,
19	,,	करारी	..	—	—	—	,,
20	,,	लातरगंज	..	—	—	—	,,
21	1981–82	निश्चिन्तपुर (प्रा0पा0 भवन)	..	—	—	—	,,
22	,,	बदौआकला	..	—	—	—	,,
23	,,	चतुर्भुजपुर	..	—	—	—	,,
24	,,	बादलपुर	..	—	—	—	,,
25	,,	चन्दनहा	..	—	—	—	,,
26	,,	पूरेडीह	..	—	—	—	,,
27	,,	यूसुफपुर	..	—	—	—	,,
28	,,	दहियांवा	..	—	—	—	,,
29	,,	लोहारी	..	—	—	—	,,
30	,,	तिसेन	..	—	—	—	,,
31	,,	लाला की सरैयां	..	—	—	—	,,
32	,,	तलसीपुर (भावापुर नयी आबादी)	..	—	—	—	,,
33	,,	छडगहा (जू0हा0 स्कूल)	..	—	—	—	,,
34	,,	अमिलियापाल	..	—	—	—	,,
35	,,	सेवढा	..	—	—	—	,,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, इलाहाबाद

क्र0सं0	वर्ष	स्वीकृति प्रा0 पा0 भवन/ जूनियर हाई स्कूल भवनों का विवरण	पूर्ण भवनों का विवरण	प्रगति पर चल रहे भवनों का विवरण	अपूर्ण भवनों का विवरण	अन्य विवरण
1	1979–80	मसुन्दर ..	पूर्ण	—	—	—
2	,,	खमनिया ..	,,	—	—	—
3	,,	सिकन्दरपुर बजहा	,,	—	—	—
4	,,	बदलेपुर नन्दसेनी ..	,,	—	—	—
5	,,	सिरसा ..	,,	—	—	—
6	,,	कला नेवादा ..	,,	—	—	—
7	,,	अतरसुइया ..	,,	—	—	—
8	,,	खटांगी ..	—	—	स्थल विवादग्रस्त है इसलिए कार्य नहीं होगा	
9	,,	असाढ़ा ..	—	—	—	—
10	,,	वाकरगंज ..	,,	कार्य प्रगित पर है	—	—
11	,,	लोहारी ..	पूर्ण	—	—	—
12	,,	शेरावां ..	,,	कार्य प्रगति पर है	—	—
13	,,	गौरा ..	,,	—	—	—
14	,,	नेवढ़िया ..	पूर्ण	—	—	—
15	,,	हरिहरपुर ..	,,	—	—	—
16	,,	रामनाथपुर ..	—	कार्य प्रगति पर है	—	—
17	,,	हंडिया ..	पूर्ण	—	—	—
18	,,	किरांव ..	,,	—	—	—
19	,,	मोहम्मदपुर ..	पूर्ण	—	—	—
20	,,	मावापुर ..	,,	—	—	—
21	,,	पैसा (जू0हा0स्कूल) ..	,,	—	—	—
22	,,	दादपुर (जू0 हा0 स्कूल)	,,	—	—	—
23	,,	मसूराबाद (जू0हा0स्कूल)	,,	—	—	—

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

प्रश्न	उत्तर
33—क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1979-80 में फैजाबाद जनपद को हरिजन कालोनीज बनाने के लिए कितना धन मिला था।	सन् 1979–80 में फैजाबाद जनपद को हरिजन कालोनीज बनाने के लिए हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम से 54000 रु0 तथा भूमिहीन श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय भवन निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग से 11,26,400 रु0 राज्य सहायता अनुदान के रूप में मिला था।
कितनी कालोनीज कहां-कहां किस जगह बनी है ?	वर्ष 1979–80 में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम से प्राप्त अनुदान के विपरीत एक भी आवास नहीं बना। वर्ष 1979–80 के बजाय वर्ष 1980–81 में इस स्वीकृति के विपरीत 13 कालोनीज विकास खण्ड मसौधा, सोहावल, पुराबाजार भियांव, बसखारी, बीकापुर, हरिग्टनगंज एवं अमानीगंज में 13 जगहों पर इनमें 24 भवन बने हैं जबकि आवंटन 54,000 रु0 54 भवनों के लिए था।
	वर्ष 1979–80 में ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त अनुदान के विपरीत 41 कालोनीज विकास खण्ड मसौधा, सोहावल, पुराबाजार, माया बाजार, अकबरपुर, भीटी, कटेहरी, जलालपुर, भियांव, टांडा, बसखारी, रामनगर, जहांगीरगंज, बीकापुर, तारुन, हरिग्टनगंज, मिल्कीपुर एवं अमानीगंज में 41 जगहों पर बनी है। वर्ष 79–80 में 558 आवासों की स्वीकृति के विरुद्ध पिछले वर्ष 404 आवास बने थे व वर्ष 80–81 में फरवरी, 81 तक 60 आवास बने थे।
क्या यह सही नहीं है कि अधिकांश बनी हरिजन कालोनीज गिर गई हैं या रहने के काबिल नहीं रह गई हैं ?	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम से प्राप्त अनुदान द्वारा निर्मित कोई कालोनी गिरी नहीं हैं एवं रहने लायक हैं, ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा निर्मित भवनों में से अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण 54 भवन आंशिक रूप से तथा 33 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 54 भवन मरम्मत करने के उपरान्त रहने योग्य हो जायेंगे। राजस्व विभाग द्वारा आंशिक रूप से गिरे हुए 13 भवनों पर कुल 800 रु0 तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 13 भवनों पर कुल 29,00 रु0 लाभार्थियों को सहायता के रूप में दे दी गई है।

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ 96 पर)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए त्रुटियों के शोधन का विवरण—

1—खण्ड 3 की पंक्ति 1 में अंक तथा शब्द "11 में" तथा शब्द "खण्ड" के बीच में चिह्न " , " (कामा) और उसी पंक्ति में शब्द "में" तथा शब्द "शब्द" के बीच चिन्ह " , " (कामा) रख दिया गया है।

2—खण्ड 4 के उपखण्ड (क) की पंक्ति 1 में शब्द "स्तम्भ में" तथा शब्द "शब्द" के बीच चिन्ह " , " (कामा) रख दिया गया है।

3—खण्ड 8 के उपखण्ड (क) की पंक्ति 2 के अन्त में शब्द "जायेंगे" के पश्चात चिह्न " , " (कामा) केस्थान पर चिह्न " ; " (सेमीकोलन) रख दिया गया है।

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 100 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 5वें सोमवार के लिए, निर्धारित श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
9––क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार गेहूं की उत्पादन लागत मदवार प्रति हेक्टर तथा प्रति कुन्तल कितनी है?	वर्ष 1980–81 के लिए गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत प्रति हेक्टर तथा प्रति कुन्तल क्रमशः रु0 2863.00 तथा रु0 136.33 आंकी गयी है। मदवार आंकड़े संलग्न हैं।

बलराम सिंह यादव,
कृषि मन्त्री।

गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत का विवरण

	(रु0प्रति हेक्टर)
1––मानव श्रम (100 दिन, रु0 7.00 प्रति दिन की दर से) ..	700.00
2––पशु श्रम (20 दिन, रु0 10.00 प्रति दिन की मद से) ..	360.00
3––बीज (100 कि0 ग्राम, रु0 2.00 प्रति कि0 ग्राम की दर से) ..	200.00
4––खाद एवं उर्वरक	762.00
5––पौध सुरक्षा	180.00
6––सिंचाई	225.00
7––देख-रेख	80.00
8––भूमि का किराया	500.00
9––अन्य व्यय	240.00
योग ..	3247.00
भूमि का मूल्य (1)	384.00
प्रति हेक्टेयर वास्तविक व्यय	2863.00
औसत उपज (कु0 हे0)	21.00
प्रति कुन्तल उत्पादन लागत	136.33

नत्थी 'ञ'

((देखिए पीछे पृष्ठ 101 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 6ठे सोमवार के लिए निर्धारित श्री रियासत हुसैन द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
2—क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि श्री चन्द्रपाल सिंह सहायक लेखाकार जनपद, बुलन्दशहर का स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी उसको रिलीव नहीं किया गया जबकि इस जिले में वह 5 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और उनके विरुद्ध काफी शिकायतें भी हैं? यदि हां, तो क्यों?	जी हां। श्री चन्द्रपाल सिंह, सहायक लेखाकार, जनपद बुलन्दशहर को, जिनको इस जनपद में अभी 5 वर्ष नहीं हुए हैं, प्रशासकीय दृष्टिकोण से तथा उनकी पत्नी की हृदय रोग की बीमारी का बुलन्दशहर में ही चिकित्सा कराने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर रिलीव नहीं किया गया और उनका स्थानान्तरण आदेश स्थगित कर दिया गया।

बलराम सिंह यादव,
कृषि मन्त्री।

पो:एम0ए0पी0—एल0 333 विधान सभा (596)—1982—813